खण्ड-232, अंक-7
मंगलवार, 16 श्रावण, शक संवत् 1884
(7 अगस्त, 1962 ई0)

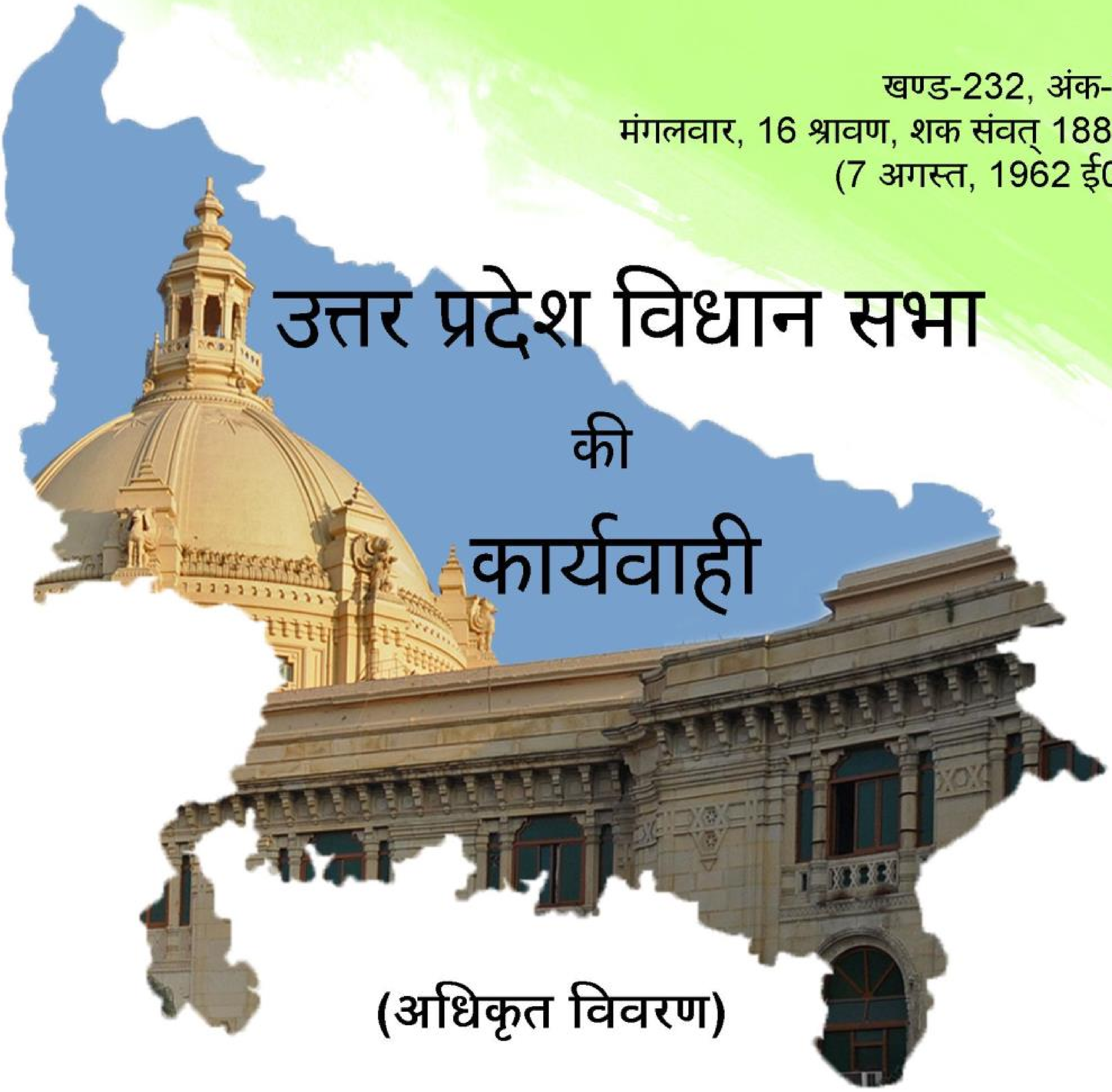

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 232 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार ७ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३९०

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अच्छेबरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी श्री,
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्ण, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीतयादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथराव, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसराम सिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैन सिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री

परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टूनूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसंतलाल शर्मा, श्री
बाँकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतोपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कन्नौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पाँडेय "प्रणव", श्री
विश्वनाथ प्रसाद श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शकुंतला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री

शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
सुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय,
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, सिंचाई उप-मंत्री डाक्टर रामनारायण पाँडेय, तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ७ अगस्त, १९६२

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ की मांगें

**१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मंत्री के पास राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के मंत्री द्वारा इस बात की सूचना इस माह में मिली है कि उनका प्रदर्शन मांगों के लिये १० अगस्त, १९६२ को विधान भवन के समक्ष होगा? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनकी मांगों को देने के लिये मुख्य मंत्री ने कौन-सा कदम उठाया है?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—जी नहीं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महा संघ के मंत्री की उस प्रेस विज्ञप्ति की ओर गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अपनी मांगों के लिए वह १० तारीख को करीब १० हजार की संख्या में विधान भवन के सामने प्रदर्शन करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई मांग हमारे तो सामने आयी नहीं ।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी को इधर हाल में या कभी भी ऐसी कोई मांग मिली है जिसमें कि द्वितीय वेतन आयोग की मांग उन्होंने की है ताकि उनको वेतन जीवन को चालू रखने भर के लिए मिल सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—ऐसी कोई सूचना मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो कर्मचारी हैं नान-गजटेड इनके अन्दर ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं, जो दस, पन्द्रह, बीस साल से टेम्पोरेरी हैं और यह भी मांग उन्होंने की है कि उनको कन्फर्म किया जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—यह जो यूनियन है यह अभी तक हमारे यहां रिकग्नाइज नहीं की गई है और जो यूनियन रिकग्नाइज नहीं होती हैं उन यूनियन्स की बात को न तो गवर्नमेंट सुनती है और न उन पर ध्यान देती है ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कारण बतायेगी कि यह यूनियन अभी तक क्यों नहीं रिकग्नाइज की गई, क्या कारण है इसके पीछे ?

श्री अध्यक्ष—जरा ठहर जाइए । इसमें प्रश्न यह है कि उनका प्रदर्शन मांगों के लिये १० अगस्त, १९६२ को विधान भवन के समक्ष होगा । यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं और उनकी मांगों को देने के लिये मुख्य मंत्री ने कौन-सा कदम उठाया है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं अर्ज करूं कि मैंने यह प्रश्न पूछा इसलिए कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा कि उनकी यूनियन रिकग्नाइज नहीं है, तो जब उत्तर यह आया तो निश्चित सप्लीमेंट्री यह उठता है कि यूनियन है तो वह रिकग्नाइज क्यों नहीं है ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—उनके अधिकारियों ने सरकार के समक्ष रिकग्नाइज करने के लिए न कोई आवेदन-पत्र दिया और न कभी उस सम्बन्ध में उन्होंने उन अधिकारियों से बातें कीं जो कि इस तरह की जो यूनियन्स रिकग्नाइज की जाती हैं उनसे बातें इत्यादि करते रहते हैं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को किसी जरिये से या जिले के ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से कोई सूचना इस तरह की मिली है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में जिनकी संख्या लाखों में है उनकी तरफ से कोई प्रदर्शन सेक्रेटेरियट के सामने होने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बहरहाल, मुझे न तो अधिकारियों की तरफ से इस प्रकार की सूचना मिली और न विज्ञप्ति ही मेरी नजरों से गुजरी है ।

श्री गेंदासिंह—क्या सरकारी अधिकारियों को जो डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हैं इस बात की हिदायत नहीं है कि उनके अधीन कर्मचारी अगर कोई इस तरह की बात करते हों और सरकार के खिलाफ डिमान्स्ट्रेशन करने वाले हों तो वह सरकार को उसकी इत्तला करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब उनके सामने कोई बात आयी नहीं और उनको कोई इत्तला नहीं तो वह कहां से इत्तला करें ? इस विषय में हमने राजस्व विभाग से पूछा था और राजस्व विभाग ने बोर्ड आफ रेवेन्यू से पूछा था। उनके पास कोई इसकी इत्तला नहीं और न उन्हें इस यूनियन के संबंध में कोई जानकारी है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस महासंघ के वार्षिक अधिवेशन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी भी गये थे, उन्होंने उसे सम्बोधित किया था और उस समय के राज्यपाल महोदय ने भी उसे सम्बोधित किया था और उन दोनों सम्बोधनों में इस बात का विश्वास उन्हें दिलाया गया था कि उनकी मांगों के प्रति सरकार सहानुभूति से विचार करेगी ? यदि हां, तो उस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर माननीय सदस्य का मतलब उस चपरासियों की अंजुमन से है जिनको पूर्व के मुख्य मंत्री जी ने संबोधित किया था तो उस विषय में मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि कदाचित् मुजफ्फरनगर में उसका अधिवेशन हुआ था और उसको मैंने भी सम्बोधित किया था और जो उस रिकेग्नाइज्ड यूनियन की मांगें थीं वह सरकार के सामने रहीं। सरकार उन मांगों के विषय में जो कुछ उनके फायदे की चीजें कर सकती थी वह उसने कीं और उसके परिणाम स्वरूप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अलाउन्स और तनख्वाह इत्यादि में वेतन वृद्धि हुई।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि सरकार के पास एक ऐसी मशीनरी है कि जो इस प्रकार की खबरें अखबारों में छपती है उसकी छान-बीन करती है और यदि उसका सम्बन्ध सरकार से हुआ तो उसको सम्बन्धित मन्त्री या सरकार के उन अधिकारियों के सामने रखती है जिनका संबंध उससे हो। मेरा मतलब सूचना विभाग से है। तो सूचना विभाग द्वारा इस सूचना की ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाया गया या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी मेरे पास कोई कटिंग या इत्तला इस विषय में नहीं आई है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास अंजुमने चपरासियान, जो एक राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ है, की एक मांग आई है कि उनके यहां २० वर्ष से कर्मचारी अस्थायी हैं तो अब ३ वर्ष के बाद उसी पद पर काम करने पर स्थायी कर दिये जायं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हमें बोर्ड आफ रेविन्यू से कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। राजस्व विभाग ने बोर्ड आफ रेविन्यू से पूछा था कि क्या यह संस्था जिसके विषय में प्रश्न किया गया है वही संस्था है जिसको पूर्व में अंजुमने चपरासियान कहा जाता था ? तो वहां से यह उत्तर नहीं मिला कि उसने अपने को इस संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया हो।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरह के डिमान्स्ट्रेशन की सूचना नहीं थी तो कौन सी सूचना के आधार पर उन्होंने राजस्व विभाग से इस संबंध में पूछताछ की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब यह प्रश्न आया तो इसको राजस्व विभाग में जानकारी करने के लिये भेज दिया गया। राजस्व विभाग ने इसको बोर्ड आफ रेविन्यू से पूछा। तो बोर्ड आफ रेविन्यू से यह उत्तर आया। उसकी बुनियाद पर आपको उत्तर और सूचना दी जा रही है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

चित्तौड़ा बांध पर व्यय

*१—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि गोंडा जिले के तराई क्षेत्र में बनने वाला चित्तौड़ा बांध जिसका निर्माण गत ३ वर्षों से हो रहा था और जिसमें बहुत सी छोटी-बड़ी नहरें भी बना दी गई हैं उसका एकाएक आदेश जारी कर के निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया ? यदि हां, तो किन-किन कारणों से कार्य स्थगित किया गया ?

सिंचाई उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—प्रश्नकर्त्ता का अभिप्राय गोंडा जिले के चित्तौरगढ़ बांध से प्रतीत होता है। इसका निर्माण कार्य फरवरी, १९६२ से आरम्भ किया गया था। इसके अन्तर्गत अभी तक किसी भी छोटी या बड़ी नहर का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया। चूंकि इस प्रायोजना की लागत में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना हो गई जिससे कि योजना पूर्णतः अलाभकर (unremunerative) हो गई अतः इस योजना के निर्माण का कार्य बन्द कर दिया गया।

*२—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चित्तौड़ा बांध में तथा इससे सम्बन्धित नहरों में अब तक कितनी जमीन किसानों की ली गई है और कितना रुपया अब तक खर्च किया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—अब तक ६७१ एकड़ भूमि ली गई है। तथा इस योजना के अन्तर्गत कार्यों पर अब तक लगभग ८ लाख रुपया व्यय हुआ जिसमें ५.५ लाख रुपया मशीनों की कीमत का भी शामिल है।

*३—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त बांध का एस्टीमेट क्या था और अब क्या हो गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस योजना का स्वीकृत आगणन १०५.२७ लाख रुपये का था किन्तु अब अनुमान है कि इसकी लागत १९८.० लाख रुपये हो जायेगी।

श्री विजयपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस योजना को कब से लागू किया जायगा और इस बीच में जो नुकसान होगा वह कितना होगा और इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इस बीच में इसकी कीमत बढ़ जाने के बाद अब इस कार्य को बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। अब इसको करने का विचार नहीं है। पहले जो रिटर्न हो रहा था वह २.३ था। अब वह घट कर एक परसेन्ट पर आ गया है। इसलिये अब इस योजना को न चलाने का निश्चय किया गया है।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पहला इस्टीमेट १०५.२७ लाख रुपये का बनाया गया था और अब जो इस्टीमेट बनाया गया वह १९८ लाख रुपये का है, तो अगर इस योजना से कोई फायदा नहीं था तो दो इस्टीमेट बनाने की क्या वजह थी ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)—अध्यक्ष महोदय, शुरू में जब इस योजना की छानबीन हुई तो इसकी लागत १ करोड़ ५ लाख थी। बाद में गिरगिटी बांध जब दो बार टूटा और साथ ही महाराष्ट्र में भी एक बांध टूटा तो सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन की यह हिदायत आयी कि सेफटी मेजर्स बांधों पर ज्यादा रखे जायं और इसलिये उसकी छानबीन दुबारा की

गयी और फिर १ करोड़ ९८ लाख की योजना बनी। हमने यह तय किया कि जो विभागीय योजनायें दो परसेंट से कम का रिटर्न देती हैं उनको न लिया जाय। इसलिये हमने इस योजना को रोक दिया। इस बात की कोशिश की गयी है सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन से जानने की, कि अपने देश में जो अन्य प्रदेश हैं वहां रिटर्न किस तरह का आ रहा है। अगर और स्टेट्स में भी ऐसा ही काम हो रहा है और १ परसेंट पर भी काम किया जा रहा है तो हम भी सोचेंगे कि हम भी इसको लें, लेकिन फिलहाल हमने इसको रोक दिया है इसलिये कि बराबर नुकसान उठाना स्टेट के लिये ठीक नहीं है।

श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)---अगर यह स्कीम घाटे पर चलेगी तो, अगर दूसरी स्टेट्स अपनी योजनायें घाटे पर चलाती हैं तो क्या यह सरकार भी उनका अनुसरण करेगी ?

श्री राममूर्ति---यह तो विचार करने की बात है कि अगर अपने देश के अन्दर और प्रदेशों में ऐसा ही पैटर्न बन गया है और वे अगर १ परसेंट पर भी अपनी योजनायें चला रहे हैं तो हम भी अपने प्रदेश में वहीं करेंगे, क्योंकि प्लानिंग कमीशन और केन्द्रीय सरकार की जो हिदायतें होती हैं उन्हीं लाइन्स पर हम भी अपने को डाल देंगे।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बांध को बनाने के लिये जो साढ़े ५ लाख की मशीनें खरीदी गयी हैं, उनका क्या होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---वह दूसरी जगह काम आ जायेंगी।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सिंचाई मंत्री जी बतलायेंगे कि इस योजना के लिये मशीनों पर और दूसरा ८ लाख रुपया व्यय हो चुका है और वह मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब लिया जायगा कि वह योजना चलायी जायगी या नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---इन मशीनों को रोकने की आवश्यकता नहीं, प्रदेश भर में कार्य चल रहे हैं और उनको कहीं भी लगाया जा सकता है।

श्री यादवेन्द्रदत्त---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मशीनों को कहीं लगाया भी गया है या वहीं ये पड़ी हुई हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, यह मशीनें कार्य के लिये मंगायी गयी थीं और दूसरे स्थानों पर जहां इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, भेज दी जायेंगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त---मेरा प्रश्न, श्रीमन्, स्पेसिफिक था कि मशीनें मंगायी गयी हैं, वह वहां कार्य कर रही हैं अथवा दूसरी जगह कार्य कर रही हैं ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि सही बता सकूं कि यह मशीनें वहीं हैं अथवा किसी दूसरी जगह भेज दी गयी हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---इस बांध पर इन मशीनों के अलावा और भी कुछ खर्च हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री राममूर्ति---अभी मैंने अर्ज किया कि ढाई लाख रुपया अलावा मशीनों के खर्च हुआ है और उसका ब्योरा इस प्रकार है : सर्वेक्षण में ३०,००० रुपया, भूमि की लागत ४८,६६२ रुपया, कुछ बजरी, पत्थर आदि इकट्ठा है और दूसरा मैटीरियल है १ लाख रुपये का, इसके अलावा एक लेबोरेटरी बनायी गयी जिसमें २,७०० रुपया व्यय हुआ, मिट्टी की खुदाई में ३१,००० रुपया लगा, कुछ सड़कें १,५०० रुपये की बनीं।

श्री ऊदल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बड़ी नहरों का निर्माण आरंभ किया गया है और उसके लिये यह जो ६७१ एकड़ भूमि किसानों की ले ली गई और उसकी लगान माफी नहीं की गई, तो क्या सरकार किसानों की ६७१ एकड़ भूमि वापस करने पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, जब कोई योजना पर बिचार किया जाता है तो लैंड पेपर्स सबमिट किये जाते हैं जमीन लेने के लिये। यह भी हमारी हिदायत है कि जब कोई जमीन ली जाय तो लगान का लेना फौरन बंद कर देना चाहिये। अब विचार हो रहा है कि योजनाएं चालू करें या न करें। इसी कारण से जमीन रुकी हुई है, अगर योजना को चालू नहीं किया जायगा तो जमीन वापस कर दी जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—क्या सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि अभी जो इस पर ढाई लाख रुपया आपका खर्च हुआ है तो क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यह ढाई लाख रुपया चालू न करने के बाद बेकार जायगा तो उसकी जिम्मेदारी इस्टीमेट बनाने वालों पर होगी या सरकार की अदूरदर्शिता के कारण यह नुकसान होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा ?

(उत्तर देने के लिये मंत्री जी को नहीं बुलाया गया।)

[७ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विधान सभा हाल का एयर कंडीशनिंग

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विधान सभा हाल को जो एयर-कन्डीशन करने के लिये मशीनें लगाई गई हैं उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है और किस कम्पनी द्वारा खरीदा गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—विधान सभा हाल को एयर कंडीशन करने के लिये कोई मशीनें नहीं लगाई गई हैं।

*२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एयरकन्डीशन की योजना क्यों बनाई गयी थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रश्न नहीं उठता है।

श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान-सभा हाल को एयर कंडीशन्ड करने के लिये कोई मशीन लगाई गई है या किसी कमरे को एयर कंडीशन्ड करने के लिए मशीन लगाई गई है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न मैं समझा नहीं, इसको रिपीट करने का कष्ट करें।

श्री ऊदल—मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि विधान सभा हाल को एयर कंडीशन्ड करने के लिये सरकार ने कोई मशीन लगाई है या किसी खास कमरे में सरकार ने मशीन लगवाई है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि यहां पर कोई मशीन लगाने का इंतजाम नहीं किया गया है और न मशीन लगाने का कोई इरादा ही है। परन्तु जो कैबिनेट रूम है उसको एयर कन्डीशन्ड किया गया है और उसके आंकड़े मेरे पास इस वक्त नहीं हैं।

श्री ऊदल—अध्यक्ष महोदय, मेरा २४६ नंबर का प्रश्न है उसी का उत्तर मैं चाहता हूं। वह उत्तर देने की कृपा करें।

श्री राममूर्ति—यदि आप २४६ नंबर का प्रश्न ले लें तो मैं उसका उत्तर दे दूं। नहीं तो जब प्रश्न आयेगा तभी उत्तर दूंगा।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कैसे कह दिया कि उनके पास इस का उत्तर अभी नहीं है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो विधान को एयर कंन्डीशन्ड करने का विचार था और जो रुक गया तो यह सिस्टम जो कि आजकल चल रहा है यह भी तो उपयुक्त नहीं है, जब तक एयर कंडीशन्ड न हो ? इस पर क्या सोचा गया सभा भवन है ?

श्री राममूर्ति---इस समय मैं इसके बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं और मैं इसका सही उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विधान-सभा हाल को एयर कंडीशन्ड करने के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय के कमरे को भी एयर कन्डीशन्ड करने का विचार हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिस विषय पर यहां सवाल पूछा गया है, मैं यह निवेदन कर दूं कि सरकार अवश्य इस प्रश्न पर विचार करेगी यदि सदन के सदस्यगण इस ओर ध्यान देना चाहते हैं और मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि अभी मैं एक बहुत ही गरीब स्टेट, बिहार, में गया तो वहां मैंने देखा कि वहां पर सेक्रेटेरिएट के अधिकांश कमरे तथा विधान भवन आदि सब एयर-कन्डीशन्ड थे ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि उनके पास सूचना नहीं है यह बात उन्होंने गलत कही है क्योंकि १६४ नम्बर के सवाल में यही बात पूछी गयी थी जिसका उत्तर उनके पास है । इसलिये मैं विशेषाधिकार की सूचना आपको देता हूं ।

श्री अध्यक्ष---इस प्रश्न के उत्तर के संबंध में सूचना नहीं है, इस संबंध में टैक्नीकली वे ठीक हैं । वह अगर सूचना नहीं देना चाहते तो हम प्रेस नहीं कर सकते, जब वह प्रश्न सामने आयेगा, आप पूछ सकते हैं । उस प्रश्न को सामने आ जाने दीजिये ।

राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन में गबन तथा बसों का बेकार होना

*३---श्री उग्रसेन---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज के गोरखपुर रीजन में आडिट पार्टी ने ३१ मार्च, १९६२ तक कहां-कहां आडिट की ? यदि हां, तो उसने कहां-कहां कितने रुपये का गबन पकड़ा है ?

परिवहन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)---आडिट पार्टी ने १ जनवरी से ३१ मार्च, १९६२ तक गोरखपुर रीजन के जिन कार्यालयों का आडिट किया उनकी सूची संलग्न है ।

२---आडिट पार्टी ने बांसी बुकिंग स्टेशन की कैश बुक से १,७५० रुपये का गबन पकड़ा । इसके अलावा खलीलाबाद बस स्टेशन की कैश बुक में भी १०० रुपये की त्रुटि पायी गयी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८९ पर)

*४---श्री उग्रसेन---क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज गोरखपुर रीजन में बस नं० २७४२, २१३०, २१२७ और २७२८ किन-किन स्पेयर पार्ट्स के अभाव में कितने दिनों से खड़ी रही हैं, या खड़ी हैं ?

श्री गनेशीलाल---वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९० पर)

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ के क्षेत्रीय स्टोर डिपो की कब कब जांच हुई और क्या वहां भी गबन पाया गया ? जांच से मेरा मतलब जो फिजिकल वेरीफिकेशन होता है उससे है ।

श्री गनेशीलाल---श्रीमन्, यह तो प्रश्न आडिट रिपोर्ट से है, जो प्रश्न अभी पूछा गया उसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री उग्रसेन---माननीय मंत्री जी ने जिस स्टेशन पर १,७५० रुपये का गबन बताया है, वहां अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गनेशीलाल---जो असिस्टेंट कैशियर था वह सस्पेंड हो गया है और पुलिस को इत्तला कर दी गयी है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बस नं० २१३०, २१२७ और २७२८ साल भर से ज्यादा समय से स्टेशनों पर खड़ी हैं और वे कितने-कितने मील चल चुकी हैं ?

श्री गनेशीलाल---श्रीमन्, २७४२ नम्बर की बस ८ हजार मील के करीब चलने के बाद खड़ी हुई है । शेष के बारे में अभी सूचना नहीं है ।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी सूचना है कि गाड़ियां अभी तक सामान न मिल सकने के कारण नहीं चली हैं ?

श्री गनेशीलाल---सामान की तो कमी है ही, और उसी कारण खड़ी रहती हैं । किन्तु सब नहीं खड़ी हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि औसतन गाड़ियों को कितने मील चलना चाहिये था और उसके पहले क्यों खड़ी हो गयीं ?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)---कितने मील चल कर खड़ी हुईं यह सवाल नहीं है । असल दिक्कत तो यह है कि स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं । कई तरह से कोशिश करने के बावजूद कुछ गाड़ियों को खड़ा कर देना पड़ता है ताकि उसके पार्ट्स निकाल कर और गाड़ियां चल सकें । अगर ऐसा न किया जाय तो पता नहीं ३ गाड़ियों के बजाय कितनी गाड़ियां खड़ी कर देनी पड़ें ।

श्री उग्रसेन---क्या अभी हाल में जनरल मैनेजर, गोरखपुर और सर्विस मैनेजर, गोरखपुर दिल्ली गये थे और डेढ़ लाख का लोकल परचेज किया तो जिन पार्ट्स का अभाव बतलाया जाता है वह उन्होंने नहीं खरीदे या उनका पता नहीं था ?

श्री मुजफ्फर हसन---कई पार्ट्स ऐसे हैं जिनको कई सोर्स से खरीदने की कोशिश की जाती है और नहीं मिल पाते । जनरल मैनेजर को जाना पड़ा तो यह खुद इस बात का सबूत है और दिल्ली में जो मिल सका वही तो लायें होंगे ?

भूसा खांड बांध के इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायत

*५---श्री ऊदल---क्या सरकार के पास भूसा खांड बांध, वाराणसी के इंचार्ज के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं :---

(क) श्री देवनाथ सुपरवाइजर को बिला कसूर छड़ी से मारना तथा स्थानीय सुपरवाइजरों को धमकाना तथा गलत कार्य करना,

(ख) इनके दुर्व्यवहार के कारण १५ सुपरवाइजरों का त्याग-पत्र देना,

(ग) मिट्टी ९।। फुट पड़ने के बाद रोलर चलाना चाहिये किन्तु १,१/२ फुट मिट्टी डलवा कर बन्धे को पोला रखना ।

यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—भूसा खांड बांध के इंचार्ज श्री वेदप्रकाश अग्रवाल, सहायक अभियन्ता हैं। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत नहीं प्राप्त हुई हैं। अलबत्ता इनके नीचे कार्य करने वाले एक ओवरसियर के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच करने के उपरांत वे सभी शिकायतें निराधार पायी गयीं।

क—श्री देवनाथ सुपरवाइजर को न तो किसी ने मारा ही है और न अन्य सुपरवाइजरों को ही धमका कर गलत कार्य कराया गया है।

ख—जी नहीं। किसी भी सुपरवाइजर ने इनके दुर्व्यवहार के कारण त्यागपत्र नहीं दिया है।

ग—जी नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि मिट्टी ९।। फुट पड़ने के बाद रोलर चलाना चाहिये। मिट्टी का डाला जाना उस स्थान की परिस्थिति पर निर्भर है और मिट्टी according to specifications डाली जाती है। अधीक्षण अभियन्ता ने मौके का मुआइना करने के बाद सूचित किया है कि मिट्टी नौ-नौ इंच की तह पर डाल कर हर तह को sheapfoot roller चला कर ठोस बनाया गया अतः बांध को पोला रखने का आरोप निराधार है।

ओवरसियर के विरुद्ध शिकायत मिलने पर उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया और आरोपों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य-मन्डल, वाराणसी द्वारा कराई गयी और सभी आरोप निराधार पाए गये।

श्री ऊदल—मेरी जानकारी है कि जो मिट्टी साढ़े नौ फिट बताई जाती है वह उतनी नहीं है तो क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि इस मामले में जांच किसी दूसरे अधिकारी से करा ली जाय ?

श्री राममूर्ति—यह माननीय सदस्य अपने मन की बात कह रहे हैं। इन सभी कामों में हमें एक्सपर्ट्स से राय लेनी पड़ती है जिनकी रिपोर्ट आपके सामने पढ़ दी। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि मिट्टी डालने के बाद ऐसे रोलर होते हैं जिनमें ९–९, १०–१० इंच के खूंटे लगे रहते हैं, उनसे दबाने की कोशिश भी की गयी। इस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूं ?

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस शिकायत की जांच के दौरान में देवनाथ सुपरवाइजर और दूसरे सुपरवाइजर जिनके इस्तीफे की बात कही गयी है उनसे भी बयान लिया गया ? उनका क्या कहना है ?

श्री राममूर्ति—देवनाथ ने कहा कि मारा-वारा नहीं है। यह सही है कि ये ओवरसीयर अप्रिय भाषा लोगों से बोल दिया करते थे जिसकी वजह से आजकल के जमाने में लोग नाराज हो जाया करते हैं।

श्री नरसिंहनारायण—जैसा कि स्वयं स्वीकार किया गया कि वह अप्रिय भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस ओवरसियर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—जैसे रिपोर्ट आयी उनको स्थानान्तर कर दिया गया, उसके बाद यह भी हिदायत की कि ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिये।

श्री ऊदल—जब सरकार की नोटिस में आ गया कि यह शिकायत है तो फिर उसके खिलाफ कोई और कार्यवाही करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, ओवरसियर बहुत होशियार है, उसका कैरेक्टर-रोल बहुत अच्छा है। फिर भी उसको हिदायत कर दी गई है और ट्रान्सफर भी कर दिया गया है। इससे लोगों को संतोष भी हुआ क्योंकि मैंने खुद जानकारी कराई, टेलीफोन से पछवाया तो लोगों ने कहा कि जब ट्रान्सफर ही कर दिया गया तब हमें क्या शिकायत है।

'पाता' राजकीय बीज भंडार के विरुद्ध शिकायत

*६—श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—क्या कृषि मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के 'पाता' राजकीय बीज भंडार से सन् १९६० में बीज किसानों को सवाई पर दिया गया था परन्तु वसूली के समय अन्न न लेकर नकद रुपये में वसूली क्यों की गई ?

कृषि उप मन्त्री (श्री शिवराजसिंह)—विभागीय नियम यह है कि सवाई की अदायगी ३१ मई तक अन्न में स्वीकार की जाती है और उसके बाद उसकी वसूली नकद में की जाती है। इस बीज भंडार पर भी ऐसा ही किया गया।

*७—श्री सहदेवसिंह—क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गल्ले के जो दाम लगाये गये वे बाजार भाव से अधिक क्यों लिये गये तथा ९ प्रतिशत सूद और मियाद के अन्दर न देने वालों से १२ १/२ प्रतिशत दन्ड भी वसूला गया ?

श्री शिवराजसिंह—९ प्रतिशत सूद किसी से नहीं लिया गया। जो वसूली नकद में की गई वह विभागीय आदेश के अनुसार की गई जिसके अन्तर्गत वसूली की रकम निम्नलिखित तरीके से लगाई जाती है :

(१) औसत दर्जे (Fair Average Quality) के बीज का बाजार भाव।

(२) क्वालिटी प्रीमियम जो भिन्न-भिन्न अनाजों पर भिन्न-भिन्न है। गेंहू पर पर १ रुपया प्रति मन, मटर पर १२ आना प्रति मन, जौ तथा चना पर ८ आना प्रति मन और प्रथम श्रेणी के धान पर १० आना और द्वितीय श्रेणी के धान पर ८ आना प्रति मन।

(३) शुद्धता का प्रीमियम (Purity Premium) १२ १/२ प्रतिशत बीज के के बाजार भाव तथा क्वालिटी प्रीमियम पर।

(४) यदि कोई ३० जून के भी बाद अदायगी करता है तो ५ १/२ प्रतिशत सालाना ब्याज।

*८—श्री सहदेवसिंह—क्या कृषि मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में किसानों की ओर से जो दरख्वास्तें प्राप्त हुईं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि जाँच हुई, तो किसन जाँच की और क्या रिपोर्ट दी और किसानों को न्याय मिल पाया या नहीं ?

श्री शिवराजसिंह—८ किसानों की दरख्वास्तें जिलाधीश, इटावा को प्राप्त हुई थीं। इनकी जाँच अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी को सौंपी गई। अपनी रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि २७ मई, १९६१ को वह स्वयम् पाता गये थे और उस गाँव के तथा उसके समीपवर्ती गाँवों के किसानों को वसूली की स्कीम को विस्तारपूर्वक समझाया तथा यह स्पष्ट किया था कि किसानों को पूरी स्वतंत्रता थी कि वे ३१ मई तक सवाई की अदायगी बीज में कर सकते हैं। शर्त केवल यह थी कि बीज अच्छे किस्म का हो और जो किसान अच्छा बीज देने की स्थिति में न हों वे नकद में अदायगी कर सकते हैं। अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों ने अन्न के रूप में अथवा नकद के रूप में अदायगी करना स्वीकार किया। चूंकि किसानों के पास पर्याप्त समय था, वे अन्न के रूप में अथवा नकद के रूप में अदायगी कर सकते थे और चूंकि उन्होंने अपनी दरख्वास्तों में स्वीकार किया था कि वे ३० जून तक अदायगी नहीं कर सके इसलिये अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनसे प्रीमियम और ब्याज न लेने की माँग स्वीकार नहीं की जा सकती।

श्री सहदेवसिंह—जैसा कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि ३१ मई तक अन्न में अदायगी स्वीकार की जाती है फिर क्या कारण था कि किसानों ने मई के प्रारम्भ में यह दरख्वास्तें दीं कि उनसे अन्न में अदायगी नहीं ली जा रही है ?

श्री शिवराजसिंह—जिन दरख्वास्तों का हवाला दिया गया है वह जुलाई में प्राप्त हुईं, मई के महीने की दरख्वास्तों की कोई सूचना सरकार को नहीं है।

श्री सहदेवसिंह—उत्तर में लिखा हुआ है कि २७ मई, १९६१ को स्वयं मंत्री महोदय बाँदा गये और उन्होंने किसानों को विस्तार-पूर्वक वसूली की स्कीम को समझाया, इससे स्पष्ट है कि ८ किसानों की दरख्वास्त २७ मई के पहले कलेक्टर को दी गई थीं कि वह गल्ले में अदायगी करना चाहते हैं लेकिन उनसे गल्ला नहीं लिया जा रहा है ?

श्री शिवराजसिंह—मैंने निवेदन किया आठों दरख्वास्तें जुलाई के महीने में जिलाधीश को प्राप्त हुई थीं, उन दरख्वास्तों में उन किसानों ने स्वयं लिखा था कि ३० जून तक गल्ला अदा नहीं कर पाये हैं इसके बावजूद हमसे ब्याज और प्रीमियम न लिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—जैसा कि मंत्री महोदय को ज्ञात है कि केवल उसी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में जहाँ बीज गोदामों से गल्ला दिया जाता है वहाँ से इस बात की चेष्टा की जाती है कि अन्न में वसूली न की जाय बल्कि रुपये में वसूली की जाय तो क्या मंत्री महोदय सरकारी तौर पर इस बात का आदेश निकालेंगे कि सभी जिलाधीशों को जहां पर लोग गल्ले के एवज में गल्ला देना चाहें वह ले लिया जाय ?

श्री शिवराजसिंह—अब एक नयी स्कीम आयी है जिसके तहत में सरकार ९८ परसेंट प्योर बीज देने की सोच रही है इसलिये किसानों से सरकार ने गल्ला लेने की स्कीम बन्द कर दी है, अब कैश ही लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांड़ेय (जिला आजमगढ़)—इन किसानों से गल्ले के दाम की वसूली पर कितना रुपया सूद वसूल किया गया ?

श्री शिवराजसिंह—३० जून तक जिन्होंने अदायगी की है उनसे कोई सूद नहीं लिया गया।

श्री सहदेवसिंह—इसमें लिखा है कि कृषि अधिकारी २७ मई को शिकायतों की जाँच के लिये गये, जब जुलाई में शिकायतें हुईं तो मई में जाँच को कैसे गये।

श्री शिवराजसिंह—इससे पूर्व वह उस गाँव में स्कीम समझाने के लिये गये।

फतेहपुर-मड़ाव ब्लाक के अन्तर्गत बीज-भंडार

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर-मड़ाव ब्लाक जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा बनने वाले बीज-भंडार के भवन की छत फट गई है ?

श्री शिवराजसिंह—जी हाँ, मालूम हुआ है कि छत कुछ फट गई है। यह अभी ठेकेदार के चार्ज में है। विभाग ने अभी इसका चार्ज नहीं लिया है।

*१०—श्री रामसुन्दर पांड़ेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक ही विकास खंड के क्षेत्र में कितनी-कितनी दूरी पर कितने बीज-भंडार रखे जाने चाहिये तथा इसमें कितने हैं और कितनी-कितनी दूरी पर हैं ?

श्री शिवराजसिंह—एक ब्लाक में एक कृषि तथा दो सहकारी बीज भंडार होना चाहिये। यह कितने कितने फासले पर हों यह निश्चित नहीं किया गया है। इस विकास खंड में एक कृषि बीज भंडार है जो कि विकास केंद्र से २ मील पर है तथा एक सहकारी बीज भंडार विकास केंद्र से ढाई मील पर है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस बीज भंडार के बनाने का ठेका कितने रुपये का था, किस व्यक्ति को दिया गया और सरकार ने उसे अब तक क्यों नहीं हस्तगत किया ?

श्री शिवराजसिंह—रामभवन पांडेय के ठेका दिया गया था और ठेके की रकम ९,८१६ रुपये ८९ नये पैसे थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सरकार ने हस्तगत क्यों नहीं कराया बीज भंडार को ?

श्री शिवराजसिंह—इसका ठेका १३-११-५९ को हुआ था। यह मेरे पास सूचना नहीं है कि बनकर कब तैयार हुआ, लेकिन इसके फटने का अभी पता चला है और विभाग द्वारा नियुक्त ओवरसियर उसकी जाँच कर रहा है।

घोसी पशु-चिकित्सालय के अन्तर्गत स्टाक मैन सेन्टर

*११—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी पशु-चिकित्सालय, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत और स्टाक मैन सेंटर खोले जा रहे हैं ? उनकी दूरी का आधार क्या है ?

श्री शिवराजसिंह—जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री राम सुन्दर पांडेय—क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस क्षेत्र में स्टाक मैन सेंटर खोले गये हैं या नहीं ?

श्री शिवराजसिंह—खोले गये हैं, मरयादपुर और कसराना में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—ये सेंटर कितनी दूरी पर खोले जाते हैं ?

श्री शिवराजसिंह—पशु सेवा केंद्रों का फासला आपस में ८,९ मील है और सब सेंटर्स का ३ से ४ मील तक है।

श्री झारखंडेराय—सेंटर खोलने में दूरी का ही केवल ध्यान रखा जाता है या इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन-सा एरिया कितना पिछड़ा है और कहां लोग आसानी से पहुंच सकते हैं ?

श्री शिवराजसिंह—इन बातों पर भी ध्यान दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—कहीं सेंटर बहुत नजदीक और कहीं अब तक क्यों नहीं खोले गये हैं, क्या माननीय कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह—जो नीति मैंने बताई उसी के अनुसार खोले गये हैं।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—स्टाक मैन सेंटर क्या कैटिल पापुलेशन के लिहाज से भी खोले जाते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री शिवराजसिंह—जहां कैटिल पापुलेशन अधिक होती है वहां नजदीक खोले जाते हैं।

घाघरा नदी पर ग्राम डूहा-बिहरा के निकट दूसरे बांध के निर्माण की आवश्यकता

*१२—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत ग्राम डूहा बिहरा घाघरा नदी के कटाव से संकट में पड़ा हुआ है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां।

*१३—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या यह सत्य है कि उक्त गांव का बांध जो नदी घाघरा के किनारे था उसे गिरे हुये करीब ३ वर्ष हो गये?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां।

*१४—श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या यह सत्य है कि गिरे हुये बांध से कुछ दूर हट कर एक नया बांध बनाने के लिये क्षेत्रीय विधायक द्वारा अधिकारियों को कई बार सुझाव दिया गया तथा मौका भी दिखलाया गया किन्तु अभी तक बांध नहीं बन सका?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी नहीं। ऐसा कोई भी लिखित सुझाव विभाग में उपलब्ध नहीं है। मौका निरीक्षण के विषय में भी ज्ञात नहीं है क्योंकि इसका भी कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है।

श्री जगन्नाथ चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कटान से संकट में पड़े हुये गांवों को बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला मैजिस्ट्रेट को लिखकर पूछा कि कौन से ऐसे बांध हैं जिनको वह चाहते हैं कि सरकार देख-रेख करे और उनके ऊपर काम करावे। इत्तफाक से किसी बांध का जिक्र ही नहीं है। पब्लिक के बनाये बांध हैं, वही देख-रेख करती है।

सैदपुर तथा जमानिया तहसीलों में नहरें

*१५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तथा जमानिया तहसीलों में कौन-कौन सी नहरें बनने की योजना है और वह कब तक पूरी हो जायेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७९१ पर)

श्री कमलासिंह यादव—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नलकूपों से गत दो वर्षों में कितनी भूमि सींची गई और उससे कितनी आय हुई?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—प्रत्येक नलकूप का चाहें तो मैं बोल दूं, उसे जोड़ लिया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—हर नलकूप की सिंचाई का रकबा व आय के ब्योरे की कापी मुझे भेज दीजिये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—आप ले लें आकर, मैं दे दूंगा।

गाजीपुर जिले में नलकूपों की दुर्व्यवस्था

*१६—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले में नलकूप बहुत ही कम घंटा चलता है जिससे ठीक तौर पर सिंचाई नहीं हो रही है और साथ ही सरकारी आय भी घट रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—ऐसी कोई बात नहीं है।

*१७—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले में नलकूपों के थोकदारों से पानी देने के लिये बिलकुल राय नहीं ली जाती बल्कि आपरेटर मनमाने ढंग से पानी देता है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—गाजीपुर जिले के हर नलकूप के लिये रेगुलेशन आर्डर जारी किये हुये हैं। नलकूप चालकों को स्थायी आदेश दिये हुये हैं कि वे जल वितरण रेगुलेशन आर्डर के तथा थोकदारों द्वारा दिये हुये प्रोग्राम के अनुसार ही करें, चालकों द्वारा मनमाना जल वितरण का प्रश्न नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि सैदपुर तहसील में मड़िया नलकूप के लिये गांव वालों ने दरख्वास्त दी थी और तब भी पानी नहीं दिया गया था और वहां की १३ बीघा फसल सूख गई है, जबकि दूसरे गांवों में पानी दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसकी कोई सूचना नहीं है, नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या सिंचाई मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि उक्त नलकूप आपरेटर के विरुद्ध उस गांव की जनता ने एक्जीक्यटिव इंजीनियर और जिला मजिस्ट्रेट को शिकायत की थी ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसकी भी कोई सूचना नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि गढ़वाल ग्राम की १३ बीघा फसल सूख गयी और उसको पानी नहीं दिया गया हालांकि वहां के थोकदार और विधायकों ने भी उसके लिये प्रार्थना की थी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यदि माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो जांच करा ली जायगी।

गनगरी नाला, जिला गोरखपुर की खुदाई

*१८—**श्री कल्पनार्थसिंह**—क्या सरकार यह बतायेगी कि बांसगांव तहसील, जिला गोरखपुर में गनगरी नाले की खुदाई सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत और खुदाई की लम्बाई क्या है ? यदि खुदाई नहीं करने का इरादा है, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां, गनगरी नाले को खोदने व नीचा करने के लिये एक योजना बनाने के हेतु सर्वे किया जा रहा है। नाले की लम्बाई लगभग ५ मील होगी और जहां तक लागत का संबंध है estimate के बन जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह—क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त सर्वेक्षण कब से हो रहा है और कब तक पूरा हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—करीब-करीब नतीजे पर ही आ गया है और जल्दी ही समाप्त हो जायगा।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब यह नाला बन जायगा तो कितने एकड़ फसल का बचाव इससे हो जायगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---इससे दो हजार एकड़ भूमि को लाभ होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सर्वेक्षण हुआ है उसका क्या नतीजा निकला ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---श्रीमन्, यह ५ मील से कम होगा इसलिये श्रमदान से खोदना होगा।

श्री कल्पनार्थसिंह---क्या सूचना मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब उक्त नाला ५ मील की लम्बाई का है और जब इसका सर्वेक्षण कराया गया तो इसका एस्टीमेट कैसे लगा लिया गया कि उसकी खुदाई श्रमदान के द्वारा होगी ?

श्री राममूर्ति---सर्वेक्षण में सभी बातों का अनुमान लगाया जाता है। जो आंकड़े आये उनसे पता चलता है कि वह पांच मील से कम है। इसलिये आजकल के कायदों के अनुसार उसको श्रमदान से ही बनाया जायगा।

लखनऊ में खाली तथा किराये पर अध्याप्त इमारतें

*१९---**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में कितनी सरकारी इमारतें इस समय खाली पड़ी हैं तथा कितनी इमारतें सरकार ने किराये पर ले रक्खी हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---लखनऊ में २ सरकारी इमारतें इस समय खाली पड़ी हैं तथा १५७ इमारतें सरकार ने किराये पर ले रक्खी हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---क्या सरकार बतायेगी कि वे इमारतें किस हेतु बनवाई गयी थीं जो खाली पड़ी हुई हैं ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, एक ऐसी इमारत जेल के पास है जिसमें एक प्रोफेसर रहते हैं जो वहीं पढ़ाते हैं, वह बहुत खराब हालत में है, उसमें मरम्मत वगैरह का सवाल है। दूसरी इमारत शिक्षा विभाग से संबंधित है, रूशी के तालाब के पास है। उसमें कोई स्कूल वगैरह चेंज होने का सवाल है।

गंडक नहर योजना

*२०---**श्री गेंदासिंह**---क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गंडक नदी योजना में कितनी भूमि पहिले हस्तगत करने की व्यवस्था थी और अब कितनी ली जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---पश्चिमी गंडक नहर योजना के लिये पहले १५,६०४ एकड़ भूमि स्थायी रूप से और ३१८ एकड़ भूमि अस्थायी रूप से लेने का प्रस्ताव था। अब स्वीकृत योजना के अनुसार लगभग १६,५०० एकड़ भूमि स्थायी रूप से तथा लगभग ५,५०० एकड़ भूमि अस्थायी रूप से लिये जाने का प्रस्ताव है।

*२१---**श्री गेंदासिंह**---क्या यह सही है कि देवरिया जिले में नहर पक्की बनाने की मूल योजना में व्यवस्था थी और अब कच्ची बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---जी हां, पहले देवरिया जिले में पूरी नहर पक्की बनाने का प्रस्ताव था परन्तु बाद में मील ५५-४ से बिहार की सीमा मील ८१-५-२९५ तक, स्प्रिंग लेवेल नीचा होने के कारण नहर कच्ची बनवाने का प्रस्ताव किया गया है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि माननीय सिंचाई मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री दोनों के समक्ष देवरिया के सभी विधायकों ने और वहां के किसानों के प्रतिनिधियों ने यह प्रार्थना की थी कि इस नहर को पक्की बनाया जाय। यदि हां, तो फिर यह प्रस्ताव किस ओर से चलाया गया कि इसको कच्ची बनाया जाय? क्योंकि वहां पर माननीय मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस नहर को पक्की बनाया जायगा तो कोई कहीं भूल तो नहीं हो गयी, इसकी माननीय मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, गंडक योजना बनने के सिलसिले में एक बोर्ड बना हुआ है जिसके अध्यक्ष बिहार के गवर्नर साहब हैं और दोनों प्रदेशों के इंजीनियर्स और मिनिस्टर्स इसके मेम्बर्स हैं। यह प्रस्ताव बोर्ड के जो सेक्रेटरी और डाइरेक्टर हैं उनकी तरफ से आया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य के संतोष के लिये बतला देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से इस पर ज्यादा जोर है कि इस नहर को पक्की बनाया जाय।

श्री गेंदासिंह—मैं इस समय खुद माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि यह नहर पक्की बनाई जाय? यदि ऐसा प्रस्ताव किया गया है, तो अब तक कच्ची नहर बनाने के अनुसार जो जमीनें ए वायर की जा रही हैं, उसके अनुसार वे ए वायर न की जायं और उसके अन्तर्गत पड़ने वाले लाखों पेड़ न कटवाये जायें यह आदेश आप देंगे?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि हमारा इस बात पर ही अब तक जोर है कि इस नहर को पक्की बनाया जाय। लैंड एक्वीजीशन वगैरह की कार्यवाही तो होती ही रहती है। लेकिन हम इस बात की बराबर कोशिश कर रहे हैं कि यह नहर उत्तर प्रदेश के अन्दर पक्की ही बनायी जाय।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, जमीन हस्तगत करने की कार्यवाही हो रही है और जमीन हस्तगत करने के बाद ही उसमें पड़ने वाले दरख्त काटे जायेंगे। हजारों दरख्त इस तरह से कट जायेंगे। यह निश्चित है कि जिस वक्त पक्की नहर बनेगी उसमें जमीन कम लगेगी। तो क्या सरकार इस बात को ध्यान में रख कर इन दरख्तों को बचाने के लिये कोई इस तरह की हिदायत दे रही है कि वे दरख्त न काटे जायं?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि आखिरी फैसला गंडक बोर्ड का होता है और जबतक वहां यह बात तय न हो जाय कि उसको पक्की ही बनाया जायगा, तब तक और कागजी कार्यवाही अपनी जगह हो रही है।

श्री उग्रसेन—इस बात को देखते हुये कि देवरिया जिले में जो नहर पड़ती है वह शुरू की नहर पड़ती है और गंडक के पानी का डिस्चार्ज भी प्रायः उत्तर प्रदेश की सभी नदियों से ज्यादा है, इसलिये उसको पक्की तो बनना ही चाहिये, तो क्या माननीय मंत्री जी गंडक बोर्ड के पास इस सदन की राय भेजेंगे कि उस नहर को निश्चित ही पक्की बनाया जाय?

श्री राममूर्ति—मैंने पहले अर्ज किया कि गवर्नमेंट की यही राय है जो कि मेम्बर साहब ने फरमाया। हम उसकी तर्जुमानी चाहते हैं। यह कोई नई बात थोड़े है, हम तो पहले ही से उस चीज को कर रहे हैं और इस पर जोर दे रहे हैं कि उसे पक्की बनाया जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि देवरिया जिले में क्या खास बात है जो उस जिले का खास ख्याल किया जाता है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बतलाया?

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री को नहीं पुकारा गया।)

श्री गेंदासिंह—सवाल यह है कि लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही होगी और लैंड एक्वीजीशन हो जाने के बाद नहर की खुदाई भी रूटीन के तौर पर शुरू हो जायगी और सारी कार्यवाही होती रहेगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको पक्की बनाने के प्रस्ताव पर कब विचार हो सकेगा ?

श्री राममूर्ति—खुदाई का तो कोई सवाल ही नहीं है। खुदाई तो तब होगी जब सारी चीजें फाइनलाइज हो जायंगी कि यह नहर पक्की बनेगी या नहीं।

श्री झारखंडे राय—इस बात को देखते हुये कि देवरिया जिला और उससे लगे हुये बिहार के उस हिस्से की जमीन एक प्रकार की है और दोनों की जमीन पर आबादी का दबाव भी बराबर-सा है, तो फिर बिहार सरकार किस आधार पर चाहती है कि उसको पक्की न बनाया जाय और इस संबंध में उसका क्या तर्क है ?

श्री राममूर्ति—वैसे यह उनकी तरफ से तर्क आया है कि ५५ मील से ८१ मील तक जो पानी का स्तर है वह काफी नीचा है और उसको ध्यान में रखते हुये नहर कच्ची भी बनायी जा सकती है।

मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में माइनर

*२२—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के छाता क्षेत्र में जो खाली रकबे हैं उनमें सिंचाई के लिये वर्तमान योजना में कोई माइनर निकाली जायेगी ? यदि हां, तो किस महीने में उसकी खुदाई शुरू होगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—छाता क्षेत्र में रामगंगा योजना के अन्तर्गत १९ माइनरें बनाने का प्रस्ताव है जिनमें से दो माइनरों पर खुदाई का कार्य फरवरी, १९६२ में आरम्भ हो गया है तथा शेष पर सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री लखीसिंह—मंत्री जी बतायेंगे कि कौन-कौन सी १९ माइनर्स हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—यह छाता तहसील में हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं; अगराला, रजवहा, ऐक्सटेंशन अगराला रजवहा, गढ़ी माइनर, जटवारी माइनर, बुखरारी रजवहा, हसनपुर रजवहा, अगराला माइनर, नन्दगवां रजवहा, दहगवां माइनर, कमई माइनर, नन्दगांव रजवहा, कोसी रजवहा, शाहजादपुर माइनर, बुखरारी रजवहा, सेही माइनर, बसई माइनर, सहार रजवहा, शेरगढ़ रजवहा और हुलवाना माइनर।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—१९ माइनरें जो छाता क्षेत्र में बनाई जा रहीं हैं इन पर सरकार का कितना धन लगेगा और कितनी देर में बन कर तैयार हो जायेंगी ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, कुछ सवाल के जवाब से ऐसा मालूम होता है कि उसका मतलब ठीक नहीं समझे। १९ माइनरें बनाई नहीं जा रहीं हैं। माइनर तो दो बनाई जा रही हैं। १९ के बनाने का प्रस्ताव है जो रामगंगा प्रोजेक्ट से संबंधित है। ज्यों ज्यों रामगंगा का काम बढ़ता जायगा त्यों-त्यों इन माइनर्स पर काम होता जायगा।

मथुरा जिले की सौंध ड्रेन योजना

*२३—श्री लखीसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में पहले साल अधिक वर्षा तथा पंजाब से बाढ़ का पानी आने से गांव डूब गये थे और वहां अब भी सैकड़ों एकड़ जमीन पानी से भरी हुई है ? क्या उसके लिये कोई नाला बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो बरसात से पहले क्या वह तैयार हो जायेगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—जी हां। इस पानी के निकालने के लिये सोंध ड्रेन नामक एक योजना प्रस्तावित की गई थी जो अभी विचाराधीन है।

श्री लखीसिंह—श्रीमन्, २२ वां प्रश्न अधूरा रह गया। वह कौन-सी दो माइनर्स हैं जो बनाई जा रही हैं अब ?

श्री अध्यक्ष—अब आप २३ के बारे में पूछें।

श्री लखीसिंह—सोंध ड्रेन, जो पानी निकालने के लिये बनाने का विचार है, इसका कारण बता सकेंगे क्यों विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—इसकी कीमत ज्यादा आ रही है इसलिये अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका।

मथुरा जिले के छाता क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त गांव

*२४—श्री लखीसिंह—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मथुरा जिले के छाता क्षेत्र में कितने गांव हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं जिनमें अभी तक पानी भरा हुआ है, पानी भर जाने के कारण खरीफ व रबी की फसल नहीं बोई गई ? जिनमें अब तक सैकड़ों एकड़ भूमि में पानी भरा हुआ है ? ऐसी जमीनों का सरकार ने लगान मुल्तवी किया था ? यदि हां, तो सरकार ऐसी जमीनों का लगान माफ करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री लखीसिंह—यह प्रश्न पांचवें महीने का है तो सूचना एकत्र कैसे नहीं हुई, क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, आप जरा सवाल की नवैयत को पढ़िये, हर एक गांव के लिये पूछा गया है कि कितनी जमीन जलमग्न है। यह सूचना आसानी से एकत्रित नहीं हो सकती।

श्री लखीसिंह—यह प्रश्न कितना जरूरी है, जो गांव डूबे पड़े हैं उनकी सूचना मंत्री जी नहीं देते, यह दुख की बात है।

श्री अध्यक्ष—आइन्दा जब प्रश्न आये अब की बार की उस समय तक सूचना एकत्र हो जाय।

श्री उग्रसेन—मंत्री जी ने कहा कि यह लिखा हुआ है कि हर एक गांव में कितना-कितना पानी है। तो मंत्री जी यही बता दें कि कुल कितने गांव पानी में हैं।

तिघराखेंरवा-नगवा बांध की मिट्टी का मुआवजा

*२५—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या सिंचाई मंत्री को देवरिया के एक विधायक का पत्र दिनांक २५ अप्रैल, १९६२ देवरिया जिला में राप्ती के बायें किनारे पर बन्धे, तिघराखेंरवा से नगवा खास तक के बांध के संबंध में तथा १९५७ के गांव पटाई में ली गई मिट्टी के मुआवजा के संबंध में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है और क्या वह पत्र तथा उस पत्र के साथ नत्थी, श्री रामगोपाल शुक्ल के पत्र की प्रतिलिपि, सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

नोट—तारांकित प्रश्न २४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—जी हां। संबंधित पत्र तथा उसके साथ नत्थी, श्री रामगोपाल शुक्ल के पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इसकी जांच कराई गई है। यह बांध कई वर्ष पहले टेस्टवर्क में जिलाधीश द्वारा बनवाया गया था। इसकी देख रेख जिलाधीश टेस्ट वर्क द्वारा कराते रहते हैं। इस वर्ष भी इसकी मरम्मत हो चुकी है। मुआविजा के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७९२–७९३ पर)

*२६—श्री चन्द्रबली—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया में राप्ती के बांये किनारे पर तिघराखेंरवा से नगवा खास तक का बांध मेड़ी और माझानरायन के पास कमजोर हो गया है? यदि हां, तो उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी है?

श्री राममूर्ति—इस बांध की मरम्मत प्रति वर्ष टेस्ट वर्क द्वारा जिलाधीश देवरिया कराया करते हैं। इस वर्ष मांझा नारायन के समीप एक रिंग बांध, बनकटी गांव के ऊंचा करने के साथ, बनाया जा रहा है। इस बांध के बन जाने से इन जगहों पर खतरा घट जायगा।

*२७—श्री चन्द्रबली—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र के १९५७ में की गई गांव पटाई में ली गयी मिट्टी का मुआवजा कुछ गांवों का बाकी है? यदि हां, तो किन-किन गांवों का और भुगतान कब तक सम्भव है?

श्री राममूर्ति—देवरिया जिले के रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र के १९५७ में की गई गांव पटाई ग्राम निवासियों के अनुरोध से की गई थी जिसके लिये कोई भी जमीन स्थाई व अस्थाई रूप से प्राप्त नहीं की गई थी इसलिये मिट्टी के मुआविजा का प्रश्न नहीं उठता।

परिवहन विभाग, गोरखपुर रीजन के कर्मचारियों का बकाया तथा नये बस स्टेशन

*२८—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में अब तक किस-किस ग्रेड के कितने-कितने कर्मचारियों का, कितने-कितने रुपये का भुगतान अब तक किस-किस मद का गोरखपुर रीजन में बाकी है और क्यों?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है।

२—समय से भुगतान न होने के कारण इस प्रकार हैं:—

(१) सेवा पुस्तिका व व्यक्तिगत पंजिका का अपूर्ण होना,

(२) अवकाश की स्वीकृति के आदेश प्रेषित करने में पत्र-व्यवहार के कारण विलम्ब,

(३) एलाउन्स फार्म तथा टी० ए० बिलों को कर्मचारियों द्वारा विलम्ब से देने तथा त्रुटियों के समाधान के लिये पत्र-व्यवहार।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७९४–७९५ पर)

*२९—श्री कल्पनार्थसिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में कौन-कौन से बस स्टेशन चालू वित्तीय वर्ष में बनाने की योजना है और उन पर अनुमानित व्यय क्या है?

श्री मुजफ्फर हसन—बस्ती, अयोध्या, दोहरीघाट तथा घोसी में बस स्टेशनों के बनवाये जाने की योजना है जिनके निर्माण का अनुमानित व्यय ५६,००० रुपये हैं।

मुरादाबाद में बीफ कैंसिंग की फर्में

*३०—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद नगर में गाय, बैलों की आंतें जिन्हें बीफ कैंसिंग कहा जाता है उसको तैयार करने वाली कितनी फर्में हैं। सन् १९५९–१९६०–६१ में इन फर्मों में कितने कितने रुपये की कितनी-कितनी गाय की आंतें किस किस देश को भेजी और जो लोग बीफ कैंसिंग का व्यापार करते हैं उन्हें सजा क्यों नहीं दी गयी ?

कृषि मन्त्री (श्री चरणसिंह)—मुरादाबाद नगर में गाय बैलों की आंतों से बीफ कैंसिंग बनाने की कोई भी फर्म नहीं है, अतः वहां से निर्यात की आय तथा बीफ कैंसिंग के व्यापारियों की सजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

रोडवेज की बस-व्यवस्था

*३१—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने रोडवेज व्यवस्था के चालू होने से लेकर अब तक कितने मूल्य की कितनी बस किस-किस प्रकार (नकद या उधार) खरीदी हैं ? इनमें से कितनी बसें टूट कर बेकार हो चुकी हैं और कितनी चालू हैं तथा कितनी मरम्मत हो कर चालू हो सकती हैं ?

*३२—इन खरीदी हुई बसों का कितना रुपया भुगतान हो चुका है और कब-कब तथा कितना शेष है और उस पर वार्षिक ब्याज कितना देना पड़ता है ?

*३३—इन बसों की कीमत लगाकर तथा वार्षिक ब्याज सम्मिलित करके क्या यह योजना लाभ में चल रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सूचना एकत्र की जा रही है।

जापानी तरीके से धान की खेती तथा राजकीय कृषि फार्म

*३४—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमियों को १९६० व १९६१ में जापान भेजकर धान की खेती की शिक्षा दिलवाई है ?

श्री चरणसिंह—किसी को नहीं।

*३५—श्री विजयसिंह—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी फार्म के कितने एकड़ जमीन पर जापानी तरीके को धान की खेती १९६१ में हुई और उसकी पैदावार में साधारण तरीके के खेती के मुकाबले कितनी पैदावार फी एकड़ ज्यादा हुई और नये तरीके पर कितना खर्च प्रति एकड़ अधिक हुआ ?

श्री चरणसिंह—१९६१ में सरकारी फार्मों के १८४.८२ एकड़ भूमि पर जापानी तरीके से धान की खेती की गई जिसमें साधारण तरीके के मुकाबले १३ मन २५ सेर धान की पैदावार प्रति एकड़ अधिक हुई और प्रति एकड़ ९८.६९ रुपये अधिक खर्च हुआ।

*३६—श्री विजयसिंह—क्या कृषि मंत्री सदन की मेज पर सब प्रकार के राजकीय कृषि फार्मों के आंकड़े गत वर्ष के रखेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें हों :—

(१ नाम फार्म,
(२) अनुमानित व्यय व आय,
(३) वास्तविक व्यय व आय,
(४) लाभ या हानि,
(५) अनुमानित (estimates) के अन्तर का कारण ?

श्री चरणसिंह—गत वर्ष (१९६१–६२) के आंकड़े अभी संकलित नहीं हो पाये हैं। इन आंकड़ों में काफी छान-बीन करनी पड़ती है। जहां तक होगा १ माह के अन्दर सूचना उपलब्ध करा दी जायगी।

रोडवेज विभाग में टाट चट्टियों की कथित नीलामी तथा स्टेशनरी की चेकिंग

*३७—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो स्टेशनरी टाट आदि की चट्टियों में जनरल मैनेजर तथा सहायक जनरल मैनेजर, रोडवेज विभाग, उत्तर प्रदेश को दी जाती है वह चट्टियां स्टेशनरी निकालने के बाद नीलाम कर दी जाती हैं? यदि हां, तो १ अप्रैल, १९५८ से १ अप्रैल, १९६२ तक किस-किस रीजन में नीलाम से कितनी आमदनी सरकार को हुई?

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*३८—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग में जो स्टेशनरी इत्यादि सहायक सर्व प्रबन्धक के कार्यालय को दी जाती है उसकी कोई चेकिंग भी की जाती है? यदि हां, तो किसके द्वारा की गई तथा कब-कब की गई?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। स्टेशनरी की चेकिंग उसी कार्यालय के अधिकारी द्वारा होती है जिसको यह दी जाती है। इसकी चेकिंग कहीं त्रैमासिक निरीक्षण और कहीं वार्षिक निरीक्षण के समय होती है।

माता टीला बांध में डीजल तेल के कम प्राप्त होने की जांच

*३९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि माता टीला बाँध के लिये बर्मा शेल से ९ जनवरी, १९६२ को ५,६०० गैलन डीजल आया था पर स्टाक रजिस्टर में ५,१०० गैलन ही दर्ज है, ५०० गैलन गायब है तथा २५ मार्च, १९६२ को जो डीजल के लिये आया था उसमें से भी २६३ गैलन डीजल गायब है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति—जी हाँ, दिनाँक ९–१–६२ को डिलीवरी लेते समय टैंकर से ५०० गैलन डीजल तेल कम प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में रेलवे विभाग पर क्लेम (Claim) दायर कर दिया गया है।

दिनाँक २५–३–६२ को ५,६०० गैलन डीजल तेल की डिलवरी ली गई और इसे माता टीला पहुंचाया गया, जहाँ ३१–३–१९६२ को इसे नापने पर १९७.५ गैलन कम पाया गया। इस कमी के बारे में विभाग द्वारा जाँच की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में घाघरा के कटाव रोकने हेतु बंडाल

*४०—श्री इन्द्रासन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिये कितने बंडाल और किन-किन स्थानों पर बनवा रही है?

श्री राममूर्ति—आजमगढ़ जिले में घाघरा के कटाव को रोकने के लिये कोई स्पर (बंडाल) नहीं बन रहा है।

टर्मिनल रजबहा, आगरा में पानी की कमी की शिकायत

*४१—श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि २, जवाहर टर्मिनेल आगरा की नहर में पानी बहुत कम रहता है और पिछले कई वर्षों से इसकी शिकायत की जाती रही है कि पानी की कमी के कारण फसल की भी क्षति होती है? क्या सरकार बतायेगी कि कब तक पानी में सुधार होने की सम्भावना है?

श्री राममूर्ति—टर्मिनल रजबहा को रबी में जरूरत के मुताबिक पानी मिलता है। खरीफ में अवश्य पानी की कमी रहती है तथा रजबहा बहुत कम दिनों चल पाता है। राम गंगा योजना से पानी मिलने पर स्थिति में सुधार होगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमे

*४२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कितने मुकदमें ऐसे हैं जो ४ वर्षों से विचाराधीन हैं?

न्याय मन्त्री (श्री सैयद अली जहीर)—ऐसे मुकदमों की संख्या १३,१९८ है।

*४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुल विचाराधीन मुकदमों की संख्या क्या है?

श्री सैयद अली जहीर—कुल विचाराधीन मुकदमों की संख्या ५१,५९४ है।

फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट जजी स्थापित करने की मांग

*४४—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में भी वे अन्य जिलों की भांति डिस्ट्रिक्ट जजी कायम करने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इस पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

*४५—श्री दीपनारायणसिंह—[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न १३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६—श्री यादवेन्द्रदत्त, श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर), श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर) तथा श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—[हटा दिया गया।]

तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ की सिंचाई योजना

*४७—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील इगलास, जिला अलीगढ़ के किसानों की सिंचाई के साधनों की कमी और उनकी पिछड़ी हुई हालत को देख कर उस क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के साधनों की सुविधा प्रदान करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? अगर हाँ, तो वह योजना क्या है और उसके कार्यान्वित होने की कब तक आशा है?

श्री राममूर्ति—सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ७९६ पर)

मनवापुर विकास क्षेत्र, बस्ती में रासायनिक खाद का वितरण

*४८—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि मनवापुर विकास क्षेत्र, जिला बस्ती में गत वर्ष १९६१–६२ में ३,००० रु० की मुफ्त रासायनिक खाद आयी थी? यदि हाँ, तो उसका वितरण कहां-कहां और किसको किया गया?

श्री चरणसिंह—केवल २०० रुपए की खाद गई थी। वितरण का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ७९७ पर)

कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा प्राप्त प्रथम श्रेणी के विद्यार्थियों को नौकरियों में प्राथमिकता

*४९—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि एवं प्रसार डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण हुये १९६० के छात्रों को नौकरियों में स्थान न देकर उक्त स्कूल के १९६१ के विद्यार्थियों को स्थान दिया है? यदि हाँ, तो इन नियुक्तियों का आधार क्या है?

श्री चरणसिंह—जी हाँ। १९६१ की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को १९६० की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के नीचे स्थानों पर आये हुये विद्यार्थियों के ऊपर प्राथमिकता दी गई।

अन्तर्प्रदेशीय तथा वातानुकूलित बस सेवा योजना

*५०—श्री शान्तिचन्द (जिला गोंडा)—क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्प्रदेशीय बस सेवा कार्यान्वित किये जाने की कोई योजना है? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन प्रान्तों में बस सेवा कार्य चालू करने का विचार सरकार कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। केवल उत्तर प्रदेश। राजस्थान प्रदेशों के कुछ मार्गों पर।

*५१—श्री शान्तिचन्द—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वातानुकूलित बस सेवा कार्य चालू करना चाहती है? यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों से किन-किन स्थानों तक चालू वित्तीय वर्ष में उक्त बस सेवा कार्य प्रारम्भ हो जायगा?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। आगरा, दिल्ली मार्ग पर वातानुकूलित (Air conditioned) बस सेवा १ मई, १९६२ से चालू हो गई है।

ग्राम पिकौरा, जिला गोंडा में बधिकों की गिरफ्तारी

*५२—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम पिकौरा, थाना सैदुल्लानगर, गोंडा में मार्च, १९६२ के प्रथम सप्ताह में गोमांस व कुछ बधिक पकड़े गये थे? अगर हाँ, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री चरणसिंह—ग्राम पिकौरा, थाना सैदुल्लानगर, जिला गोंडा में ७ मार्च, १९६२ को पांच बधिक एक साथ गोमांस के साथ पकड़े गये। इन पाँचों के खिलाफ थाने में अलग-अलग मुकदमें कायम हुए और तफतीश हो कर दिनांक २२ मई, १९६२ को चालान अदालत में भेज दिये गये हैं। मुकदमें अभी जेरतजवीज अदालत हैं।

मैनपुरी जिले में ट्यूबवेलों पर व्यय

*५३—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह कितने ट्यूबवेल लगा रही है और किन-किन स्थानों पर ?

श्री राममूर्ति—कुल ४५ नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव है। स्थितिकरण के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*५४—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पंचवर्षीय योजना के अन्दर कितने बड़े बड़े और कितने छोटे-छोटे नहर के बम्बे वह बना रही है और उनसे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५५—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक ट्यूबवेल में अनुमानित कितना धन व्यय होता है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग द्वारा दो प्रकार के नलकूप बनाये जाते हैं, एक स्ट्रेनर टाइप (Strainer type) और दूसरा स्लाटेड टाइप (Slotted type) और साधारणतया इनकी अनुमानित लागत क्रमशः ४३,१४८ रुपये तथा ५४,२६८ रुपये के लगभग आती है। इलेक्ट्रिफिकेशन पर लगभग २२,००० रुपया प्रति नलकूल अलग से व्यय होता है।

बिजनौर जिले में नलकूप, कालागढ़ बांध की नहर से सिंचाई तथा रैनी बांध पर व्यय

*५६—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में सरकारी नलकूप की संख्या कितनी है ? इनमें से कितने चालू हैं ? जो बेकार पड़े हैं उनका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—बिजनौर जिले में इस समय २८८ नलकूप हैं जिसमें से २७८ नलकूप चल रहे हैं और १० नलकूप बन्द हैं। यह बन्द नलकूप डिस्चार्ज कम होने के कारण फेल हो गये हैं।

*५७—श्री बसन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर के कालागढ़ बाँध से निकाली जाने वाली नहर से जिला बिजनौर की भूमि के कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी?

श्री राममूर्ति—रामगंगा जलाशय से वर्तमान रामगंगा पम्पड नहर [जो ग्रैविटी (Gravity) नहर के रूप में परिवर्तित हो जायगी] से जिला बिजनौर को पानी देने का प्रस्ताव है। इससे ४,१७५ एकड़ भूमि रबी में तथा १,५२२ एकड़ (गन्ने) भूमि खरीफ में सिंचित हो सकेगी।

*५८—श्री बसन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रैनी बाँध पर सन् १९६०-६१ में तथा १९६१-६२ में कितना व्यय हुआ तथा १९६२-६३ में वह कितना व्यय करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—रैनी बाँध पर निम्नलिखित व्यय हुआ है :

	रु०
(१) १९६० की वर्षा के बाद तथा १९६१ की वर्षा के पहले	२,२३,८००
(२) १९६१ की वर्षा के बाद तथा १९६२ के पहले ..	१,१५,४७०

१९६२–६३ में वर्षा के पश्चात् एक लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

मिर्जापुर तथा राजघाट, जिला गोंडा के पम्पिंग स्टेशन

*५९—श्री बब्बनसिंह (जिला गोंडा)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में बलरामपुर राज्य की ओर से राप्ती नदी में जो दो पम्पिंग स्टेशन मिर्जापुर तथा राजघाट में लगे थे जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् उखाड़ लिये गये हैं, उनको फिर से चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राममूर्ति—ये दो पम्पिंग सेट जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बलरामपुर राज्य द्वारा उखाड़ लिये गये हैं। इनको फिर से चालू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है। अतएव इस पर कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

राप्ती नदी की बाढ़ से गोंडा जिले की कथित क्षति

*६०—श्री बब्बनसिंह—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोंडा में राप्ती नदी की बाढ़ से प्रत्येक वर्ष जो गाँव व फसल बरबाद हो जाती है उसको इस वर्ष बचाने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हाँ, तो वह क्या है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*६१—श्री बब्बनसिंह—[हटा दिया गया।]

लखनऊ में आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स

*६२—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिले में कुल कितने आनरेरी मैजिस्ट्रेट हैं और उनकी योग्यतायें क्या हैं?

श्री सैयद अली जहीर—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ७९८ पर।)

सरसा और सेंगर नदियों की बाढ़ से एतमादपुर, जिला आगरा की रक्षा-व्यवस्था

*६३—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा, तहसील एतमादपुर में सरसा और सेंगर नदी के बीच में जो भूमि पड़ती है वह गत कई वर्षों से गरकी का शिकार हो रही है? क्या यह भी सच है कि इस साल भी लगभग पचास गाँव में खरीफ की फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई? यदि हाँ, तो सरकार ने इस इलाके को गरकी से बचाने के लिये क्या योजना बनाई है?

श्री राममूर्ति—जी हाँ। इन नदियों से पिछले साल २५ ग्रामों में ८,३२५ एकड़ खरीफ की फसल को नुक्सान हुआ। इन नदियों के पानी निकालने की क्षमता को बढ़ाने तथा पाँच नालों के निर्माण की योजनाएं प्रस्तावित (proposed) हैं।

ग्राम सिरवां व नौहाई, जिला बांदा में बरसाती पानी का जमाव

*६४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी बांदा जिले के ग्राम सिरवाँ व नौहाई, तहसील नरैनी के अन्तर्गत हैं और उसमें दोनों तरफ नहरें होने के कारण बरसात में ४ तथा ६ फुट तक पानी भर जाता है? इस पानी को निकालने की क्या कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या?

श्री राममूर्ति—जी हाँ, परन्तु इन क्षेत्रों में केवल १ से २ फुट तक पानी भर जाया करता है और इसे निकालने के लिये कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

*६५—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस पानी के भरे रहने से हर साल ग्रामवासियों का कितने रुपये की लागत की फसल का नुकसान होता है, इसकी भी सरकार ने जाँच करवाई है?

श्री राममूर्ति—फसल का नुकसान होने के सम्बन्ध में किसी भी क्षेत्र से कोई रिपोर्ट नहीं आई, इसलिये जाँच करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

असोसियेटेड ट्यूब वेल कम्पनी द्वारा नलकूप न बनाने की शिकायत

*६६—श्री उमाशंकर—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असोसियेटेड ट्यूबवेल कम्पनी को सरकार ने पिछले सालों में कितने नलकूप बनाने का ठेका दिया था?

*६७—क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने एक भी नलकूप नहीं बनाया बल्कि इसके कारण सरकार को ५ लाख रुपये का घाटा सहन करना पड़ा?

*६८—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि किस अधिकारी ने उक्त कम्पनी को ठेका दिया और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—सूचना एकत्र की जा रही है।

बख्शी के तालाब में सेन्ट्रीफुगल व चर्बी निकालने की मशीन पर व्यय

*६९—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बख्शी के तालाब में साल से गट (ताँत) बनाने की, चर्बी अलग करने की सेंट्रीफुगल मशीन व चर्बी साफ करने की मशीनों में अलग-अलग कितना उत्पादन कार्य हुआ तथा मशीनों के प्राप्त करने व मेनटेन (maintain) करने में सरकार का कितना व्यय हुआ?

श्री चरणसिंह—बख्शी के तालाब पर गट (ताँत) बनाने की कोई मशीन नहीं है। केन्द्र पर सेन्ट्रीफुगल मशीन व चर्बी निकालने की मशीन है परन्तु जब से उपरोक्त मशीन लगाई गई है तब से ही अनेक प्रकार के निर्माणिक दोष (Manufacturing defects) सामने आये हैं जिनके कारण उस मशीन पर काम न हो सका। नीदरलैंड्स सरकार ने उपरोक्त मशीन में निर्माणिक दोष (Manufacturing defects) होने के कारण उसके स्थान पर एक हाइड्रोलिक फ्रैट प्रेस (Hydraulic fat press) भेजा है और उसे इस समय स्थापित किया जा रहा है।

इन मशीनों पर कुल लागत तथा हालैण्ड से भारत तक भेजने एवं उनके स्थापित करने में जो भी व्यय हुआ है उसको नीदरलैण्ड्स सरकार ने ही दिया है। भारत सरकार का केवल १३४ रुपया रेल भाड़े के रूप में बम्बई से लखनऊ तक मशीन के आने में देना पड़ा है। इनके रख-रखाव में किसी प्रकार का व्यय नहीं हुआ है।

माताटीला बांध में डूब की जमीन का वितरण तथा अनधिकृत काश्तकारों के विरुद्ध कार्यवाही

*७०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध, जिला झांसी में डूब की जमीन जो खाली हो जाती है और रबी की फसल बोई जाती है, उक्त भूमि को ग्रामीणों के लिये बांट दिया गया है, यदि हां, तो किन शर्तों पर क्या सरकार भूमि मिलने वालों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—माताटीला के स्पिलवे (Spillway) का क्रस्ट लेविल आर० एल० ९८९ है। इस आर० एल० ९८९ के ऊपर डूब से निकली हुई काश्त के काबिल जमीन अंग्रेजी फार्म आई० डी० ११५ की शर्तों के अनुसार काश्तकारों को पट्टों पर वितरण कर दी गई है। जितने कृषकों को ऐसी भूमि वितरण की गई है उनकी ग्रामवार संख्या संलग्न सूची में दी गई है। आर० एल० ९८९ के नीचे की भूमि जब डूब से निकलती है तो उसे भी रबी की फसल के लिये वितरण कर दिया जाता है। इस भूमि का किसी भी शर्त पर पट्टा नहीं कराया जाता केवल अधिकारी कृषकों के प्रार्थना पर उसको वितरण कर देते हैं। प्रत्येक ग्राम में कृषकों की संख्या की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ७९९ पर)

*७१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५९, १९६० तथा १९६१–६२ में किन-किन व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कितनी-कितनी भूमि बोली थी और किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५९–६० तक जिस काश्तकार की भूमि डूब से निकल जाती थी वह अपनी-अपनी भूमि जोत लेता था और उससे लगान वसूल कर लिया जाता था। सन् १९६०–६१ व १९६१–६२ में जिन कृषकों ने अनधिकृत रूप से काश्त कर ली थी उन पर मुकदमें चलाये गये तथा सिंचाई विभाग ने चेतावनी दी। सन् १९६०–६१ में ६२ व्यक्तियों पर अदालत से जुर्माने हुये और ४० व्यक्तियों को भविष्य में अनधिकृत रूप से काश्त न करने की चेतावनी दी गई। सन् १९६१–६२ में तीन व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये और जुर्माने हुये तथा तीन व्यक्तियों को चेतावनी दी गई।

*७२–७३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

किजनियां बांध, बांदा की लागत और आबपाशी

*७४—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील मऊ (बांदा) के अन्तर्गत किजनियां बांध (मारकुन्डी) की लागत क्या है और उससे आज तक कितनी आबपाशी हुई ?

श्री राममूर्ति—प्रथम भाग—१,६७,९२६ रुपया, द्वितीय भाग—१२३ एकड़।

*७५—श्री मतोलासिंह—यदि नहीं, तो आबपाशी न होने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता है।

*७६—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह भी स्पष्ट करेगी कि इस बांध का निर्माण क्या गलत किया गया ? यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं।

*७७-७८-श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न १३८-१३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*७९-श्री मैनेजर (जिला बलिया)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*८०-८१--श्री मैनेजर--[९वें गुरुवार के लिये प्रश्न २१८-२१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में मत्स्यपालन योजना

*८२-श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)--क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्यपालन योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में कहां-कहां मत्स्यपालन का काम हो रहा है और वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में किन-किन व्यक्तियों को कितने-कितने रुपये का अनुदान दिया गया है ?

श्री चरणसिंह--आजमगढ़ जिले में जिन स्थानों पर मत्स्य पालन कार्य हो रहा है तथा जिन व्यक्तियों को वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में अनुदान दिये गये हैं, का विस्तृत विवरण क्रमशः तालिका 'क' तथा 'ख' में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ८००-८०१ पर)

*८३-श्री मंगलदेव--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को मत्स्य पालन के लिये अनुदान दिया गया है, क्या वे ट्रेन्ड हैं ? यदि हां, तो उनकी ट्रेनिंग कहां हुई है ?

श्री चरणसिंह--जिन व्यक्तियों को अनुदान दिया गया है उन्होंने किसी विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षा नहीं पायी है ।

*८४-श्री मंगलदेव--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि योजना काल में अब तक उस जिले में कितने मन मछलियों का उत्पादन हुआ और किस बाजार में बिक्री हुई ?

श्री चरणसिंह--विभागीय जलाशयों से द्वितीय योजना काल से १९६१-६२ तक १८ मन ३२ सेर १२ छटांक मछली का उत्पादन हुआ जो मेहनगर (आजमगढ़) तथा जौनपुर में बिकीं ।

*८५-श्री रक्षपालसिंह--[हटा दिया गया ।]

राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों का कार्य-काल

*८६-श्री रक्षपालसिंह--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के कितने कर्मचारियों से ६ घंटे ड्यूटी ली जाती है और कितने से ८ घंटे तथा ८ घंटे की ड्यूटी किन नियमों के आधार पर ली जाती है ?

श्री राममूर्ति--राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन विधायक निवास, आफिसर्स रेस्ट हाउस तथा गेस्ट हाउस आदि में नियुक्त कर्मचारियों से ८ घंटे की ड्यूटी ली जाती है । राज्य सम्पत्ति कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों से ७ घंटे की ड्यूटी ली जाती है । अवधाता तथा ड्राइवरों की ड्यूटी के घंटे नियत नहीं हैं । उपरोक्त ड्यूटी के घंटे साधारण नियम के आधार पर और शासन की सुविधा को देखते हुये नियत किये गये हैं ।

*८७-श्री रक्षपालसिंह--[हटा दिया गया ।]

लखीमपुर तथा कैसरबाग, लखनऊ में बस स्टेशन का निर्माण

*८८—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस समय तक लखीमपुर में रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण होगा और कितना धन उक्त स्टेशन के निर्माण में व्यय होगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—इस वित्तीय वर्ष में निर्माण होने की संभावना है । इसमें २०,००० रु० के लगभग खर्च होगा ।

*८९—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रोडवेज बसों के किराये में एकरूपता (यूनिफार्मिटी) क्यों नहीं है ? क्या सरकार किराये में एकरूपता लाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री मुजफ्फरहसन—रोडवेज बसें विभिन्न प्रकार की सड़कों पर और विभिन्न प्रकार के रूट्स पर चलती हैं । इस समय सरकार के सामने ऐसी कोई योजना नहीं है ।

*९०—**श्री तेज नारायण त्रिवेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कैसरबाग (लखनऊ) रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हुआ है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मुनासिब जमीन न मिल सकने के कारण ।

*९१-९२—**श्री ब्रह्मदत्त मायर** (जिला सहारनपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*९३—**श्री रघुवीर** (जिला गाजीपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९४—**श्री परमाई** (जिला हरदोई)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*९५—**श्री जगन्नाथ राव** (जिला जौनपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

स्टाकमैनों का वेतन कम्पाउण्डरों से कम होने की शिकायत

*९६—**श्री जगन्नाथ राव**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कार्य की अधिकता तथा सुपीरियर होने के बाद भी स्टाकमैनों का वेतन कम्पाउन्डरों से कम क्यों है ?

श्री चरणसिंह—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*९७—**श्री रघुनाथसिंह** (जिला वाराणसी)—[नवें गुरुवार के लिये प्रश्न २०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

राजकीय बसों के नये रूट्स

*९८—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में कितने नये रूट जिन पर इस समय प्राइवेट बसें चलती हैं राजकीय बसें चलाने की योजना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ८०२ पर)

धघौरा ग्राम, जिला फतेहपुर में नहर की गूल का श्रमदान द्वारा निर्माण

*९९—**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री को यह पता है कि फतेहपुर जिले में धधौरा ग्राम में कोई नहर १ १/२ मील लम्बी, जनता ने नहर विभाग के आश्वासन तथा सुझाव पर तथा नियोजन के अनुदान से श्रमदान द्वारा निर्मित की ?

श्री राममूर्ति—फतेहपुर जिले में धधौरा ग्राम में नहर की एक पुरानी गूल जनता ने श्रमदान द्वारा केवल बढ़ाई व सीधी की थी। इस कार्य में नहर विभाग ने केवल टेक्निकल राय दी थी।

*१००—**श्री हिम्मतसिंह** तथा **श्री रक्षपालसिंह**—क्या सरकार ने उसे नहर विभाग के अन्तर्गत लेने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो सरकार उससे पीछे क्यों जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसको नहर विभाग के अन्तर्गत लेकर जनता को सुविधा देगी ?

श्री राममूर्ति—इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। इस माइनर को नहर विभाग के अन्तर्गत लेने का कोई विचार नहीं है।

अलीगढ़ सेन्ट्रल डेरी फार्म की जमीन

*१०१—**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ सेंट्रल डेरी फार्म में कितनी जमीन है और कौन जोतते बोते हैं ?

श्री चरणसिंह—अलीगढ़ सेंट्रल डेरी फार्म में ४६५ एकड़ भूमि है। जिसमें से १३१ एकड़ भूमि कृषि के प्रयोग में लाई जाती है। खेती सरकार द्वारा की जाती है।

*१०२—**श्री रामप्रसाद देशमुख**—क्या सरकार की कोई योजना है कि उस जमीन को उन लोगों को जोतने को दे जिनके पास जमीन नहीं है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

राठ तथा महोबा सड़कों पर प्राइवेट बसों के किराये

*१०३—**श्री डूंगरसिंह** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हमीरपुर जिले में राठ-हमीरपुर सड़क पर जो २३ अप्रैल, १९६२ से सरकारी बसें चल रही हैं उनका किराया प्राइवेट लारियों के किराये से जो उस सड़क पर पहले से चल रही थीं, कितना अधिक प्रति मील लिया जाता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—सरकारी बसों के लोअर क्लास का किराया लगभग १/२ पाई प्रति मील अधिक है। प्राइवेट लारियों में अपर क्लास नहीं था।

*१०४—**श्री डूंगरसिंह**—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर से राठ तथा हमीरपुर से महोबा की पी० डब्ल्यू० डी० के माइल स्टोन के हिसाब से अलग-अलग क्या दूरी है और दोनों फासलों का बसों का किराया कितना कितना है ?

श्री मुजफ्फर हसन—वांछित सूचना इस प्रकार है :

मार्ग		दूरी	किराया			
			लोअर		अपर	
		मील	रु०	न०पै०	रु०	न०पै०
हमीरपुर से राठ	..	५०	२	२२	२	६२
हमीरपुर से महोबा	..	५३	२	१२	२	५३

*१०५—श्री डूंगरसिंह—क्या सरकार को पता है कि सन् १९५८ में जो सरकारी बस राठ से कानपुर वाया हमीरपुर चलती थी उसका राठ से हमीरपुर तक का लोअर और अपर क्लास का किराया क्रमशः एक रुपया साढ़े पन्द्रह आना और दो रुपया साढ़े पांच आना था ? यदि हां, तो इस समय वह किराया दो रुपया नौ आना और दो रुपया साढ़े पन्द्रह आना क्यों हो गया, जबकि सरकारी बसों के किराये की दरें तब से अब तक नहीं बढ़ी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९५७ में (१९५८ में नहीं) किराये की दरें यही थीं। इस समय लोअर और अपर क्लास का किराया "बी" श्रेणी के मार्गों की अनुसूचित दरों पर क्रमशः रु० २.२२ न० पै० रु० २.६२ न० पै० लिया जा रहा है क्योंकि यह "बी" श्रेणी का मार्ग है।

*१०६—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी)—[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न १६१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०७-१०८—श्री रामपालसिंह (जिला मुरादाबाद)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१०९—श्री सुखदेवप्रसाद—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

प्रतापगढ़ जिले का रायबरेली जजी से पृथकीकरण

*११०—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार के समक्ष प्रतापगढ़ जिले की जजी को रायबरेली से अलग करने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब कार्यान्वित होगी ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी हां। लेकिन अभी उस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

बाराबंकी बस स्टेशन पर पेय जल की व्यवस्था

*१११—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज बस स्टेशन बाराबंकी में यात्रियों के पीने के पानी के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री मुजफ्फर हसन—घड़ों में पानी भरा रहता है। पिलाने के लिये एक पानी वाला भी है।

*११२—श्री नत्थाराम रावत—क्या यह सही है कि जो पानी पीने के लिये हैण्ड पाइप लगाया गया था वह आरम्भ से ही खराब है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। पानी के साथ मिट्टी आने के कारण हैण्ड पाइप हटा दिया गया था।

राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर के हेडक्लर्क का स्थानान्तरण

*११३—श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय कृषि विद्यालय, बुलन्दशहर का हेडक्लर्क लगभग १४-१५ सालों से उक्त विद्यालय में उक्त पद पर कार्य करता चला आ रहा है और उसका स्थानान्तरण नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—जी हां। मिनिस्टीरियल स्टाफ के स्थानान्तरण के लिये कोई ऐसी निर्धारित अवधि नहीं है जिसके बाद स्थानान्तरण करना अनिवार्य हो।

*११४—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—[७वें सोमवार के प्रश्न ८९ के के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११५-११६—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*११७-११९—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फतेहपुर जिले की कथित सुल्तानगढ़ माइनर नहर

*१२०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की विन्दकी तहसील में स्थित सुल्तानगढ़ माइनर के बढ़ाने का सर्वे फतेहपुर डिवीजन के अधिकारियों द्वारा गत वर्षों में किया गया है? यदि हां, तो कितनी-बार और किन-किन सालों में किया गया?

श्री राममूर्ति—इस डिवीजन में सुल्तानगढ़ नाम की कोई माइनर नहीं है। अतः उसके बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

*१२१—श्री रामकिशोर वर्मा—उक्त सर्वे से उक्त माइनर की कितनी लम्बाई बढ़ाने का सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ और तत्पश्चात् सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

*१२२—श्री रामकिशोर वर्मा—क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि उक्त माइनर को जहां बढ़ाने का सर्वे किया गया है, वहां भूमि समतल है और वहां किसी प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है फिर भी सर्वे के पश्चात् माइनर बढ़ाने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या सरकार के समक्ष माइनर के बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो सिंचाई की सुविधा कब तक और किन-किन गांवों को उपलब्ध हो सकेगी?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

*१२३-१२५—श्री शारदासिंह (जिला हरदोई)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राजस्थानी रेगिस्तान के बढ़ाव को रोकने की व्यवस्था

*१२६—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजस्थान का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर बराबर बढ़ता चला आ रहा है? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम की क्या व्यवस्था कर रही है?

श्री चरणसिंह—जी नहीं, सरकार ने इस रेगिस्तान के बढ़ाव को रोकने के लिये सन् १९६२ से उत्तर प्रदेश राजस्थान की सीमा पर वनरोपण योजना आरम्भ की है। इसके फलस्वरूप जिन क्षेत्रों में वनरोपण किया गया है जहां वहां पहले की अपेक्षा अब वर्षा अधिक हो रही है और जल स्तर ऊपर उठ रहा है तथा रेगिस्तान का बढ़ना किसी हद तक रुक गया है।

*१२७-१२८—श्री जगदम्बाप्रसाद तथा श्री भीमाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—[८ वें बुधवार के लिये प्रश्न ९०-९१ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

विधान सभा के पुराने सदस्यों पर बकाया और राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र

*१२९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग की ओर से पुराने सदस्यों को प्रमाण-पत्र भेज दिये गये हैं कि उन पर कोई बकाया है या नहीं? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि यदि नहीं भेजे गये तो कब तक पहुंच जायेंगे?

श्री राममूर्ति—अब तक जितने सदस्यों के मामले महालेखापाल, उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त हुए हैं उनमें अधिकाँश के विषय में प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके हैं। केवल थोड़े से प्रमाण-पत्र सदस्यों की ओर से कार्यवाही पूरी न होने के कारण रुके हैं जिसके पूरे होते ही यह प्रमाण-पत्र भी जारी कर दिये जायेंगे।

*१३०–१३१–श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३२–१३३—श्री सुखदेवप्रसाद—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३४–१३५—श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३६–१३७—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादबाद)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

यातायात विभाग में रीजनों की स्थापना तथा रीजनल टेक्निकल इंसपेक्टरों के पद

*१३८—श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यातायात विभाग की स्थापना किस सन् में हुई और रीजन तथा रीजनल टेक्निकल इंस्पेक्टर के स्थान कितने व किस सन् में बनाये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—यातायात विभाग की स्थापना सन् १९४५ में हुई। सन् १९४५ में सात रीजन, १९४६ में एक रीजन, १९५४ में दो सब-रीजन, १९६१ में एक सब-रीजन खोले गये और १९६१ में एक सब-रीजन को रीजन में तब्दील कर दिया गया।

रीजनल इन्सपेक्टर टेक्निकल के स्थान १९४५ में ६, १९४७ में ४ व १९६२ में २ बनाये गये। इनमें से १ पद के स्थान पर असिस्टेन्ट रीजिनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर (टेक्निकल) का पद स्वीकृत कर दिया गया है।

*१३९—श्री रघुवीरसिंह—यदि हाँ, तो सन् १९४२ ई० से सन् १९४५ ई० तक उपरोक्त विभाग में कितने रीजनल टैक्निकल इंस्पेक्टर थे और उनके क्या-क्या नाम थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—सन् १९४५ से पहले रीजिनल इन्सपेक्टर टेक्निकल का कोई पद नहीं था। सन् १९४५ में ६ रीजिनल इन्सपेक्टर टेक्निकल रखे, गये जिनके नाम इस प्रकार है :

श्री आर० एन० ग्रोवर,
श्री डब्लू० एडगर्ली,
श्री सुखा सिंह,
श्री टी० एन० व्यास,
श्री बी० फिलिप्स,
श्री आई० बी० पेपर।

ग्राम लयिगवां, जिला फतेहपुर में चकबन्दी के समय मारपीट व बलवे की शिकायत

*१४०—श्री दीपनारायणसिंह—उन सरकारी नहरों की नालियों को, जिन्हें दौरान चकबन्दी या चकबन्दी के उपरान्त काश्तकारों ने अपने चकों में गिरा कर मिला लिया है और बनाने से इनकार किया है, पुनः पूर्वत् स्थिति में बनवाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है ?

श्री राममूर्ति—गूलें कृषकों की अपनी सम्पत्ति होती हैं। सिंचाई विभाग गूलों को फिर से बनाने के लिये स्वतः कुछ नहीं कर सकता। कृषकों की कठिनाई के ऊपर विचार करने के बाद ऐसी गूलों को पुनः स्थापित करनेके लिये ब्लाक डेवलपमेन्ट आफिसरों तथा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसरों द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

*१४१—श्री दीपनारायणसिंह—क्या सरकार को पता है कि सिंचाई के समय इस प्रश्न को लेकर अनेक गांवों में विशेष कर ग्राम लयिगवां, थाना ललौली, जिला फतेहपुर में मारपीट व बलवा भी हो गया था और उसके केस भी चल रहे हैं?

श्री राममूर्ति—नहर के किसी खंड में कैनाल मैजिस्ट्रेट के पास इस प्रकार का कोई मामला नहीं है।

*१४२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१५वें गुरुवार के लिये प्रश्न २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गया।]

*१४४-१४५—श्री गंगाप्रसाद—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गये।]

*१४६—श्री रामआधार कनौजिया (जिला बहराइच)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४७-१४९—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५०—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[हटा दिया गया।]

*१५१—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५२—श्री छत्रपति अम्बेश—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५३-१५४—श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५५—श्री रघुवीर—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

ग्राम ताजपुर देहवां, जिला गाजीपुर में पशु-सेवा केन्द्र

१५६—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपया करेगी कि जिला गाजीपुर ग्राम ताजपुर देहवां में कोई पशु-चिकित्सालय था यदि हां, तो वह चिकित्सालय क्यों तोड़ दिया गया?

श्री चरणसिंह—ग्राम ताजपुर देहवां जिला गाजीपुर में कोई पशु-चिकित्सालय नहीं था। एक पशु सेवा केन्द्र अगस्त, १९५८ में वहां स्थापित किया गया था जो बाद में अर्थात् दिसम्बर, १९६१ में बन्द कर दिया गया क्योंकि ब्लाक बाराचौर, जिसमें कि उपरोक्त ग्राम भी सम्मिलित है, में एक अन्य पशु सेवा केन्द्र ग्राम करीमुद्दीनपुर में स्थित था।

१५७-१५९—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले में ग्रांड ट्रंक रोड पर बस दुर्घटना

*१६०—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत १५ मई, १९६२ तक १९ मई, १९६२ के बीच ग्रांट ट्रंक रोड पर कानपुर जिले में कोई रोडवेज बस दुर्घटना हो गयी ? यदि हां, तो कितने धन, जन का नुकसान हुआ ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। बस की अनुमानित ३,५०० रु० की क्षति के अतिरिक्त कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ।

*१६१-१६२—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

गोरखपुर रोडवेज वर्कशाप में 'लीलैंड' बस के खड़ी रहने की शिकायत

*१६३—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रोडवेज वर्कशाप में "लीलैंड" बस नं० यू० एस० बी० २७४२, १९६० से १९६१ तक पूरे साल भर खड़ी थी ? यदि हां, तो खड़ी होने का क्या कारण है ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह सही नहीं है। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सचिवालय स्थित मंत्रिमण्डल कक्ष के वातानुकूलन पर व्यय

*१६४—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री भीखा लाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ सचिवालय स्थित मंत्रीमंडल कक्ष को वातानुकूलित किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय का अनुमान है ?

श्री राममूर्ति—यह कक्ष वातानुकूलित किया जा चुका है जिस पर निम्नलिखित व्यय हुआ है :

				रु०
वातानुकूलित करने की मशीन पर	..	..	..	१९,७००
विद्युत् पर	..	..	..	९,३००
दूसरी छत लगाने पर	..	..	..	९,१००
		कुल व्यय	..	३८,१००

*१६५—कुंवर श्रीपालसिंह, श्री लखपतराम शर्मा तथा श्री भीखालाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि लखनऊ सचिवालय में स्थित मंत्रियों के आफिसेज जिसमें वे स्वयं बैठते हैं तथा कैबिनेट रूम वातानुकूलित करने का विचार है यदि हां, तो कब तक तथा कितने व्यय के उपरान्त ?

श्री राममूर्ति—कैबिनेट रूम को छोड़ कर मंत्रियों के बैठने के और किसी कमरे को वातानुकूलित करने का अभी कोई विचार नहीं है।

*१६६-श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१६७-१६९—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७०—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१७१-१७२—श्री संतसिंह यूसुफ—[२८ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७३—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

फर्रुखाबाद के राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*१७४—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद के कितने राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र पेन्शन तथा लड़कियों की शादी के लिये सहायता पाने के लिये सरकार के पास इस समय विचाराधीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—फर्रुखाबाद के २३ राजनैतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र इस समय सरकार के विचाराधीन हैं ।

*१७५-१७६—श्री रामसमझावन (जिला जौनपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोरखपुर परिवहन मण्डल के अन्तर्गत बस दुर्घटनाएं

*१७७—श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, सन् १९६२ से लेकर २० मार्च, सन् १९६२ तक गोरखपुर परिवहन मण्डल के अन्तर्गत कितनी बस दुर्घटनायें हुई हैं और उनमें कितने जन-धन की हानि हुई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—१९ बस दुर्घटनायें हुईं जिनमें २ व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा १२,२६६ रु० ११ नये पैसे की राजकीय क्षति हुई है ।

*१७८—श्री रामायणराय—क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत ९ मई से १८ मई तक गोरखपुर-कसिया तमकुही रोड तथा गोरखपुर, देवरिया राजमार्गों पर कितनी बस दुर्घटनायें हुई हैं और उनके अलग-अलग कारण क्या थे ?

श्री मुजफ्फर हसन—सिर्फ एक बस दुर्घटना गोरखपुर, कसिया, तमकुही रोड पर हुई जिसका कारण प्राइवेट ट्रक ड्राइवर की लापरवाही थी ।

*१७९-१८१—श्री लखपतराम शर्मा—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

मैनपुरी जिले में विभिन्न पदों पर अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारी

*१८२—श्री रामसिंह—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जिले में नीचे लिखे पद पर कितने व्यक्ति इस समय काम कर रहे हैं और उनमें से क्रमशः कितने अनुसूचित तथा पिछड़े वर्ग से हैं ?

(क) कामदार,
(ख) काटन सुपरवाइजर,
(ग) कृषि इंस्पेक्टर,
(घ) क्लर्क,
(ङ) चपरासी,
(च) चौकीदार ।

श्री चरणसिंह--कुल ९२ व्यक्ति कार्य कर रहे हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ८०३ पर)

*१८३--**श्री जगदीशनारायण सिनहा** (जिला सहारनपुर)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

गोरखपुर जिले में रोडवेज की बसें

*१८४--**श्री दुर्योधन** (जिला गोरखपुर)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में किन-किन रोडों पर कितनी-कितनी एक्सप्रेस और कितनी साधारण बसें जो हर स्टेशन पर रुकती हैं चलायी जा रही हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--रोडवेज बसों की सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ८०४ पर)

*१८५--**श्री रघुनाथ सिंह**--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

रोडवेज विभाग में चेकिंग इन्स्पेक्टर्स

*१८६--**श्री रतीपाल** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार बतायेगी कि रोडवेज विभाग में कितने चेकिंग इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो चार वर्ष से अधिक समय से उसी स्थान पर कार्य कर रहे हैं?

श्री मुजफ्फर हसन--३७।

*१८७--**श्री घनश्यामदास** (जिला बाराबंकी)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८८--**श्री छांगुर** (जिला आजमगढ़)--[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

पशुधन एवं कृषि विभाग, लखनऊ के ट्रैक्टर कर्मचारी

*१८९--**श्री मुकुटबिहारीलाल** (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय पशुधन एवं कृषि यू०पी० लखनऊ के अन्तर्गत ट्रैक्टर कर्मचारियों को गत लगभग १० व १२ वर्षों से कार्य करने के बाद भी अभी तक स्थायी नहीं किया गया?

श्री चरणसिंह--जी हां। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो लगभग १०:१२ वर्ष से कार्य कर रहे हैं, किन्तु अभी तक अस्थायी हैं।

*१९०--**श्री मुकुटबिहारीलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या ट्रैक्टर क्लीनरों से ट्रैक्टर आपरेटरों का काम लिया जाता है। अगर हां, तो कितने ट्रैक्टर क्लीनरों को आपरेटर का चांस तथा ग्रेड दिया गया?

श्री चरणसिंह--जी हां। ट्रैक्टर आपरेटरों के पदों पर नियुक्तियां ट्रैक्टर क्लीनरों की पदोन्नति करके की जाती है। अब तक आठ क्लीनरों को आपरेटर के पदों पर नियुक्त किया गया है।

*१९१--**श्री मुकुटबिहारीलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ट्रैक्टर के मैकेनिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाती है? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह--जी हां। वार्षिक वृद्धियां संतोषजनक कार्य करने तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती हैं।

झांसी के नहर-विभागीय कारखाने से गन मेटल की चोरी

*१९२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सिंचाई मंत्री को कुछ मास पूर्व इस प्रकार की सूचना मिली है कि नहर विभाग के झांसी कारखाने से कुछ पीतल की चोरी हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—पीतल की तो नहीं किन्तु गन मेटल की चोरी जरूर हुई थी। इस चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी। परन्तु पुलिस इस चोरी का कोई पता नहीं लगा पायी है।

*१९३—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर-उन्नाव-हरदोई मार्ग पर बसों का आयोजन

*१९४—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—क्या सरकार का इरादा कानपुर उन्नाव-हरदोई मार्ग पर बसें चलाने का है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां। निश्चित अवधि बताया जाना सम्भव नहीं है।

स्पेशल आनरेरी मैजिस्ट्रेट, बाराबंकी की अदालत में मुकदमे

*१९५—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिला के अन्तर्गत स्पेशल आनरेरी मजिस्ट्रेट और बेंच में इस समय कितने मुकदमें चल रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—२६२।

*१९६—श्री गिरजाप्रसाद—चालू मुकदमों की अलग-अलग संख्या और उनकी अवधि क्या हो गई, है ? क्या ऐसा भी है कि बहुत से मुकदमों में जिनकी अवधि २ या ३ साल हो गई, कोई भी गवाही नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर—

(क) तीन मास से कम मुकदमे	२३५
एक साल से कम मुकदमे	१९
एक और दो साल के अन्दर वाले मुकदमे ..	६
दो साल से ज्यादा मुकदमे ..	२
(ख) ऐसा कोई मुकदमा नहीं है	

परिवहन डिपो, कानपुर के कर्मचारियों के तबादले की मांग

*१९७—श्री रामसिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर डिपो में ए०टी०आई० और सीनियर फोरमैन जो कि ४ और ५ साल से उसी जगह पर कार्य कर रहे हैं उनके तबादले क्यों नहीं किये जा रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कानपुर डिपो में सिर्फ एक असिस्टेंट ट्राफिक इन्स्पेक्टर ४ साल से ज्यादा समय से काम कर रहा है और उसके तबादले का मसला विचाराधीन है। कोई भी सीनियर फोरमैन ४ साल से ज्यादा वहां नहीं है।

ए० टी० आईज के तबादले के लिये कोई समय की रोक नहीं है। इनका तबादला तब ही किया जाता है जब जनहित में आवश्यक समझा जाता है।

*१९८-१९९—चौधरी अब्दुलहसीब खां (जिला बहराइच)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२००—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०१—श्री सूरजपालसिंह (जिला बदायूं)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

इतमादपुर, जिला आगरा के रोडवेज बस स्टैण्ड में बिजली व्यवस्था की मांग

*२०२—श्री शिवचरण—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला आगरा रोडवेज बस स्टैण्ड इतमादपुर में बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं है और वहां रात के ११ बजे तक बस चलती है? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री मुजफ्फर हसन—बिजली तो नहीं है पर पैट्रोमैक्स की रोशनी का प्रबन्ध है। बिजली लगवाने का अभी विचार नहीं है।

कैराना-सहारनपुर देहली मार्ग पर बस चलाने के लिये प्रार्थना-पत्र

*२०३—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नकर्ता की ओर से कस्बा कैराना जिला मुजफ्फरनगर से सहारनपुर देहली के लिये रोडवेज की बस चालू करने के लिये सरकार को पत्र मिला जिसके साथ वहां की स्थानीय जनता के प्रार्थना-पत्र की मूल-प्रतिलिपि भी संलग्न थी। यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुजफ्फर हसन—एक पत्र दिनांक २९ जून, १९६२ को प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ जनता का प्रार्थना-पत्र नहीं था। पत्र विचाराधीन है।

*२०४-२०६—श्री रामसिंह—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०७-२०९—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पशुपालन निदेशकालय के बरखास्त कर्मचारी की अपील के निस्तारण में विलम्ब की शिकायत

*२१०—श्री नेकराम शर्मा—क्या कृषि एवं पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त नौकरी से बरखास्त या पृथक किये गये कर्मचारियों की ऐसी कितनी अपीलें निर्णय हेतु पड़ी हुई हैं जो ३० अप्रैल, १९६२ को डेढ़ वर्ष या इससे अधिक की पुरानी हो चुकी हैं, परन्तु अभी निर्णय होना बाकी है? निर्णय में विलम्ब क्यों हुआ, और उसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री चरणसिंह—पशु-पालन निदेशकालय के अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त नौकरी से पृथक किये गये केवल एक कर्मचारी की अपील ३० अप्रैल, १९६२ को १ साल ९ महीने पुरानी हो चुकी है, जिसमें निर्णय होना बाकी है। इस अपील से संबंधित तथ्यों की पुष्टि के लिये विभिन्न अधिकारियों से पत्र व्यवहार करने के कारण विलम्ब हुआ, जिसके लिये किसी विशेष कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं है।

*२११—श्री भूप सिंह (जिला अलीगढ़)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१२—श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री विजयपालसिंह—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१३—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला मिर्जापुर के जसौली तप्पे में सिंचाई व्यवस्था की मांग

*२१४—श्री रामलाल पाठक (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार राबर्ट्सगंज तहसील के जसौली तप्पे में सिंचाई की कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। क्षेत्र पहाड़ी और काफी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां पर कोई सिंचाई सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है।

*२१५-२१६—श्री झारखंडेराय—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१७—श्री सुखलाल (जिला लखनऊ)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१८-२१९—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*२२०—श्री कैलाश—[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२२१—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

आगरा शहर में बस स्टेशनों में प्रतीक्षालय

*२२२—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "आगरा सिटी बस सर्विस" के मार्ग में बसों के ठहरने के स्थान पर यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—ताज, आगरा कलेक्टरी, राजामंडी, हरिपर्वत, सिविल कोर्ट और दयालबाग में प्रतीक्षालय के लिये जमीन का प्रबन्ध किया जा रहा है।

*२२३—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२२४—श्री शिवसम्पति शर्मा—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२५—श्री भीखालाल—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये प्रश्न १०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बद्रीनाथ बस दुर्घटना जांच समिति की सिफारिशें

*२२६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बद्रीनाथ बस दुर्घटना जांच समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—बद्रीनाथ बस दुर्घटना जांच समिति की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है।

*२२७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कमेटी ने कौन-कौन सी मुख्य सिफारिशें की हैं और उनमें से कौन-कौन सी अब तक लागू कर दी गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—कमेटी की सिफारिशे अभी सरकार के विचाराधीन हैं। यात्री सीजन से पहिले ही फौरी मामलों पर उचित कार्यवाही की गई थी।

शारदा व घाघरा नदियों के कारण तहसील निघासन जिला खीरी के बाढ़ पीड़ितों को सहायता

*२२८—**श्री तेजनारायण त्रिवेदी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में लगभग १२० मील लम्बी दो बड़ी नदियां शारदा व घाघरा से घिरी हुई तहसील निघासन में कितने ग्राम गतवर्ष के सैलाब में कट गये थे। उन ग्रामीणों के बसाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया और क्या-क्या सुविधायें प्रदान कीं और इस वर्ष आगामी सैलाब से किन-किन ग्रामों के कट जाने का खतरा है और सरकार क्या उपाय कर रही है जिससे ग्रामीण जनता सैलाब से अपने को सुरक्षित कर सके?

श्री राममूर्ति—गत वर्ष खीरी जिले की तहसील निघासन में सैलाब से सात गांव कट गये थे जो कि इस प्रकार हैं:—

१—राजापुर पैभन, २—चहमलपुर, ३—रामलोक, ४—चहेलुआ, ५—ओझापुरवा, ६—फकीरेपुरवा तथा ७—खराती पुरवा।

खैराती पुरवा को छोड़कर बाकी सभी ग्रामों के बाढ़ पीड़ितों को गांव समाज की भूमि पर अथवा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर बसा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जहां जरूरी पाया गया वहां ३,३०० रुपया तकावी तथा ६०० रुपये की अहेतुकी सहायता (Gratutious relief) दी गई व ३ नल फकीरेपुरवा तथा चहेलुआ ग्रामों में ४३७ रुपये की लागत पर लगाये गये।

जहां तक खैरातीपुरवा का संबंध है वहां बाढ़ पीड़ितों को वन विभाग की १० एकड़ भूमि पर बसाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उक्त गांव के बाढ़ पीड़ित निवासियों को बन विभाग की ९०० एकड़ खेती योग्य भूमि दिलाने का भी प्रबन्ध किया जा रहा है।

जहां तक आगामी सैलाब में गांव के कटने का संबंध है यह सही प्रकार से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारदा व घाघरा नदियां अक्सर अपनी धारायें बदलती रहतीं हैं। फिर भी अनुमान है कि ऐसे ११ ग्राम हैं जिनके कट जाने की आशंका है और वे इस प्रकार हैं:—

१—जंगलमटेरा, २—मलिक, ३—सुजह कुंडा, ४—बेलागढ़ी, ५—गंगान, ६—गोलापुर, ७—डावर, ८—बुलाकीपुरवा, ९—गोपालापुर, १०—कमना व ११—सिकटिया।

इस संबंध में सभी संबंधित बाढ़ चौकियों को सूचित कर दिया गया है कि इन गांवों के निवासियों को खतरे की सूचना देकर जल्द सुरक्षित जगह पर हटाने का प्रबन्ध करें। ज्योंही बाढ़ की प्रथम सूचना प्राप्त होगी इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का इन्तजाम करा दिया जायेगा। ग्राम निवासियो को भी सूचित कर दिया गया है कि वे सतर्क रहें और बाढ़ आने पर हटने के लिये तैयार रहें। सभी बाढ़ चौकियों पर खाद्यान्नों तथा और आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर दिया गया है जो आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ पीड़ितों को सुलभ हो सकेगा।

अतारांकित प्रश्न

१–२—**श्री गोपीनाथ दीक्षित**—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

३–४—**श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल** (जिला इटावा)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

खीरी एवं पीलीभीत उपनिवेश क्षेत्र के पुनर्वासितों को प्रदत्त सहायता

५—श्री भीखालाल—क्या सरकार खीरी एवं पीलीभीत उपनिवेश क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं देने की कृपा करेगी:—

(क) कितने पुनर्वासित बसाये गये हैं और प्रति व्यक्ति कम से कम और अधिक से अधिक कितनी भूमि दी गई है ?

(ख) भूमि का लगान प्रति एकड़ कितना लगाया गया है और सर्किल रेट प्रति एकड़ कम से कम व अधिक से अधिक कितना है ?

(ग) कितने पुनर्वासित अब तक बेदखल किये गये हैं और कितनों के खिलाफ बेदखली के मुकदमे चल रहे हैं ?

(घ) पुनर्वासितों को किस-किस मद में कितनी-कितनी सहायता या कर्जा दिया गया ?

श्री चरणसिंह—(क) इन क्षेत्रों में अब तक १,०२३ नये परिवार बसाये गये हैं। प्रति पुनर्वासित को कम से कम १० एकड़ तथा अधिक से अधिक २० एकड़ भूमि अनुदान की गई है।

(ख) असिंचित भूमि का लगान ४ रुपये ४४ नये पैसे और सिंचित भूमि का ५ रुपये ५६ नये पैसे फी एकड़ है। सर्किल रेट कम से कम १ रुपया ३० नये पैसे और अधिक से अधिक ३ रुपया प्रति एकड़ है।

(ग) अभी तक कोई पुनर्वासित बेदखल नहीं किया गया है।

सात पुनर्वासितों के विरुद्ध सरकार को देय धनराशि न देने के विरुद्ध भूमि अनुदान रद्द कर देने की कार्यवाही अवश्य की गयी थी। इन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर रक्खे हैं।

(घ) १३ पुनर्वासितों को छोड़कर शेष १,०१० पुनर्वासितों में से, प्रत्येक को लगभग १,३०० रुपये की लागत का एक घर दिया गया है जिसमें ५०० रुपये अनुदान तथा शेष धन ऋण के रूप में दिया गया है। इसके अतिरिक्त बैल इत्यादि खरीदने के लिये, प्रत्येक भूमिहीन मजदूर पुनर्वासित को ५०० रुपया तथा प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार पुनर्वासित को १,००० रुपया के लगभग ऋण के रूप में दिया गया है।

६—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुनर्वासितों से जो बांड भरवाया गया है उसकी शर्तें क्या हैं और बांडों में से कितने अब तक रजिस्ट्री हो चुके हैं, कितने नहीं हुये हैं और क्यों ?

श्री चरणसिंह—६—ये शर्तें बांड के संलग्न प्रपत्र में दी हुई हैं।

अभी तक किसी भी बांड की रजिस्ट्री नहीं हो पायी है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगे यह प्रश्न इंस्पेक्टर जनरल रजिस्ट्रेशन के विचाराधीन है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ८०५—८०६ पर)

*७—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—[२१ अगस्त, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित प्रश्नों के बारे में जानकारी

श्री गंगासिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या विधान सभा के सदस्यों को विधान सभा सचिवालय से सम्बन्धित प्रश्नों को पूछने का अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---इसका कारण यह है कि उसका उत्तर मैं ही दे सकता हूं। मेरे सचिवालय के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व मेरा है और नियम ४४ के अनुसार आप कृपया उस सम्बन्ध में मुझ से ही पूछें। आप मुझे लिख कर भेज दें। तो मैं लिखित उत्तर दे दूंगा या मुझ से मिल लें तो मैं बतला दूंगा।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री टम्बेश्वरी प्रसाद (जिला सीतापुर)---२८-५-१९६२ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अभी तक एजेंडे में नहीं आये हैं ?

श्री अध्यक्ष ---उसके बाद तीन, चार रोज असेम्बली बैठ कर खत्म हो गयी थी इसी कारण से नहीं आये होंगे।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास दो विशेषाधिकार की सूचनाएं आई हैं। जैसा मैंने कल निवेदन किया था श्री काशीनाथ मिश्र का एक और दूसरा माननीय लखीसिंह जी का। इन्होंने जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है उन दुखद घटनाओं के सम्बन्धमें है जो १ अगस्त, १९६२ को यहां घटित हुईं। सभी माननीय सदस्यों ने और नेताओं ने उस सम्बन्ध में अपना खेद प्रकट कर दिया है और जिस बात के ऊपर हमने परदा डाल दिया अब उसको मैं फिर उठाना नहीं चाहता। तो इस कारण से, मैंने लखीसिंह जी की विशेषाधिकार की सूचना को अस्वीकृत किया है। [* * *]

श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह (जिला गोंडा)---चूंकि आपने आदेश दिया कि जो कार्यवाही हुई है वह एक्सपंज कर दी जाय, मैं उसमें नहीं पड़ता। अब अजसर नौ एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं जो श्रीपाल जी ने उठाया था कि जिस समय सदन बैठा न हो, आसन पर आप या आपके प्रतिनिधि न हों, उस वक्त सदन की कार्यवाही अगर होती है तो वह सदन का अपमान है या नहीं ? है, ताकि हम भविष्य में गाइड हो सकें।

श्री अध्यक्ष---अगर यह प्रश्न रखा जाता है तो मैंने उस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं दी है। जहां तक मैंने पढ़ा है, इस प्रकार के प्रश्न स्पीकर के समक्ष रखे जा सकते हैं। मैं स्वयं इसका अध्ययन करूंगा और नेताओं से बात-चीत करके इसका निर्णय दे दूंगा। इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहना चाहता।

(कुछ ठहर कर)

श्री अध्यक्ष---अभी मेरे पास एक और सूचना आयी है काशीनाथ मिश्र जी की इसको मैं अभी अध्ययन नहीं कर पाया हूं। अध्ययन करके फिर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---यह प्रस्ताव कार्य-स्थगन का जो माननीय उग्रसेन जी, आप का है, यह प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज रहा हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---आप इसे पढ़ दीजिये ताकि मालूम तो हो जाये।

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---फिर न कहियेगा कि क्यों पढ़ा।

[* * *] माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष—उनका बाढ़ के सम्बन्ध में है :

"गत सप्ताह की भीषण वर्षा के कारण बड़ी गंडक, छोटी गंडक, घाघरा, राप्ती, झरही, वाणी, जेठन, भवन, पुरना आदि गोरखपुर, देवरिया के नदी नालों में भीषण बाढ़ आ गई है। गत रात सभी नदियों ने खतरे का बिन्दु पार कर लिया है। धोबहा नाले के कट जाने एवं नैपाल बांध के अभाव में नारायणी नदी की मुख्य धारा छोटी गंडक और रोहिणी, राप्ती में आ गई है। घाघरा राप्ती के संगम के २०० से अधिक गांवों की आबादी पर खतरा उपस्थित हो गया है, जिस में डेरवा, डुमरी, पटना, पौहरिया, तिरकौलिया, दिस्तौलिया, फूर स्परसिया आदि गांवों की स्थिति खतरे में पड़ गई है। बरहज नगरपालिका के नगर पर घाघरा की बाढ़ से खतरा उत्पन्न हो गया है। सरकारी सहायता के अभाव में लाखों लोगों का जन जीवन संकटापन्न स्थिति में है और एक अत्यन्त भयंकर स्थिति पैदा हो गई है।"

माननीय गिरजाप्रसाद जी का भी नियम ५२ का है, वह भी उससे सम्बन्धित है। उसे राजस्व मंत्री के पास भेज दिया जायगा।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उग्रसेन जी का जो आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव पढ़ा है उसको आपने स्वीकार किया है या अस्वीकार किया है, किस दशा में है ?

श्री अध्यक्ष—कार्य-स्थगन के रूप में अस्वीकार किया है। चूंकि वह एक ऐसा विषय है जिसपर इस सदन के समक्ष एक वक्तव्य होने वाला है तो उचित यह है कि माननीय राजस्व मंत्री इसको भी देख लें।

इसके अतिरिक्त मेरे पास माननीय नरसिंहनारायण और माननीय टम्बेश्वरीप्रसाद जी के, स्टेशन डकैती के सम्बन्ध में प्रस्ताव आये हैं जिनको मैं गृह मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

अब मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल का प्रस्ताव आया है जिसे मैं माननीय मंत्री के पास भेज रहा हूं। वह इस प्रकार से है—

"उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रान्त भर में अन्यत्र सरकारी कर्मचारियों को तथा उनकी यूनियन के पदाधिकारियों को एक मास का नोटिस दे दिया है। विशेष रूप से यह सूचना सरकार के एक गोपनीय पत्रक में प्रांत भर में भेजी गई थी कि ऐसे लोगों को निकाला जाय या दंडित किया जाय जोकि यूनियन में कार्य करते हों या किसी प्रकार की मांग कर्मचारियों की ओर से रखते हों। इस संदर्भ को इस हेतु निवेदन करना पड़ा कि मैंने उस राजाज्ञा को सदन में बजट भाषण के समय रखा था। प्रदेश भर में क्षोभ का वातावरण व्याप्त है। सरकारी कर्मचारियों में इस प्रकार की अनिश्चितता के कारण कार्य लगभग ठप सा है।"

लगभग इसी आशय का प्रस्ताव उग्रसेन जी का भी है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, श्री बी० बी० लाल, श्री रामबहादुरसिंह, मंत्री तथा अन्य ५० कर्मचारियों को सरकार ने नोटिस दी है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं भेज रहा हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव नयी ट्रेन डकैती के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी रेल डकैतियों के बारे में बयान देंगे।

अब मैं जानना चाहता हूं कि माननीय दुबे जी और उग्रसेन जी के प्रस्ताव पर मंत्री जी कब वक्तव्य दगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—५-६ रोज तो लग ही जायेंगे। यदि सम्भव हुआ तो १० तारीख को ही दे दूंगा, लेकिन मैं कोई वायदा नहीं करता।

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक तथा विश्वविद्यालय अनुदान समितियों, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट और उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मण्डल के लिये सदस्यों के निर्वाचन के कार्य-क्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—मुझे एक सूचना और देनी है। वह निर्वाचनों के सम्बन्ध में है—

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के ४, विश्वविद्यालय अनुदान समिति के ३, गोरखपुर विश्वविद्यालय कोर्ट के ५, तथा उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण मंडल के एक सदस्य के निर्वाचन के लिये यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है—

१—नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय ३१-८-६२ को सायंकाल ५ बजे तक।

२—नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ५-९-६२ को दिन के १२ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में)।

३—नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय १०-९-६२ को सायंकाल ५ बजे तक।

४—निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में २१-९-६२ को १२ बजे से ५ बजे के बीच होगा।

निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधि के सिद्धांतानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

*उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२

नया खंड २६-क, २६-ख, २६-ग तथा २६-घ (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र विधेयक पर माननीय माधो प्रसाद जी अपने अमेंडमेंट पर बोलेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—मान्यवर, मैं संशोधनों को पढ़ चुका हूं, क्या फिर से पढ़ दूं?

श्री अध्यक्ष—जी हां, पढ़ दीजिये।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मान्यवर, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड २६ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २६-क, २६-ख, २६-ग, तथा २६-घ के रूप में जोड़ दिये जायं—

"२६-क—धारा २६ के अधीन किसी अध्यासी को निकालने का आदेश देने के पूर्व स्थानीय निकाय को यह आवश्यक होगा कि वह सम्बन्धित अध्यासी के निवास के लिये यदि उसे स्वयं प्राप्य न हो यथासम्भव व्यवस्था कर दे।

---

*१६ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

†६ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

२६—ख—धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र की, या धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र की घोषणा जारी की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप जो व्यक्ति विस्थापित होंगे उनको उनके पूर्व निवास स्थान पर बनाये गये भवनों में रहने का अधिकार नियत शर्तों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से पहले प्राप्त होगा। भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात हो। यदि नोटिस द्वारा उक्त भवन में रहने के लिये सूचना पाने के ३० दिन के अन्दर वह अध्यासी अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करता तब वह मकान किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है, किन्तु किसी अन्य व्यक्ति को देते समय भी उन व्यक्तियों का भी अधिकार प्रथम होगा जो किसी मलिन बस्ती से हटाये गये हों या उठाये जाने वाले हों।

२६—ग—धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती घोषित होने के बाद अथवा धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र घोषित होने के बाद जो व्यक्ति विस्थापित हुये हों और वे हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय वाले व्यक्ति रहे हों तो उपरोक्त स्थान या क्षेत्र में बनाये जाने वाले भवनों की स्थिति या लागत कदापि ऐसी नहीं होगी जिसके कारण उनका निर्धारित किराया उपरोक्त व्यक्तियों की सामर्थ्य के बाहर हो। किसी भी दशा में उनका किराया ८ रुपये प्रति मास से अधिक न होगा।

२६—घ—यदि धारा ३ के अधीन घोषित हुई मलिन बस्तियों में स्थित भवनों के स्वामी हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय के व्यक्ति हों, या इसी प्रकार के लोग धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र घोषित हुये क्षेत्र में स्थित भवनों के स्वामी हों तो स्थानीय निकाय उन व्यक्तियों को नियत शर्तों व विनियमों के अधीन (subsidy) और ऋण देगा या राज्य सरकार से दिलायेगा यदि वह स्वयं भवन बनाना चाहें। किन्तु यदि स्थानीय निकाय उन स्थानों पर स्वयं भवन बनावे तो वह इस बात पर ध्यान अवश्य रखे कि भवन इस प्रकार के या ऐसे स्थान पर निर्मित हों कि उपरोक्त लोग रहने का अवसर पाने पर अपने व्यवसाय से उखड़ न जायं।"

श्रीमन्, इस विधेयक के भिन्न भिन्न स्थानों में इस विषय में मैंने अपने विचार व्यक्त किये हैं और यह जो संशोधन मैंने सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है, उसके विषय में मैं अधिक न कहूंगा क्योंकि केवल उसी को दोहराना होगा जो मैं पहले कई बार दोहरा चुका हूं। जो व्यक्ति इससे सम्बन्धित हैं, उनके हित सुरक्षित रहें, इसीलिये मैंने इस संशोधन को यहाँ रखा। इसके लिये मुझे कोई दूसरी जगह उपयुक्त नहीं दिखलायी दी। इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि यह केवल उन लोगों के हितों की रक्षा के लिये है जो कि मलिन बस्तियों में रहते हैं। इससे मेरा मतलब यही है कि अन्य लोगों को वहाँ बसाने के बजाय प्रायरिटी वहीं के रहने वाले गरीब लोगों को दी जाय। यदि उन्हें प्रायरिटी दी जाय तो इसमें कोई गड़बड़ी न होगी। नोटिस मिलने के ३० दिन तक उसकी प्रतीक्षा की जाय और फिर भी वह न आये तो दूसरे के नाम उसका एलाटमेंट कर दिया जाय। हो सकता है कि रेंट कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार किसी दूसरे के नाम भी उसका एलाटमेंट हो सकता हो। इसका कोई प्राविजन इसके अन्दर होना चाहिये कि जो सम्बन्धित अधिकारी होगा वही किसी दूसरे के नाम एलाट कर सकेगा। मैंने यह संशोधन इसीलिये रखा है कि जिन लोगों के मकान गिरा दिये जायं उनके रहने के लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

दूसरे जिन लोगों के लिये मकान बनाये जायं उनकी स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिये कि उनका किराया इतना हो जिसे वे आसानी से दे सकें। मैंने ऐक्ट को अच्छी तरह से पढ़ कर निष्कर्ष निकाला है कि ८ रुपये का जो किराया है वह अधिक है, उससे तो किसी हालत में भी अधिक किराया नहीं होना चाहिये। २६—घ में इस बात का ध्यान रखा जाय कि मकान बनाते वक्त उसकी स्थिति का ध्यान रखा जाय और इसका भी ध्यान रखा जाय कि जो उसका व्यवसाय है उससे वह उखड़ न जाय। अधिक समय न लेते हुए—क्योंकि मैं पहले

कह चुका हूं—माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूं कि मकान बनाते समय उनकी स्थिति का ख्याल रखा जाय और इसलिये संक्षेप में मैंने आपके सामने बातें रख दीं। मैं उनका अधिक समय नहीं लेता।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, त्रिपाठी जी ने स्वयं कहा है कि वे इस विषय पर काफी चर्चा कर चुके हैं और इस पर काफी विचार हो चुका है, यही इस बात का सबूत है कि वह व्यर्थ है।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

ऐसी अवस्था में जब कि इस विषय में आदरणीय सदन अपनी राय कायम कर चुका है तो वास्तव में यह संशोधन आना ही नहीं चाहिये था, इसको रूल आउट हो जाना चाहिये था, क्योंकि ये सारी बातें करीब करीब दोहरायी गयी हैं और अव्यावहारिक भी हैं . . . .

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, हाउस में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—इस समय कोरम आवश्यक नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—चारों विषय जो इसमें आये हैं करीब करीब सभी डिस्कस हो चुके हैं। ऐसी हालत में सदन के सामने उनको फिर लाना सदन के समय को नष्ट करना है जिसको मैं उचित नहीं समझता। इसका मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि आदरणीय सदन इसको पास नहीं करेगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—एक बात हमारे मंत्री जी ने सही नहीं कही। सब विषय ऐसे नहीं है जो आ चुके हों। जो बातें यहां दूसरे रूप में आयीं उनमें जरूर इनका जिक्र हुआ हो, परन्तु वह भी सब नहीं। जैसे हमने यह लिख दिया कि प्रायरिटी दी जाय। मेरी समझ में यह बात पहले कभी नहीं आयी यह भी बात पहले नहीं आयी कि ऐसी स्थिति को ध्यान में रखा जाय कि वे अपने व्यवसाय से न उखड़ें। हां यह बात जरूर आयी, जैसा यूसुफ साहब ने किराये की बाबत कहा था कि ५ रुपये रखा जाय। मैंने ५ पये उचित न समझ कर ८ रुपये रख दिया। परन्तु उसकी सीमा मैंने रखी कि ८ पये से ज्यादा न रखें, नहीं तो जिसको देना चाहते हैं उसको मिल नहीं सकता, सारार परपज ही डिफीट हो जायगा। इसलिये इन सब बातों पर विचार भिन्न-भिन्न रूप में हुआ अवश्य, परन्तु यह संशोधन इस रूप में पहले आया नहीं। इसलिये मैं इसको प्रेस करता हूं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैंने कहा था कि विचार आये। अब इस भाषा म न आये दूसरी भाषा में आये जिनको सदन ने रिजेक्ट किया। यही मेरा निवेदन है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड २६ से पश्चात् निम्नलिखित नये खण्ड २६-क, २६-ख, २६-ग तथा २६-घ के रूप में जोड़ दिये जांय :—

"२६-क—धारा २६ के अधीन किसी अध्यासी को निकालने का आदेश देने के पूर्व स्थानीय निकाय को यह आवश्यक होगा कि वह संबंधित अध्यासी के निवास के लिये यदि उसे स्वयं प्राप्य न हो यथासंभव व्यवस्था कर दे।

२६-ख—धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती क्षेत्र की, या धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र की घोषणा जारी की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप जो व्यक्ति विस्थापित होंगे उनको उनके पूर्व निवास स्थान पर बनाये गये भवनों में रहने का अधिकार नियत शर्तों के अधीन किसी अन्य व्यक्ति से पहले प्राप्त होगा। भले ही तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में कोई प्रतिकूल बात हो। यदि नोटिस द्वारा उक्त भवन में रहने के लिये सूचना पाने के ३० दिन के अन्दर वह अध्यासी अपने अधिकार

[श्री उपाध्यक्ष]

का प्रयोग नहीं करता तब वह मकान किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति को देते समय भी उन व्यक्तियों का भी अधिकार प्रथम होगा जो किसी मलिन बस्ती से हटाये गये हों या हटाये जाने वाले हों ।

२६–ग––धारा ३ के अधीन मलिन बस्ती घोषित होने के बाद अथवा धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र घोषित होने के बाद जो व्यक्ति विस्थापित हुये हों और वे हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय वाले व्यक्ति रहें हो तो उपरोक्त स्थान या क्षेत्र में बनाये जाने वाले भवनों की स्थिति या लागत कदापि ऐसी नहीं होगी जिसके कारण उनका निर्धारित किराया उपरोक्त व्यक्तियों की सामर्थ्य के बाहर हो। किसी भी दशा में उनका किराया ८ रुपये प्रति मास से अधिक न होगा ।

२६–घ––यदि धारा ३ के अधीन घोषित हुई मलिन बस्तियों में स्थित भवनों के स्वामी हरिजन, मेहतर इत्यादि या अन्य कम आय के व्यक्ति हों, या इसी प्रकार के लोग धारा १० के अधीन निपातन क्षेत्र घोषित हुये क्षेत्र में स्थित भवनों के स्वामी हों तो स्थानीय निकाय उन व्यक्तियों को नियत शर्तों व विनियमों के अधीन subsidy और ऋण देगा या राज्य सरकार से दिलायेगा यदि वह स्वयं भवन बनाना चाहें । किन्तु यदि स्थानीय निकाय उन स्थानों पर स्वयं भवन बनावे तो वह इस बात पर ध्यान अवश्य रखे कि भवन इस प्रकार के या ऐसे स्थान पर निर्मित हों कि उपरोक्त लोग रहने का अवसर पाने पर अपने व्यवसाय से उखड़ न जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २७, २८ तथा २९

मलिन बस्ती क्षेत्रों से क्षोभकर या घृणास्पद व्यापारों को हटाने का अधिकार

२७––(१) यदि राज्य सरकार को यह राय हो कि कोई व्यापार किसी मलिन बस्ती क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य, नैतिकता या सुरक्षा की दृष्टि से क्षोभकर अथवा घृणास्पद है, तो वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस आशय की घोषणा कर सकती हैं ।

(२) उपधारा (१) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर सक्षम प्राधिकारी घोषणा में उल्लिखित व्यापार करने वाले व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् उसे लिखकर निदेश देगा कि वह मलिन बस्ती क्षेत्र से उस व्यापार को निदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर हटा ले ।

(३) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (२) के अधीन दिये गये निदेश में उल्लिखित समय के भीतर किसी मलिन बस्ती क्षेत्र से व्यापार न हटाये तो सक्षम प्राधिकारी उसे हटवायेगा और तदर्थ वह ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक हो ।

आपत्तियों को सुनने तथा उनका निस्तारण करने के लिये अधिकारियों तथा प्राधिकारियों तथा अनुसरणीय प्रक्रिया

२८––किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, जो इस अधिनियम के अधीन कोई जांच कर रहा हो या किसी आपत्ति की सुनवाई कर रहा हो, जहां तक वे प्रवृत्त हो सकें, दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जायं ।

२९—(१) इस अधिनियम में व्यक्तरूप से की गई अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, उस आदेश या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर, डिवीजन के आयुक्त को अथवा ऐसे अन्य अधिकारी या न्यायालय को, जिसे राज्य सरकार तदर्थ विज्ञापित करे, अपील कर सकता है ।

(२) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जायेगी तथा उसके साथ उस आदेश या निदेश की एक प्रतिलिपि भी होगी जिसके विरुद्ध अपील हो ।

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपील की गयी हो तो अपीलीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अथवा निदेश के प्रवर्तन को ऐसे यथोचित समय के लिये और ऐसी शर्तों पर, जो उचित समझी जायं, रोक सकता है ।

(४) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील को सुनने तथा उसका निर्णय करने में अपीलीय न्यायालय को दीवानी न्यायालय के समस्त अधिकार तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और वह अपील सुनने और उसका निस्तारण करने के संबंध में कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा । ऐक्ट संख्या ५, १९०८

(५) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जिला न्यायाधीश को अपील प्रस्तुत की जाय तो जिला न्यायाधीश या तो स्वयं अपील की सुनवाई कर सकता है या वह उसे अपने अधीनस्थ किसी दीवानी न्यायाधीश (सिविल जज) को सुनवाई के लिये भेज सकता है ।

(६) राज्य सरकार किसी समय या तो स्वयं या उसे तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति, प्राधिकारी, अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निस्तारित किसी मामले के अभिलेख को, किसी दिये गये आदेश या निदेश की वैधता अथवा औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकती है और उसके संबंध में ऐसा आदेश अथवा निदेश दे सकती है जो वह उचित समझे :

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार कोई ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध हो, उस व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, नहीं देगी । राज्य सरकार का पुनिरीक्षण अधिकार

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ व २८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—एक से दो तक वोटिंग नहीं होती । इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर आप अपना एतराज वापस ले लें तो ठीक हो जाय ।

श्री कल्पनार्थसिंह—मैं वापस लिये लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ व २८ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छी बात है । इन दोनों खंडों को तथा खंड २९ को पोस्टपोन किया जाता है ।

नया खण्ड २९-क, २९-ख तथा २९-ग

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:---

निम्नलिखित नये खंड २९--क, २९--ख तथा २९--ग के रूप में जोड़ दिये जाय---

"२९--क---स्थानीय निकाय के लिये आवश्यक होगा कि वह एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करे जो अपने क्षेत्र की बस्तियों की स्थिति पर यह रिपोर्ट प्रत्येक ६ मास पर दे कि उसके क्षेत्र में ऐसी कोई मलिन बस्ती नहीं है अथवा है जिसके विषय में इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता है तथा यह भी रिपोर्ट करे कि अमुक स्थान पर मलिन बस्ती बनने की स्थिति अथवा सम्भावना है।

२९--ख---यदि राज्य सरकार को ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य रीति से उसके पास हो, या समाधान हो जाय कि प्रदेश के किसी क्षेत्र में इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता है तो वह संबंधित स्थानीय निकाय को एतदर्थ आदेश दे सकती है। ऐसी दशा में उक्त निकाय को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

२९--ग---यदि किसी कारण स्थानीय निकाय इस अधिनियम के अधीन निर्माण, सुधार या अन्य कार्य उचित समय के अन्दर न कर सके या अनावश्यक विलम्ब करे तो ऐसी दशा में राज्य सरकार को यह भी अधिकार होगा कि स्थानीय निकाय का पूर्ण कार्य व तत्सम्बन्धी अधिकार स्वयं अपने हाथ में ले कर उसकी जगह पर कार्य करे या कराये।"

यह संशोधन ऐसा है कि इस वक्त जो विधेयक प्रस्तुत है उसके किसी प्राविजन से टक्कर नहीं खाता और न किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है सिवा इसके कि सक्षम अधिकारी की जगह पर स्थानीय नकाय जरूर है। सरकार मलिन बस्तियों के सुधार और उनके निपातन के लिये इतना खर्च कर रही है, लेकिन इस ऐक्ट के बनने के बाद यह तो होगा नहीं कि फिर मलिन बस्तियां तैयार नहीं होंगी। हो सकता है कि तैयार हों या तैयार होने की स्थिति में हों। इस विधेयक में कोई ऐसा प्राविजन नहीं मालूम होता जिससे भविष्य में मलिन बस्तियों को बनने से रोका जा सके या हमारी सरकार को समय-समय पर ज्ञान हो सके कि यहां मलिन बस्ती बन रही है, यहां गरीबों का रहना असम्भव है, उनके सुधार के लिये कोई साधन नहीं है इत्यादि। इसके लिये कोई प्राविजन इस विधेयक में होना चाहिये था, मगर मैंने इसमें कहीं देखा नहीं। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा। मेरी दृष्टि में यह बड़ा इन्नोसेंट है और जो दूसरे खण्ड पास हो गये हैं उनके लिये बड़ा सहायक है इस रूप में कि सरकार का पैसा बचेगा, जो अधिकारी नियुक्त होगा वह बतायेगा ही और फिर से मलिन बस्तियां नहीं बनेगीं। दूसरे ऐक्टों में ऐसा प्राविजन है और अन्य देशों में भी मैंने देखा कि ऐसा प्राविजन है। हां, उनमें यह अवश्य होता है जो मेरे इस संशोधन में नहीं है कि वह अथारिटी कंसर्न्ड को बताये और उसको रोकने का प्रबन्ध जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। यह एक और बोझा हमारी सरकार पर पड़ जाता। अभी सरकार कहती है कि यह अव्यवहारिक है। पता नहीं यह भी किस रूप में अव्यावहारिक होगा। मैं अधिक समय इसमें नहीं लेना चाहता। अभिप्राय अपने संशोधन का मैंने मंत्री महोदय के सामने रख दिया, वह जैसा उचित समझें करें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, त्रिपाठी जी की अटूट श्रद्धा इस बात में है कि संसार के सारे प्रश्नों को हम हल कर सकते अगर हम आराम से इन कुर्सियों पर बैठे हुये यहां से उन्हें हल कर सकें। अगर ऐक्ट बना कर प्रश्नों को हल किया जा सकता तो जो-जो त्रिपाठी जी कहते हैं वह मैं स्वयं मान लेता, लेकिन इतना आसान यह है नहीं? बावजूद इसके कि हमारी कोशिश यह है कि हम जल्दी से जल्दी इन मलिन बस्तियों को दूर कर सकें फिर भी स्थिति ऐसी

है कि वास्तव में जितना भी पया हम लगायें वह नाकाफी है और मुझे आशंका है कि मलिन बस्तियां फिर भी बनती जायेंगीं, क्योंकि जिस अनुपात से आबादी बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से हमारे साधन नहीं बढ़ रहे हैं। अभी तो हमारे यहां जो बहुत-सी मलिन बस्तियां बन गयीं हैं उन्हीं को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं। हर नगरपालिका क पास यह सूचना है कि कहां-कहां पर मलिन बस्तियां हैं, वहां की जनता जानती है। अगर हमारे पास पया हो तो हम अपने दफ्तर से एक आदमी भेज कर, टाउन प्लानर को भेज कर सारी जानकारी करा सकते हैं। लिहाजा (क) तो इसलिये अनावश्यक हो जाता है। (ख) और (ग) की जो बात कही गयी उसमें भी त्रिपाठी जी का यह कहना है कि अगर नगरपालिकायें नहीं करती हैं तो उनको हटा कर हम खुद कर, लेकिन इतना आसान यह प्रश्न है नहीं। प्रश्न यह है कि वास्तव में साढ़े ७ परसेंट जो रुपया कन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है उसको पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी की लेना और उसको अदा करना, यह जिम्मेदारी वहां आसानी से लोग लेना नहीं चाहते हैं और जहां लेना नहीं चाहते हैं वहां पर सरकार म्युनिसिपल बोर्ड्स को हटाकर खुद पिक्चर में आ जायं तो वाञ्छनीय नहीं होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि ऐसा प्रबन्ध हो जाय जिससे लोग आसानी से ले लें और लोग फायदा उठायें और मलिन बस्तियों का प्रश्न भी हल हो जाय। इसलिये मैं माननीय त्रिपाठी जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसको प्रेस न करें? जब तक प्रैक्टिकल डिफीकल्टीज दूर नहीं होंगी, पैसे का सवाल पूरा नहीं होगा तब तक कानून बनाकर समस्या का हल नहीं हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिपाठी जी ने ३३वां संशोधन भी मूव कर दिया है जिसमें सक्षम प्राधिकारी के स्थान पर उन्होंने स्थानीय निकाय रक्खा है। इसमें भी मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक सम्भव होगा वहीं के मुख्य अधिकारी को या मेयर को सक्षम प्राधिकारी बनाने पर विचार होगा। जहां सम्भव नहीं होगा वहीं पर सक्षम प्राधिकारी बनाना पड़ेगा और बहुत लिमिटेड परपज के लिये हम लाना चाहते हैं। इस सफाई के बाद में आशा करता हूं कि त्रिपाठी जी इसको प्रेस नहीं करेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह अव्यावहारिक है और सारे काम कानून से नहीं हो सकते हैं तो कानून तो बन रहा है वह इसी ध्यध की पूर्ति क लिये बन रहा है। कानून इसलिय बनता है कि उसक द्वारा हम करा सकते हैं। भावना कितनी ही पवित्र क्यों न हों, लेकिन जब तक कानून में बात न होगी तब तक काम नहीं चल सकता है। वह कैसे करेंगे यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। जो विधेयक बनते हैं उनको कानून का रूप इसीलिये दिया जाता है जिससे कार्यान्वित करने वालों को अनिवार्य हो जाय। यह विधेयक समस्त उत्तर प्रदेश के लिये बना है और बाद को सरकार जहां-जहां नोटीफाई करेगी, लागू होगा। मैं ऐसा समझ पा रहा हूं कि कुछ ऐसे कस्बे भी होंगे जहां पर म्युनिसपैलिटी और टाउन एरिया वगैरह नहीं होंगी और वहां पर मलिन बस्तियां दुःखद स्थिति में है तो वहां पर भी यह लागू किया जा सकता है। सरकार की ऐसी इच्छा नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं सरकार की नेकनीयती में दाग लगाना नहीं चाहता हूं, लकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो सरकार लोगों को सुख देना चाहती है क्या वह स्थायी होगा या जिस मंशा से इस विधेयक को लाया जा रहा है वह पूरी होगी या नहीं। मैं समझता हूं कि सरकार कष्ट में पड़ जायगी। जिस विभाग के अन्तर्गत ऐसे इंस्टीट्यूशन्स हैं उनमें ऐसा प्राविधान है और पंचायत में भी होगा। इसमें कोई ऐसी बात आ जाय कि एक अधिकारी इन्फार्मेशन कलेक्ट करेगा और बतायेगा कि यहां मलिन बस्ती बनाई जा रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें सरकार को खर्च नहीं करना होगा। सरकार कहती है कि साढ़े सैंतीस परसेंट का क्या होगा? जहां स्थानीय निकायों ने किया है वहां पर वे ही वसूल करने की मीडियम रहीं हैं। मैं मंत्री जी स निवेदन करूंगा कि वे इसको मान लें, क्योंकि यह उनकी सहायता ही करेगा। वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, मैं उनको फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक स्थानीय निकायों का ताल्लुक है, बहुत ज्यादा मतभेद नहीं हैं। जितना पैसा

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

हमारे पास है उसको हम १०,१५ जगह से ज्यादा नहीं लगा पा रहे हैं। मेहतरों के लिये छोटी-छोटी बस्तियों में हमने लागू किया है जो म्युनिसपल बोर्ड्स मेहतरों के लिये मकान बनाने के लिये तैयार हो जाते हैं और अनुदान देने के लिये तैयार हो जाते हैं उनको हम इस रकम में से रुपया दे देते हैं। ऐसी स्थिति में मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज पैसे की कमी का प्रश्न है। जो प्रैक्टिकल डिफीकल्टी दिखाई पड़ रही है वह आज नहीं है। वह डिफीकल्टी होगी तो अवश्य कोशिश करेंगे कि दूर कर दें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—नियमों में ला दीजिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि नियमों में जहां तक भी हो सकेगा, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। जहां तक मेहतरों का ताल्लुक है उसको आज भी कर रहे हैं। बल्कि हमने यहां तक किया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ५० प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा दे, रामनगर में ऐक्चुअली मकान बनवाये हैं, मुरादाबाद में इच्छा है कि मकान बन जायं। आगे विश्वास दिलाता हूं कि मेरा पूरा साथ होगा अगर मेहतरों के लिये और सुविधा प्रदान कर सकें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, अपनी गवर्नमेंट से या म्युनिसिपैलिटीज से, उसका प्रयत्न किया जायगा। इस संबंध में मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि वह अपना संशोधन पेश न करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मैं वापस नहीं लेता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित नये खंड २९-क, २९-ख तथा २९-ग के रूप में जोड़ दिये जांय—

"२९-क—स्थानीय निकाय के लिये आवश्यक होगा कि वह एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करे जो अपने क्षेत्र की बस्तियों की स्थिति पर यह रिपोर्ट प्रत्येक ६ मास पर दे कि उसके क्षेत्र में ऐसी कोई मलिन बस्ती नहीं है अथवा है जिसके विषय में इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की आवश्यकता है तथा यह भी रिपोर्ट करे कि अमुक स्थान पर मलिन बस्ती बनने की स्थिति अथवा संभावना है।

२९-ख—यदि राज्य सरकार को ऐसी सूचना के आधार पर जो उसे प्राप्त हुई हो या अन्य रीति से उसके पास हो, या समाधान हो जाय कि प्रदेश के किसी क्षेत्र में इस विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही करने की आवश्यकता है तो वह सम्बन्धित स्थानीय निकाय को एतदर्थ आदेश दे सकती है। ऐसी दशा में उक्त निकाय को इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक होगा।

२९-ग—यदि किसी कारण स्थानीय निकाय इस अधिनियम के अधीन निर्माण, सुधार या अन्य कार्य उचित समय के अन्दर न कर सके या अनावश्यक विलम्ब करे तो ऐसी दशा में राज्य सरकार को यह भी अधिकार होगा कि स्थानीय निकाय का पूर्ण कार्य व तत्सम्बन्धी अधिकार स्वयं अपने हाथ में ले कर उसकी जगह पर कार्य करे या कराये।"

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—उपाध्यक्ष महोदय, आप शायद इस पर वोट ले रहे हैं, लेकिन एक से दो बजे के बीच में वोटिंग नहीं होगी, ऐसा निर्णय दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह हमने पूछ लिया है। कोई साहब ऐतराज करने वाले नहीं हैं। इसलिये मैंने रखा है।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड २७,२८ और २९ (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७, २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह सामान्य संशोधन उपस्थित करता हूं कि विधयक में जहाँ जहाँ 'सक्षम प्राधिकारी' आया हो उसके स्थान पर शब्द 'स्थानीय निकाय' रख दिया जाय।

श्रीमन्, इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। अब समय अधिक नहीं लेना चाहता।

श्री देवदत्त मिश्र--चूंकि त्रिपाठी जी के क, ख, ग संशोधन गिर चुके हैं और सक्षम अधिकारी का उसमें हवाला है इसलिए यह संशोधन नियमतः नहीं आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--इस वाक्य में ऐसा कुछ मालूम तो होता है, आप क्या कहते हैं इसके लिए ?

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--मैं सवाल न समझ सका, क्या कहा उन्होंने ?

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि यह इन आर्डर नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--किस माने में ?

श्री उपाध्यक्ष--इस माने में कि यह बात तय हो चुकी है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--यह बात तो अभी तय नहीं हुई। सक्षम अधिकारी की डेफिनीशन मेरा ख्याल है अभी सामने आयी नहीं। रहने दें, श्रीमन्, अगर यह आ गया तो मैं नहीं प्रेस करना चाहता। लेकिन जरा सा देख लूं, क्योंकि यही तो एक खास बात है। (कुछ क्षण उपरान्त) मैं क रता हूं। अगर आउट आफ आर्डर है तो आप उसे आउट आफ आर्डर करार दें।

श्री उपाध्यक्ष--सक्षम अधि) में आ गया। तो यह नियम विरुद्ध है। हीं पेश हो सकता है।

खण्ड ३० से ३९

शास्तियां

३०--यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का उल्लंघन करके कोई कार्य करे या धारा १४ अथवा १५ के अधीन आरोपित किसी निर्बन्धन या शर्त अथवा निपातन क्षेत्र के पुनः विकास की किसी योजना का उल्लंघन करके कोई कार्य प्रारम्भ करे या प्रारम्भ कराए तो वह कारावास दण्ड का भागी होगा, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या अर्थ दण्ड का भागी होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्डों का भागी होगा और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी रहे पचास रुपए से अधिक न होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

३१--(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी है, तो प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय व्यवसाय चलाने के निमित्त कम्पनी का अवधायक था तथा उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही कम्पनी भी, अपराध के दोषी समझे जायेंगे और धारा ३० क अधीन दंडनीय होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार का यथोचित प्रयास किया था तो वह इस उपधारा की किसी बात से दण्ड का भागी नहीं माना जायेगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि वह अपराध कम्पनी के निदेशक (डाइरेक्टर), प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य किसी अधिकारी की सहमति या निन्हुति (connivance) से हुआ है अथवा उसकी ओर से उपेक्षा क कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये:

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी नियमित निकाय (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ (एसोसियेशन) भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य, फर्म के साझीदार से है।

कुछ दशाओं में भवन गिराने का आदेश

३२—(१) यदि धारा १४ तथा १५ के अधीन आरोपित किसी निर्बन्धन या शर्त या किसी निपातन क्षेत्र के पुनः विकास की योजना का उल्लंघन करके अथवा इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन जारी किये गये या दिये गये किसी नोटिस, आदेश या निदेश का उल्लंघन करके किसी भवन का विनिर्माण आरम्भ किया गया हो अथवा हो रहा हो अथवा पूरा हो चुका हो, तो सक्षम प्राधिकारी, ऐसे अन्य उपाय के अतिरिक्त जो इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो, यह आदेश दे सकता है कि उस विनिर्माण को उसका स्वामी दो मास से अनधिक ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाय, गिरा दे और स्वामी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी ऐसे माध्यम से, जिसे वह तदर्थ प्राधिकृत करे, स्वामी के व्यय पर विनिर्माण को गिरवा सकता है।

(२) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (१) के अधीन विनिर्माण गिरवाने में ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा प्रयोग करवा सकता है जो आवश्यक समझा जाय।

(३) स्वामी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना उपधारा (१) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायगा।

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार

३३—(१) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध का परीक्षण न करगा।

अभियोजन के निमित्त सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति

(२) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिये अभियोजन सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति क बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

३४—इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ की धारा ५ तथा १२ के उपबंध इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों पर, जिनके अन्तर्गत अपील, प्रार्थना-पत्र और आपत्तियों से सम्बन्धित कार्यवाहियां भी हैं, प्रवृत्त होंगे।

इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८ (ऐक्ट संख्या ९, १९०८) के कतिपय उपबंधों की प्रवृत्ति

३५—सक्षम प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के यह निदेश दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य किसी अधिकार का प्रयोग, ऐसे मामलों में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट हों, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो उसमें उल्लिखित हो।

प्रतिनिधान का अधिकार

३६—कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

३७—सक्षम प्राधिकारी और इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, इंडियन पीनल कोड, की धारा २१ के अर्थ में, लोक-सेवक (Public Servant) समझा जायेगा।

सक्षम प्राधिकारी आदि लोक-सेवक होंगे। ऐक्ट सं० ४५, १८६०

३८—तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी असंगत बात के होते हुये भी इस अधिनियम के उपबन्ध और तदन्तर्गत बनाये गये नियम प्रभावी होंगे।

अधिनियम अन्य विधियों को अभिभूत करेगा

३९—(१) राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने का अधिकार

(२) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात्:

(क) सक्षम प्राधिकारी के नोटिसों, आदेशों तथा अन्य कारणों के प्रमाणीकरण की रीति;

(ख) किसी मलिन बस्ती क्षेत्र के पुनः विकास के लिये योजनाएं तैयार करना और ऐसी योजनाओं में सम्मिलित किये जाने वाले विषय;

(ग) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किये गये व्ययों को, धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन भूमि के स्वामियों और भवनों के स्वामियों से जिस अनुपात में वसूल किया जा सकता है, उसे अवधारित करने के सिद्धान्त;

(घ) प्रतिकर के भुगतान की प्रक्रिया तथा रीति;

(ङ) प्रपत्र जिसमें तथा रीति जिसके अनुसार धारा २३ की उपधारा (२) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जायेंगे और ऐसे प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में लिये जाने वाले शुल्क;

(च) इस अधिनियम के अधीन जारी किय गये नोटिसों, आदेशों या निदेशों को तामील करने की रीति; और

(छ) कोई अन्य विषय जिसे नियत करना हो या जो नियत किया जा सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रक्खे जायंगे और जब तक कि कोई बात का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कार अथवा निष्प्रभावन (annulment) के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या निष्प्रभावन संबंद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० से ३९ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना, शीर्षक, तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२

मलिन बस्ती क्षेत्रों के सुधार और निपातन, उनके निवासियों के पुनर्वासन और ऐसे क्षेत्रों के किरायेदारों के निष्कासन से संरक्षण की व्यवस्था करने के लिये।

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी तथा शेष धाराएं उस दिनांक से प्रचलित होंगी जो राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित कर के निश्चित करे तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

अनुसूची

(धारा २० देखिये)

शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करने के सिद्धान्त

१—मलिन बस्ती क्षेत्र या निपातन क्षेत्र में किसी भवन या भूमि का औसत मासिक सकल किराया, उस सकल किराये का साठवाँ भाग होगा जो धारा १७ के अधीन विज्ञप्ति के दिनाँक के पूर्व लगातार पाँच वर्षों की अवधि में उसके स्वामी को वास्तव में प्रोद्भूत हुआ हो।

२—औसत मासिक सकल किराया अवधारित करने में सक्षम प्राधिकारी या वह अधिकारी जिसे वह तदर्थ अधिकृत करे, ऐसे अवधारण के लिये स्थानीय जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो, सम्बद्ध नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति-कर-निर्धारण पुस्तिकाओं से ऐसे उद्धरणों की प्रमाणित प्रतिलिपियां जिनमें उस भूमि या भवन का किराया मूल्य दिया हो, प्राप्त कर सकता है तथा इस सम्बन्ध में ऐसी अन्य सूचना प्राप्त कर सकता है जो वह आवश्यक समझे।

३—धारा २० की उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिये शुद्ध औसत मासिक आय, पैरा १ में दी गई रीति से अवधारित औसत मासिक सकल किराये की साठ प्रतिशत होगी। औसत मासिक सकल किराये के शेष चालीस प्रतिशत पर, शुद्ध औसत मासिक आय अवधारित करते समय, विचार नहीं किया जायेगा बल्कि उसे स्थानीय प्राधिकारी को देय सम्पत्ति-कर, आयकर, समाहरण व्यय, अशोध्य ऋण, भवन की मरम्मत तथा अनुरक्षण और अन्य आनुषांगिक व्ययों के मध्य छोड़ दिया जायगा।

४—यदि कोई भूमि या भवन अथवा उसका कोई भाग अनध्यासित रहा या उसके सम्बन्ध में कोई किराया उक्त पूरे पाँच वर्षों में अथवा उसके किसी भाग में स्वामी को प्रोद्भूत न हुआ हो, तो ऐसी भूमि या भवन अथवा उसके भाग का सकल किराया, उस किराये के आधार पर अवधारित किया जायेगा जो, उस भूमि या भवन के खाली रहने की अवधि में यथास्थिति, उस भूमि या भवन के पास-पड़ोस की उसी प्रकार की अन्य भूमि या भवन से प्राप्त हुआ हो।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना, शीर्षक तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार और निपातन विधेयक, १९६२ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय। इस पर काफी बहस हो चुकी है और मैं और समय आदरणीय सदन का नहीं लेना चाहता। मुझे आशा है कि इसे पारित किया जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—थोड़ा-सा कह दूं, श्रीमन्। विधेयक के सम्बन्ध में समय-समय पर हमारे माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। अब यह ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि इसका बर्ड्स आई व्यू लिया जाय कि आखिर यह किस रूप में सदन के सामने आया। विधेयक के पास होने में थोड़ी सी देर हुई। मुझे भी इस बात का क्लेश था जिसकी ओर बार बार संकेत माननीय मंत्री महोदय कर रहे थे कि देर नहीं होनी चाहिये, तो जब वह भावना मेरे मन में आती थी कि यह ऐसे सर्वहारा व्यक्तियों के लिये है तो मैं भी यह चाहता था कि इसमें देर नहीं होनी चाहिये, लेकिन मैं समझता था कि समय आयेगा जब कि हम भी रहे और माननीय मंत्री जी भी रहे तो मैं प्रमाणित कर दूंगा कि यह जितने संशोधन हमारे नहीं माने थे उनके कारण से इसके बनने में कितना विलम्ब हो रहा है और जिन्हें आप सुविधा देना चाहते थे, जिनके लिये आप यह मकान बनाने जा रहे थे उसमें कितनी बाधा पड़ रही है। मैं तो समझता था कि यह विधेयक हरिजनों, मेहतरों और गरीबों के लिये बनाया गया था और इसलिये बनाया गया था कि अगर उनको हटाया जाय तो ऐसी जगह उन्हें ले जाया जाय जहाँ वह अपने व्यवसाय से उखड़ें न, यह इसलिये बनाया गया था कि हम उनके लिये ऐसा भवन बना देंगे कि जहाँ उनके लिये शिक्षा का प्रबन्ध होगा, उनके लिये यातायात का प्रबन्ध होगा, उनके लिये उन्नति के और सब साधन होंगे और ऐसा लगेगा कि हमारा स्वायत्त शासन विभाग और समाज कल्याण विभाग दोनों मिल करके उनके उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम इस विधेयक के सब प्राविजनों को पढ़ते हैं तो हमको यह जानकर दुःख होता है कि सरकार की नीयत चाहे कितनी ही अच्छी और भली क्यों न रहे, लेकिन जो रीति इसमें अपनाई गई है सरकार की तरफ से इस विधेयक

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

को बनाने में, उससे गरीब लोगों को सुख नहीं पहुंचेगा। मैं सरकार की नीयत पर शंका नहीं करता, लेकिन जो इसकी मन्शा है वह इससे पूरी नहीं होगी। मकान बनेंगे, लेकिन उनके अन्दर बड़े लोग ही रहेंगे। मकान जरूर बनेंगे, लेकिन जिनको विस्थापित किया जायगा उनके लिये जितने समय तक मकान बनते रहेंगे रहने का कोई प्राविजन इसमें नहीं किया गया है, उसका परिणाम यह होगा कि वहाँ से वे लोग उजड़ कर दूसरे शहरों में जायेंगे या दूसरी जगह जायेंगे और वहाँ पर जो झोंपडी आदि वह बनायेंगे उनमें वह रह जायंगे। उन गरीब लोगों पर क्या बीतेगी यह तो उसी समय मालूम होगा जब इस विधेयक को कार्यान्वित किया जायगा और इसके प्राविजन को काम में लाया जायगा। यह तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की पार्टी के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वह समय-समय पर स्वयं ही उनसे कहेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी एक बहन ने उधर से उस दिन जो बात कही वह कोई उन्होंने मेरे पक्ष की बात नहीं कही, बल्कि अपने अनुभव से बीती हुई बात कही कि यदि इस विधेयक को बिना उन सुविधाओं के कार्यान्वित किया जायगा तो यह कठिनाई सामने आयेगी। जब उन लोगों के मकान गिराये जायंगें या जमीन का अर्जन होगा या भवनों को एक्वायर किया जायगा तो जो कठिनाई लोगों को होंगी, जो उन लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, मैं समझता हूं उसकी सुरक्षा का कोई उचित प्राविजन इस विधेयक के अन्दर नहीं है। सचमुच में वे लोग असन्तुष्ट रहेंगे, इसलिये नहीं कि जानबूझ कर अधिकारी उनको नुकसान पहुंचायेंगे, बल्कि भिन्न-भिन्न कार्य करने के लिये जिस प्रकार से वे आजकल कार्य करते हैं और जो भावना उनकी रहती है उसके अनुसार ही वे कार्य करेंगे। हम अदालतों में देखते हैं कि जल्दी में मुकदमा खत्म करने की भावना रहती है नित्यप्रति हम अदालतों में देखते हैं कि जो अधिकार उनको दिये गये हैं उनके अनुसार देखा जाता है कि कितना कार्य हुआ और कितना कार्य खत्म किया। तो उस भावना से वे प्रयत्न करते हैं कि उतना काम हो, ताकि कहा जा सके कि इतना कार्य समाप्त कर दिया। मैंने गरीबों के हित की भावना को ले कर यहाँ पर संशोधन पेश किया था जिसको नहीं माना गया, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जिस समय यह विधेयक पास हो जायगा और कानून का रूप धारण करेगा उस समय इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। लोगों के मौलिक अधिकारों का अपहरण होगा। लोगों को मुआविजा नहीं मिलेगा। बे वक्त मकान एक्वायर कर लिये जायंगे या ऐसे मकान एक्वायर कर लिये जायंगें जो गिराने के लायक नहीं हैं और थोड़े से सुधार से बन सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार अधिकारी कार्य करेंगे इसका मुझे खेद है। अब तो यह विधेयक पास हो रहा है और थोड़े दिनों के बाद इस पर कार्यवाही होने लगेगी। मन्त्री जी ने कहा कि इस पर कम समय लिया जाय और जल्दी पास हो तो जितना समय जरूरी था उतना ही समय इस पर हमने लिया है। जो एक दो दिन का समय लिया गया है उस देर का खयाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ विवाद यहाँ पर सदन में इस पर हुआ है उसको नियम बनाते समय मंत्री जी अपने ध्यान में रखें। वैसे हम इस विधेयक की भावना का स्वागत करते हैं। जो गरीबों के हित की बात इसमें कही गई है वह ठीक है, लेकिन जो रह गई है उनको नियम बनाते समय ध्यान में रखा जाय। हमें खेद है कि जिस किसी व्यक्ति ने इस विधेयक को बनाया है उन्होंने सब बातों पर ध्यान नहीं दिया

यह विधेयक जब प्रवर समिति में गया तो मैं भी उसका सदस्य था। कुछ दिन उसमें मंगला प्रसाद जी रहे। उसके बाद माननीय चतुर्भुज जी शर्मा आये। आधा विधेयक उन्होंने तैयार किया और आधा बाद को शर्मा जी ने तैयार कराया। कुछ समय दूसरे ने उस पर लगाया और बाकी जो रह गया उसको दूसरे ने तैयार किया। इसके बाद तीसरे मंत्री आये। इस वजह से इसके अन्दर कुछ ऐसी बातें रह गईं जो नहीं रहनी चाहिये थीं। उस समय भी हमने अपील की थी और कहा था कि ये जरूरी बातें हैं इनको स्थान इस विधेयक में जरूर मिलना चाहिये। उस समय हमने कहा था कि इसके अन्दर मौलिक अधिकारों के अपहरण का प्रश्न है तो कम से कम उसकी अपील सुनने का अधिकार जज को होना चाहिये। उस समय मंत्री जी ने कहा कि

हाँ, जितने भी सदस्य हैं वे सब स्वतंत्र हैं और चाहे जिस तरह से अपने विचार व्यक्त करें। उस वक्त वोटिंग हुई तो उस में मेरी बात की विजय हुई और उस वक्त अपील वाला संशोधन मेरे पक्ष में पास हो गया। मंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक का मर्डर हो गया। मैं मौन होकर शान्त बैठा रहा। यदि कहीं मौलिक अधिकारों के हित के नियम बनाये जाते हैं तो क्या उससे कोई मर्डर हुआ करता है। उसके बाद उसको ३ महीने तक स्थगित कर दिया गया। तीन या चार महीने के लिये, ठीक याद नहीं, इसे स्थगित कर दिया गया और फिर इसे प्रवर समिति में रख कर मुझ से कहा गया कि इस पर फिर विचार कर लिया जायगा और हम समझते हैं कि मेरे विचारों का समावेश इसमें होगा। फिर जब विचार हुआ तो विचार करने वालों में तीन बहिनें भी थीं और उनके विचार उस समय मंत्री जी को पंसद नहीं आये। फिर हम से कहा गया कि आपके विचारों का समावेश हम नियमों में कर लेंगे। उन पर विश्वास करते हुए मैंने अपनी राय दे दी कि इस पर पुनर्विचार कर लिया जाय और उस समय मुझे विश्वास था उन बातों का जो उस समय स्वीकार कर ली गयी हैं, उसमें समावेश होगा। उसके बाद शर्मा जी दूसरे विभाग में चले गये और इसे वैतरणी पार कराने के लिये विभाग के दूसरे मंत्री जी के हाथ में छोड़ गये और वह सब बातें समाप्त हो गयीं। प्रवर समिति के सामने फिर जब यह आया तो मुझे भुलावे में डाल कर मेरी बात को उलट दिया गया और वही मुझे याद है। इसलिये मैं इतना आग्रह करता था। शर्मा जी के बारे में जो कुछ मैंने सुना उसके बाद मुझे उन पर बड़ी श्रद्धा है, किन्तु मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वयं इस बिल का अध्ययन नहीं किया। हम से बार बार यही कहा कि हम अव्यावहारिक स्वरूप रख रहे हैं, कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा नहीं। असली बात तो माइट इज राइट है फिर भी मैंने अपनी बातों को आपके सामने रखा। दूसरे विधेयकों के सेक्शन तक मैंने कोट किये थे, लेकिन पार्टिकुलर वर्ड्स इसमें से ड्राप आउट कर दिये गये हैं। दूसरी जगहों में छोटी-छोटी बातों को लेकर हाईकोर्ट में अपील की व्यवस्था है, यह ठीक है कि ऐसा करना यहाँ संभव न होता, लेकिन जिस असली मंशा के लिये यह विधेयक लाया गया है, मेरे संशोधन न मानने से मुझे भय है कि उसकी पूर्ति नहीं होने पायेगी।

अपने विचार समाप्त करते समय एक बात और कहूंगा। माननीय मंत्री जी ने अन्त में एक सेक्शन दिया है जिसमें सरकार को अधिकार है कि वह नियम बना सकती है इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिये और उन विषयों का उल्लेख उस धारा में है। मैंने बार-बार उसे पढ़ा और सोचा कि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरी भावनाओं का समावेश वे उसमें करें, लेकिन बहुत कम विचारों का समावेश उसमें हो सकेगा। नियम बनाते समय भी इस बात का विचार नहीं किया गया और उस समय सरकार की मजबूरी होगी। मंत्री जी इसको पढ़कर इस नतीजे पर अवश्य पहुंचेंगे कि जो वह चाहते हैं वे वह कर नहीं पायेंगे। उनके हाथ बंधे होंगे।

अन्तिम बात यहकि इसमें भी हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट का हाथ रखा गया है। जब नीचे से कोई चीज ऊपर के लिये आयेगी सरकार के पास तो, क्योंकि सरकार आजकल योजनाओं से इतनी लदी है कि वह केवल रिटेन वर्क हो जायगा। बात केवल दस्तखत तक ही सीमित रहेगी। उसके औचित्य और अनौचित्य पर विचार नहीं हो पायेगा। चाहे कितने ही रिप्रेजेनटेशन किये गये हों। एक सेक्शन की शिकायत जब सरकार के पास आयेगी तो सरकार उसे देखेगी और तभी सरकार की स्वीकृति की मुहर का प्रश्न उठेगा। तब कोई दवा नहीं रह जायगी। इसमें भी कहीं राजनीतिक खेल न हो जाय। हमारी पार्टी वाले दौड़ धूप करेंगे और अपनी मंशा करने लगेंगे। हमारी सरकार उनकी बातों से प्रेरित न हो। हमारी बातों की अवहेलना न करे। मुझे इसके बारे में बड़ी शंका है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इन बातों की तरफ अपना ध्यान रखें। इसके अलावा मैं श्रीमन्, और कुछ नहीं कहूंगा। वैसे इसकी मंशा के विरुद्ध मैं कह ही क्या सकता हूं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, कई दिन के बाद संशोधन के इतना बढ़िया होने के बावजूद मुझे अब बोलने का अवसर मिला है। इस विधेयक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। आज मुझे वह बात याद आती है कि जब पूज्य बापू यह साफ कहते थे कि दलगत राजनीति में बहुत बड़ी खराबी होती है। श्रीमन्, भारतवर्ष के अन्दर आज भी दलगत राजनीति के आधार पर हम लोग इस सदन में हैं, अतः हमारी बात नहीं मानी जाती है। इससे बड़ा दुख होता है। भारतवर्ष का इतिहास और इस प्रदेश का इतिहास हमें देखना चाहिये। हमने इतना बढ़िया सुझाव सरकार को दिया, परन्तु उसने नहीं माना। मैं यह मानता हूं कि सरकारी पक्ष की तरह से हमारी विरोधी पार्टियों के लोग भी हैं और जो दलगत राजनीति में खराबी है उससे वे भी नहीं बचे रह सकते। सरकार, जो समाजवाद का लक्ष्य है, उस पर नहीं चल रही है। हम चाहे कितनी ही अच्छी और सही बात क्यों न कहें, परन्तु सरकार में २५–३० आदमी चूंकि ज्यादा हैं इसलिये सरकार कहे कि जो कुछ हम कहें बस वही ठीक है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं इन भावनाओं का आदर नहीं कर सकता।

एक ओर तो माननीय मंत्री जी संत विनोबा भावे, श्री जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी की बात करते हैं और दूसरी ओर उन्होंने सक्षम अधिकारी को इतने अधिकार दे रखे हैं इससे मुझे निहायत दुख होता है? मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री जी मलिन बस्ती क्षेत्रों का सुधार करना चाहते हैं और उनकी भावनाएं इन विचारों से ओतप्रोत हैं। उनके विचारों से यह भी स्पष्ट हुआ कि वे इसे जल्दी से जल्दी पास करना चाहते हैं। इसमें संशोधन रखने और उसके दोबारा पास होने में बड़ा समय लगेगा और इन बातों के भय के कारण मलिन बस्तियों के सुधार में बड़ी देर लग रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें आज कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आपका दलगत राजनीति में विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आप संत विनोबा, श्री जयप्रकाश और महात्मा गांधी का सही माने में आदर्श नहीं मानते हैं और न उनमें विश्वास ही करते हैं। आपने अपनी भावनाओं से सक्षम अधिकारी को नापा है। मैं आपको ५ सालों में एक नहीं अनेकों उदाहरण दूंगा कि कैसे सक्षम अधिकारी गरीबों की गर्दन और गला काटते हैं? मलिन बस्ती के सुधार के नाम पर गरीबों को मकान रहने को नहीं मिलेंगे, बल्कि वह लोग उन में रहेंगे जिनको मकानों की अधिक आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी बात फिर दोहराना चाहता हूं कि यह सरकार जो सर्वहारा की समस्यायों पर विचार करने के लिये इस विधेयक को ज्यों का त्यों पास करवाना चाहती है, उससे सर्वहारा की समस्या का समाधान नहीं होगा वह बढ़ेगी। जिन लोगों के मकान लिये जायेंगे उनको, जो मकान दिये जायेंगे उनका किराया बहुत ज्यादा होगा इसलिये वह कैसे रहेंगे। इसमें बड़े लोग ही रह पायेंगे। यदि छोटे लोग रहेंगे तो वे नौकर की हैसियत से रहेंगे। जो आप सर्वहारों के उद्देश्य से यह विधेयक पास करना चाहते हैं तो इसमें सर्वहारा का कोई भला नहीं होगा। मैं आपको एक नहीं अनेकों उदाहरण दूंगा पांच सालों में कि कहां-कहां पर सर्वहारों के मकान तोड़कर उनके लिये कोई दूसरा प्रबंध नहीं किया गया है।

श्रीमन्, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह अभी लखनऊ में, जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने बताया था, बंजारे लोगों द्वारा डकैतियां पड़ीं, अगर यह विधेयक पास हो जाता है तो वे लोग भी, जो बे-घरबार के हो जायेंगे, जिनके लिये रहने को कोई मकान नहीं होगा, जिनकी टूटी-फूटी झोपड़ी भी नष्ट कर दी जायेगी, वे भी डकैती डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि भूखा क्या नहीं करता "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्"। संख्यासुर के नाम पर अगर आपने इस बिल को पास कर भी लिया तो बाद को आप पछतायेंगे कि हमने गलती की जो विरोधी दलों की अच्छी बातों को भी नहीं माना। यहां पर हम लोग आपसे ज्यादा जनता के वोट प्राप्त करके आये हैं, यह अवश्य है कि संख्या में आप हम से ज्यादा हैं। यहां पर भी एक-एक सदस्य २०-२२ हजार वोट लेकर आया है। आप अपनी संख्या के बल पर, तानाशाही के बल पर आज इसे पास कर रहे हैं। इसके लिये आपको बाद में जरूर अफसोस होगा। इन शब्दों के साथ

में इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह कहते हुये मैं यह निवेदन करूं कि यदि माननीय मंत्री जी ने थोड़ा-सा भी हमारी कही गयी बातों की ओर ध्यान दिया और स्थिति का सर्वेक्षण कराया तो शायद वे कुछ इसमें सुधार कर पायें, वरना जब आप मंत्री पद से चले जायेंगे, तब इस विधेयक का क्या हाल होगा, यह समय ही बतलायेगा।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक यहां पेश हुआ है और जो उद्देश्य उसमें दिये गये हैं वे अपनी जगह पर भले ही हैं, किन्तु मुझे यह कहते हुये संकोच नहीं होता, दुख ही होता है कि जो उद्देश्य और कारण इसमें दिये गये हैं उनका प्रतिनिधित्व इस विधेयक में होता है, उसकी मंशा इस विधेयक द्वारा पूरी होती है, इसमें मुझे शंका है। श्रीमन्, आपने देखा कि जो संशोधन हमारी तरफ से आये, वे मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की इच्छा का कहां तक प्रतिनिधित्व करते थे, उनसे कितनी भलाई उन लोगों की होने वाली थी, लेकिन इस सरकार ने, अपनी संख्या के बल पर उन सभी को ठुकरा दिया। माननीय मंत्री जी ने एक भी संशोधन मानने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस संकल्प से, सही तरीके से, हमारी जनता की भावनाओं का आदर नहीं होता हो, तो हमें उसका विरोध करना चाहिये। श्रीमन्, मैं उन्हीं भावनाओं के अंतर्गत इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, आप देखते हैं कि इस विधेयक में निपातन का अधिकार एक ऐसे अधिकारी को दिया गया है जो नीचे से ऊपर तक एग्जीक्यूटिव पोस्ट को होल्ड करता है, और उसे सारे अधिकार दे दिये गये हैं। मैं कहता हूं कि जब मैं स्वयं सरकार का एक अंग हूं तो मैं कैसे ईमानदारी के साथ न्याय कर सकता हूं उस व्यक्ति के साथ जिसका मकान गिराया जायेगा। इसके लिये जो त्रिपाठी जी ने कहा था कि यह अधिकार तो एक ऐसे अधिकारी को देना चाहिये जो जिला जज की पोस्ट पर हो और वह इन मसलों को तय करे और अपना निर्णय दे। उस निर्णय को फाइनल मानना चाहिये। उस अधिकारी के या सरकार के फैसले को फाइनल नहीं मानना चाहिये। मैं समझता हूं कि वह बिलकुल ही इन मंशाओं के अनुकूल था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको गिरा दिया। मुझे कहना यह है कि यह विधेयक जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखने से तो साफ पता चलता है कि देहातों से लोग शहरों की तरफ आते जा रहे हैं और शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और मलिन बस्तियों का बहुत ज्यादा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इसलिये उसके निपातन के लिये और वह लोग जो इन गली-कूंचों में पड़े हुये हैं उनको कहीं अच्छे स्थान पर शुद्ध आब हवा देने के लिये यह जरूरी है कि कुछ मकान बनाये जायं और मलिन बस्तियों को उजाड़ा जाय। इस उद्देश्य का कौन विरोध कर सकता है, लेकिन विधेयक के नकशे को देखा जाय तो मालूम होता है कि सरकार सारी शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित करना चाहती है, जनता के हाथ में विकेन्द्रित करना नहीं चाहती। जैसा यह बनाया गया है उसमें बहुत सी कमियां और त्रुटियां हैं। अगर वे दूर हो जायं तो हमें मान लेने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब हम इसकी भावनाओं को देखते हैं, जब सक्षम अधिकारी और "यथाशक्य" शब्दों का प्रयोग पाते हैं तो हमारी आशंकाएं बढ़ती हैं। हमारे मंत्री जी जनतांत्रिक परम्पराओं की दुहाई दिया करते हैं, लेकिन बहुमत के आधार पर वह ऐसी चीजें मनवाना चाहते हैं जो गले से नहीं उतरती हैं। इसलिये उचित यही है कि इसको इस समय वापस लें। इस में पर्याप्त सुधार की जरूरत है। इसकी त्रुटियों की पुनः जांच करायी जाय और अगर यह सेलेक्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, अगर उसके ऊपर पुनः विचार होकर एक बार वहां जाय तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक की मंशाएं ठीक तरह से प्रतिपादित हो पायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, विधेयक का मैं भी विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक इसकी भावनाओं का सवाल है, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन इसमें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से आये दिन गड़बड़ियां होंगी। माननीय मंत्री जी इससे सहमत होंगे और जहां तक मैं समझता हूं बहुत जल्दी इसमें उन्हें संशोधन करना पड़ेगा। जहां तक मलिन बस्तियों को गिराने और उनके पुनर्निर्माण का सवाल है, वह अच्छी बात है, मैं तहे दिल से इसका समर्थन करता हूं और मंत्री जी तो बहुत उदार व्यक्ति हैं, उनकी ओर से मुझे शिकवा-शिकायत नहीं है, लेकिन जमीन लेने की जो व्यवस्था है, बस्तियों को उजाड़ा जायगा या लोगों को पुनः उस स्थान पर बसाया जायगा। इसके बारे में मंत्री जी का दिमाग साफ नहीं है। साफ भी है तो वह यह है कि वहां पर बहुत ज्यादा लोग उस जमीन को खरीद कर बस्तियों का निर्माण करेंगे, जैसा कि मंत्री जी ने कहा। मंत्री जी का यह भी कहना है कि सब्सीडी के रूप में हम रुपया देते हैं और कुछ सेन्ट्रल गवर्नमेंट देती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने १.९० लाख रुपया जो गन्दी बस्तियों के निर्माण के लिये तीसरी योजना में दिया था उसमें से कितना रुपया आपने खर्च किया और कौन-कौन सी बस्तियों का निर्माण किया। कानून लागू होने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट आये दिन सब्सीडी और अनुदान के रूप में रुपया देगी, लेकिन अभी तक तो यही नतीजा निकला कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जो रुपया मिला वह या तो लैप्स हो गया या मंत्री जी ने वहां से हासिल नहीं किया।

जहां तक मुआविजे का सवाल है, आप विधेयक में देखेंगे कि जितनी आमदनी एक महीने में जिस जमीन की या मकान की होती है उसका १०० गुना मंत्री जी ने रखा है। अगर उस पर कोई एतराज करेगा तो लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ की जो धाराएं हैं वे लागू होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि उन गरीबों को उनकी जमीनों का मुआविजा आज की कीमतों के अनुसार क्यों न दिया जाय? मैं समझता हूं कि यह उनके साथ घोर अन्याय होगा। मिर्जापुर में जो रिहन्द बांध बना वहां पर हमारे सूबे के ४५ हजार आदमियों को उजाड़ा गया और मध्य प्रदेश के ८ गांवों को उजाड़ा गया। मध्य प्रदेश के लोगों को तो उनका मुंह मांगा ढाई हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से मुआविजा दिया गया, जबकि यहां के लोगों को तो न तो सरकार ने ठीक से बसाया, न जमीन का प्रबन्ध किया और केवल ढाई-तीन सौ रुपया प्रति एकड़ मुआविजा दिया। इसी प्रकार से आज ज्वालापुर में भी यही सवाल पैदा हो गया है जहां पर कि बिजली का कारखाना खुल रहा है। वहां पर हड़तालें शुरू हो गई हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री ऊदल—श्रीमन्, मुआवजे का प्रश्न बहुत अहम सवाल है। ज्वालापुर में १५ हजार एकड़ भूमि प्राप्त की जा रही है और वहां किसानों का एक आन्दोलन भी शुरू हो गया है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट रुपये देने के लिये तैयार है, लेकिन माननीय मंत्री जी की सरकार हमारी जमीन का मुआवजा सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ठीक से नहीं दिला सकती है। पता नहीं, यह अपनी बात कहने में शरमाते हैं या और कोई बात है। इसी प्रकार, श्रीमन्, बनारस कारपोरेशन ने कुछ लोगों को हटाया, माननीय मंत्री जी से जब हमने कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह इस विधेयक से संबंधित नहीं था। क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी ने उजड़े हुये लोगों को जमीन क्यों नहीं दिलवाई। भेलूपुर, दुर्गाकुंड में युनिवर्सिटी के पास, जमीनों को ज्यादा दामों पर कारपोरेशन ने बेचा और वहां के गरीब लोगों को उजाड़ा गया। इसलिये हमको खतरा है कि इस विधेयक से लाखों गरीब लोगों को बे-घरबार किया जायगा। इसमें कोई मतभेद का सवाल नहीं है। नैतिकता और मानवता के दृष्टिकोण से मुआवजे का सवाल, और जिन्हें उजाड़ा जाय उन्हें बसाने का सवाल ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी पुनः इन सवालों पर विचार करने की कृपा करें।

इन्हीं वजूहात से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी, अगर वह इसे आज पास कर ले जाते हैं, तो फिर इसमें संशोधन लाकर इसे ठीक करेंगे।

हो सकता है कि हम लोगों की बात उनकी अब समझ में न आई हो या हम लोग उन्हें ठीक से समझा न पाये हों या वह अपनी बात हमें ठीक से न समझा पाये हों, मगर इस कानून से भला तभी हो सकता है जबकि इस में कुछ संशोधन किये जावें। विधेयक की आत्मा का समर्थन करते हुए मैं इसकी बहुत सी बातों का विरोध करता हूं।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के संबंध में एक कविता द्वारा अपने भाव प्रकट करूंगा :

अहो ! बस्ती का टीला करे, हस्ती को ढीला करे,
मस्ती से हीला करे, हुक्म सरकारी है।
नीति के दुधारे से सुधारे जो हमारे घर,
बिना मौत मारे सो सक्षम अधिकारी है।
मानिये तो मानिये न मनवा ही देगा सच,
क्रूर, मुख-कारी, लिये कलम की कटारी है।
भारत के भाला पै चढ़ाया नया भूत खूब,
विचित्र-नारायण विचित्र लीला तुम्हारी है।

(वाह, वाह)

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, बारबार यह कहा गया कि इस विधेयक की आत्मा और भावनाओं से हमारी हमदर्दी है और इसकी रूपरेखा से हमारा विरोध है। अगर यही मैं भी कहूं कि विरोधी दल के मित्रों की भावनाओं से मेरी पूरी हमदर्दी है पर व्यवहार में जो बात वे कहते हैं वह ठीक उसके उलटी पड़ती है जो वह चाहते हैं। जो कुछ इस समय हो रहा है वह इस विधेयक के मातहत नहीं हो रहा है। यह तो अभी पास भी नहीं हुआ है। जो कुछ हो रहा है उसके लिये किसी माननीय सदस्य ने यहां एक संशोधन भी नहीं पेश किया कि जिससे और सब कानून रद्द हो जावें, जो इस समय लागू है। ५, ७ दूसरी स्कीम्स हैं जिनके मातहत लोग अपनी जमीन बेच कर चले जाते हैं और शहर बढ़ते चले जा रहे हैं। कानपुर पहले छोटा-सा गांव था। बढ़ते बढ़ते अब कितना हो गया है। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि बेतरतीब से आबादी न होकर तरतीब से हो और गरीब लोगों के लिये कुछ राहत हो जाय। करोड़ों रुपया हम इसके लिये खर्च करते हैं। ऊदल जी कहते हैं कि रुपये का क्या होता है। १ करोड़ ९० लाख की बात उन्होंने कही। मेरे पास १ करोड़ ९६ लाख का हिसाब तो यहीं पर मौजूद है। अगर वह चाहें तो मैं इसके आंकड़े पढ़ सकता हूं। इसमें १ करोड़ १६ लाख तो सिर्फ कानपुर में है। सबसे ज्यादा गंदी बस्तियां वहां हैं। कानपुर में और भी हैं, ४ लाख ९६ हजार और हैं और ५ लाख और है। इस तरह से वास्तव में १ करोड़ २४ लाख, २५ लाख केवल कानपुर के लिये है। करीब ५,२७५ मकान बन चुके हैं।

श्री ऊदल---दूसरी पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---तीसरी तो चल ही रही है और उसकी सुविधा के लिये, उसे लागू करने के लिये, यह विधेयक है। जमीन हमको नहीं मिलती है, हम क्या करें। इन सब दिक्कतों को हल करने के लिये यह विधेयक आया है। मैं यह मानता हूं कि यह आदर्श विधेयक नहीं है और उसका साफ कारण है कि वास्तव में आज हमारा समाज आदर्श नहीं है। इमानदारी और सचाई के साथ यह कहा जा सकता है कि यह विधेयक समस्या का पूरा हल नहीं करता। यह नहीं समझना चाहिये कि सरकार इसे महसूस नहीं करती है। हम जितने भी काम कर रहे हैं वे वास्तव में हमारी बढ़ती हुई समस्याओं को पूरा हल नहीं करते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न बढ़ती हुई आबादी का है। खाने का, मकान का, शिक्षा का और पच्चीसों सवाल हमारे समाने आवेंगे, जो एक सभ्य समाज के सामने आ सकते हैं। अगर हमारे साधन नहीं

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

बढ़ते हैं तो हम कैसे इन तमाम प्रश्नों को हल कर पावेंगे, इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। माफ करेंगे विरोधी दलों के मित्र अगर मैं यह कहूं किसी कटुता से नहीं कह रहा हूं कि अपने हृदय में वे विचार करें कि आज जब वह सरकार को प्रस्ताव देते हैं कि यह खर्चा और बढ़े तो क्या यह जरूरी नहीं है कि वे आमदनी बढ़ाने के भी सुझाव दें। आमदनी बढ़ाने के लिये खर्चा कम करने की बात जरूर कही जाती है। मैं यह नहीं कहूंगा कि खर्चे में कमी नहीं हो सकती है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सरकार के किसी भी विभाग में, स्वयं मेरे अपने में, कहीं वेस्टेज नहीं है। हमारे सामने ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं जब हम कहते हैं यह कर दो, वह कर दो, लेकिन जो भी मशीनरी हमारे सामने है उसको देखते हुए क्या हम उस काम को न करें, क्या काम करना रोक दें? मान लीजिये कहीं पर अकाल पड़ा और बाढ़ की वजह से कोई हिस्सा अलग हो गया, खाना जहां लोगों को नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसके लिये एयरोप्लेन से भी हमें खाना पहुंचाना पड़ता है जिस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसके लिये कहा जा सकता है कि यह बहुत वेस्ट है, लेकिन जब हमें उनके पास खाना भेजना ही है तो कोई भी समझदार आदमी इस बात से मना नहीं कर सकता कि एयरोप्लेन से खाना उनको न भेजा जाय। इसी तरह के दूसरे प्रश्न भी हमारे सामने आते हैं।

जैसा कि हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं, अगर थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि हमारी मशीनरी बहुत महंगी है, सभी मुलाजमान नालायक हैं, तो क्या जो भी समाज सेवा के कार्य हैं उनको बंद कर दिया जाय? एक आनरेबिल जज ने कहा कि यह पुलिस आर्गेनाइजेशन गुन्डों का समूह है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिये कि यह बात ठीक भी हो तो भी क्या उसके द्वारा होने वाले कार्यों को रोक दें? कोई भी आदमी जिम्मेदारी के साथ यह सलाह नहीं दे सकता कि चूंकि पुलिस ऐसी है, इसलिये उसको बिलकुल खत्म कर दिया जाय। इसी प्रकार से हमारे सामने बहुत से सवाल आते हैं और हम सोचते हैं कि जो भी मशीनरी हमारे पास है, जो भी साधन हमारे पास हैं उनके रहते हुए हम इस कार्य को करें अथवा न करें और जिस अनुपात से हमारी आबादी बढ़ रही है उस अनुपात से अपनी आमदनी को भी बढ़ायें, प्राडक्टिविटी को बढ़ायें। जितनी भी चीजें हमारे खिलाफ विरोधी दलों की तरफ से कही जाती हैं उनको थोड़ी देर के लिये सच मानते हुए भी हमारा यही जवाब होगा कि हमें काम करना ही चाहिये और आगे बढ़ना ही चाहिये।

जो फर्क विरोधी दल में और हम में है वह यही है कि हम जिम्मेदारी महसूस करते हैं और हमारे मित्र जो विरोध करते हैं उनसे भी हम सहयोग चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सहयोग तो मिलता नहीं है, विरोध सहकर भी हम, जो काम समाज के लिये उचित समझते हैं, हमारे सामने आये हुए प्रश्नों को हल करने के लिये, करते हैं। यह हमारा दुखद कर्त्तव्य हो जाता है। एक पड़ोसी की तरह हम किसी गरीब आदमी के लड़के से यह नहीं कह सकते कि तेरा बाप तेरे पर कम खर्च करता है, तेरे पास जूता नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसकी मेहरिया से यह नहीं कह सकते कि तेरे पास साड़ी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वह बेचारा गरीब आदमी क्या करे। एक पड़ोसी तो कह भी सकता है, लेकिन घर का बाप यह कैसे कह सकता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका लड़का अगर जूता पहने तो उसको खुशी होगी, लेकिन वह करे तो क्या करे? अगर वह इधर करता है तो उधर से काटना पड़ता है और उधर करता है तो इधर से काटना पड़ता है।

वही हालत आज हमारी सरकार की है। आज अगर हमारे पास अनिश्चित ढंग से साधन होते तो भले ही हम वह करते चले जाते जो आप कहते, लेकिन अफसोस है कि हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है जो रगड़ा और कह दिया कि महल बन जाओ और महल बन गया। हमें तो एक एक पाई के लिये, एक-एक वस्तु के लिये साधन जुटाने पड़ते हैं, अपने भाइयों के ऊपर

कर्ज का, टैक्स का बोझ लादना पड़ता है। अरबों पया देश के ऊपर कर्ज लदा है। वह केवल इसलिये कि हम सोचते हैं कि कदाचित् कर्ज लेकर और उत्पादन के साधनों को बढ़ा कर हम बढ़ती आबादी की रेस में उत्पादन को भी कदम व कदम चला सकें और आगे बढ़ सकें। वास्तव में उचित तो यह है कि हमारे साधन बढ़ें, हमारा उत्पादन आगे बढ़ सके, तब तो आज की वर्तमान स्थिति पर हम काबू पा सकेंगे। अगर हमारे साधन नहीं बढ़ते हैं या और ज्यादा रफ्तार से नहीं बढ़ते हैं तथा जितना हमारा उत्पादन बढ़े उससे कहीं ज्यादा आबादी बढ़ती है तो हमारी परकैपिटा इनकम में कमी होती जायगी, हमारा देश और गरीब होता जायगा, यह प्रश्न है। तो न चाहते हुए भी आपका विरोध लेकर हम ऐसी बहुत-सी बातें करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि ऐसी बातें कहूं जिन्हें हमारे वोटर्स पसन्द न करें, जिन्हें अखबार वाले पसन्द न करें, और जिन्हें जनता भी पसन्द न करे। फिर भी हम ऐसी बात कहते हैं, तो आखिर क्यों? हमारी इमानदारी की तरफ भी थोड़ा-सा ध्यान दिया जाय। अगर इन कुर्सियों पर ही बैठा रहना उद्देश्य होता तो शायद हम ऐसी बात न कहते और अगर आप कहते कि टैक्स न लगाया जाय या लगान कम कर दिया जाय या टैक्स में छूट दे दी जाय तो हम वह सब कर देते, लेकिन उससे समस्या का हल नहीं होगा, समाज का लाभ नहीं होगा, बल्कि उससे समाज को नुकसान ही पहुंचेगा। इसलिये अप्रिय वस्तु को स्वीकार करके कभी कभी अप्रिय काम भी करने पड़ते हैं। हम चाहते हैं कि आपके मन की बात करें और आप विश्वास रखें कि हमें अच्छा नहीं लगता कि आपका विरोध करें।

इसी सदन में इस विधेयक पर बार-बार बोलते हुए निवेदन किया गया है कि आप चाहते हैं कि मलिन बस्तियों को हटा कर वहां के रहने वालों के लिये जो मकान हम बनायें उनका किराया ७–८ रुपये महीने से अधिक न हो। यूसुफ साहब तो ५ रुपये महीना ही चाहते हैं और मेहतरों के लिये ४ रुपये महीना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि जो लोग वहां से हटाये जायं उनको मुआवजा ज्यादा मिले। ४ हजार रुपये सालाना से कम जिनकी आमदनी हो उनको पुनर्वास भत्ता मिले और कुछ एलाउन्स मिले और जिन लोगों को मलिन बस्तियों से हटाया जाय उनके रहने के लिये पहले ही अच्छे मकान बना कर दे दिये जायं। इसका नतीजा यह होगा कि खर्चा बढ़ेगा, लेकिन मेरे किसी मित्र ने कोई कांक्रीट सजेशन नहीं दिया कि अगर इस तरह से किराये आदि में कमी कर दी जाय तो उस कमी को पूरा कहां से किया जायगा। एक पड़ोसी की तरह से यह सलाह दे देना कि यह भी कर दो, वह भी कर दो, बड़ा आसान है, लेकिन उसका प्रबन्ध करना बड़ा कठिन है। चूंकि हमारे सामने उनके प्रबन्ध करने की बात है, क्या हमें यह अच्छा लगता है कि लोगों के लिये रहने का प्रबन्ध न हो अगर हम प्रबन्ध कर सकते हों? इसीलिये विधेयक में इस चीज को रखा गया है और कोशिश कर रहे हैं कि इस विधेयक संबधी रूल्स बनाते वक्त जो भी सम्भव हो सकता हो उसका कुछ न कुछ प्रबन्ध जरूर किया जाय। मैंने सारी पोजीशन साफ कर दी। हमारी इच्छा नहीं है कि जो कमी है वह बनी रहे, लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि यहां के टैक्स पेयर्स की ऐसी कैपेसिटी नहीं है जो वह ज्यादा दे सके। ६२ परसेंट का जो अनुदान है वह काफी है उन गरीबों के लिये। अगर इसको बढ़ाते हैं तो टैक्स बढ़ाना होगा, हमारी गरीब जनता पर और बोझ बढ़ेगा। इसलिये कि गरीबों को ज्यादा बोझ न बर्दाश्त करना पड़े, मैं आपकी बहुत सी चीजों को स्वीकार नहीं कर सका हूं। मैं आशा करता हूं कि जो सफाई मैंने अभी दी, उसे देखते हुए आदरणीय सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार और निपातन) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२

†समाज कल्याण मंत्री (श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव)—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Bill, 1962] पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह विधेयक बहुत छोटा-सा विधेयक है और बहुत थोड़े समय के लिये है। इस को केवल दो वर्ष के लिये पास करना है और इसका जो अधिनियम बनेगा वह दो वर्ष के बाद समाप्त हो जायगा। दोनों हाउसेज की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी द्वारा इसमें जो कुछ संशोधन आये हैं उन संशोधनों पर विचार करना है और ऐसे संशोधन कम से कम किये जाय जिससे फिर विधान परिषद् में यह जल्द से जल्द पास हो जाय। सन् १९६० में जबकि यह विधेयक पेश हुआ था, यदि उसी समय पास हो गया होता तो दो वर्ष में जो काम हमें करने थे वे भी समाप्त हो गये होते। अब एक विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत है। वह सारी धार्मिक संस्थाओं के लिये है और उसी आधार पर अपने यहां भी विधेयक बन जायगा, बल्कि उसका नोटिफिकेशन कर देने से वह विधेयक लागू हो जायगा। जब तक यह नहीं होता उस समय तक के लिये सब लोग चाहेंगे कि जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा की जाय और जो उन संस्थाओं की आमदनी है उसका अपव्यय न होने पाये। इस उद्देश्य से यह विधेयक पेश किया गया है और जैसा मैंने बताया संयुक्त प्रवर समिति ने इसको बनाया है, विचार किया है और इसको बनाने के पहले तमाम स्थानों पर उस समिति ने दौरा किया, लोगों के बयानात लिये उसके बाद यह विधेयक बनाया गया है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार किया जाय।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं इस बिल के उद्देश्य का हृदय से स्वागत करता हूं और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आखिर एक गहरी नींद के बाद उन्होंने यह आवश्यक समझा कि इस बिल को सदन में प्रस्तुत किया जाय जैसा कि इसके एम्स और आब्जेक्ट्स में लिखा है कि सन् १९५५ में एक बिल आया था इस संबंध में, आज सन् १९६२ है। ७ साल का लम्बा समय गुजर गया, लेकिन इस बिल को और इस बिल के सिद्धान्तों को इस सदन में इससे पहले रखना आवश्यक नहीं समझा गया। मैं समझता हूं कि इस दिशा में काफी गफलत हुई। इससे पहले यह बिल आता तो और उचित था, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में मन्दिरों, मठों तथा इस तरह के जो निकाय हैं धार्मिक उनकी व्यवस्था वास्तव में बहुत खराब है और आवश्यकता थी और है कि उन पर प्रतिबन्ध लगाये जायं, समुचित प्रतिबन्ध लगाये जायं। सौभाग्य से इस महत्त्वपूर्ण विषय पर केन्द्र का भी ध्यान जा चुका है। हमारे यहां मान्यवर, अब तक केवल इंडियन ट्रस्ट ऐक्ट और रिलीजस एंडाउमेंट ट्रस्ट ऐक्ट, १८६३, यह दो संबंधित नियम थे जो काफी पुराने हो चुके हैं। उस समय अंग्रेज सरकार थी। अंग्रेज सरकार की एक नीति रहती थी कि वह धार्मिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं रखती थी। उसके बाद देश में १८९०, १८९५, १८९९ में मांग हुई इस तरह का कोई

---

*१६ अप्रैल, १९६२ की कार्यवाही में छपा है।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम्प्रीहेंसिव ऐक्ट बने, जिससे देश की धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध हो सके। १९०३, १९०५ और १९०८ में हमारे देश के कई प्रदेशों की लेजिस्लेटिव असेम्बलीज में प्राइवेट बिल्स देश के बहुत प्रमुख व्यक्तियों ने पेश किये, जैसे श्री आनन्द चावला, डाक्टर ए० बी० घोष, श्री रहीमतोला आदि ।

उसके बाद १९१४ में एक कांफ्रेंस हुई जिसमें तमाम प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए और १९२० में केन्द्र ने इस दिशा में एक ऐक्ट बनाया और पहली बार थोड़ा कंट्रोल इन धार्मिक संस्थाओं पर करने की बात सोची गई, लेकिन अब बहुत समय बीत गया, हम स्वतन्त्र हो गए, आज अंग्रेजों के हाथ में देश की बागडोर नहीं है, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जो उन सस्थाओं से सीधा सम्बन्ध रखते हैं। इसलिये स्वाभाविक है कि ऐसा बिल आना चाहिये था, लेकिन आज, जैसा कि मैं अभी कह रहा था, केन्द्र में इसके लिये एक बहुत काम्प्रीहेंसिव बिल आ चुका है। अभी कल या परसों जो कमेटी बनी इस विषय में वह कमेटी कदाचित् अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। उसके बाद इस बिल का कोई महत्त्व नहीं रह जायगा। तो अब सन् १९५५ से ६२ तक इस गहरी नींद में सोने के बाद यह बिल नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन मैं एक बात की शिकायत करना चाहता हूं खास तौर से माननीय मंत्री जी की नोटिस में ला कर कि हमारे यहां की ड्राफ्टिंग बिलों की पता नहीं किस तरह से होती है, तो मुकदमेबाजी बढ़ती जाती है, मैं तो समझता हूं कि उसका काफी दोष यहां की खराब ड्राफ्टिंग पर है। जल्दी में बिल ड्राफ्ट किया जाता है। कदाचित् ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और ज्यादा भूलें रह जाती हैं। माननीय मंत्री जी एक बहुत प्रतिभाशाली, उच्च कोटि के वकील हैं उन्होंने खुद देखा होगा और उनकी भी वही प्रतिक्रिया हुई होगी जो ला के ए, बी, सी, जानने के नाते मेरी है। मुझे ताज्जुब हुआ कि इतनी मामूली बातें जिन्हें कानून का ए, बी, सी, जानने वाला समझ सकता है उनकी तरफ हमारे कानून विभाग का ध्यान नहीं गया और वे खामियां इस बिल में मौजूद हैं। जो संशोधन आये हैं उनमें से कुछ स्वीकार हो गये तो उनमें कुछ कमी हो जायगी। मैं ताज्जुब करता हूं और मुझे खेद होता है कि आखिर कौन-सी जल्दी थी कि सन् १९५५ से ६२ यानी ७ साल तक यह बिल ज्वाइन्ट सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द रहा और जिस कमेटी ने इस बिल के लिये सारे प्रदेश की तीर्थ यात्रा की, सुनते हैं दो लाख के करीब उसमें खर्च हुआ। मेरी ये फीगर्स सब्जेक्ट टु करेक्शन हैं। लेकिन इतने लम्बे व्यय तथा टाइम के बाद एक ऐसे बिल का सृजन हो तो मैं समझता हूं अच्छा होता थोड़ा और इन्तजार होता और केन्द्र का बिल आ जाता, उस समय तक के लिये हम सोते रहते तो यह खराबी हमारे सामने न आती। इस बिल की लैंगुएज तो खराब है ही, लेकिन जो धारायें हैं वे भी एक दूसरे का खंडन करती हैं और प्रत्यक्ष ऐसी एनोमलीज हैं जिनके विषय में संकेत में मैं आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। उदाहरण के लिये मैं कहता हूं कि इसमें एक धारा में लिखा है कि जो अनुसन्धान अधिकारी होंगे अथवा जो और आफिसर होंगे उनका फैसला फाइनल होगा। फिर धारा १२ में लिखा है कि उन फैसलों की अपील अमुक अधिकारियों को होगी। तो दोनों बातें नहीं हो सकतीं कि एक आदमी का फैसला फाइनल हो और उसके बाद ही लिखा हो कि उसकी अपील अमुक व्यक्ति को होगी। पहली बार मैंने इस बिल में यह भी देखा कि सरकार के जो फैसले होंगे, आदेश जारी होंगे उनकी अपील भी डिस्ट्रिक्ट जज को होगी। मैं स्वागत करता हूं अगर सरकार या ला डिपार्टमेंट किसी उदारता के आधार पर ऐसा प्राविजन कर रहे हैं कि उनकी आज्ञाओं की भी अपील जिला जज के यहां हो सकेगी, लेकिन प्रत्यक्ष में मैं यह समझता हूं कि यह ड्राफ्टिंग की भूल है। ऐसी मंशा हो नहीं सकती। मैं जुडीशियरी का हमेशा उपासक रहा हूं और सिद्धान्त रूप में यह उचित भी है और मैं तो चाहता हूं कि जहां तक हो और जिस दिशा में जुडीशियरी का कंट्रोल हो सके अच्छा ही है और सरकार की आज्ञाओं की अपील जिला जज के यहां हो सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रत्यक्ष मालूम होता है देखने से कि बिलकुल भूल से जल्दी में ऐसा प्राविजन कर दिया गया है। इस ऐक्ट में तो ऐसा प्राविजन होने से फायदा कम

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

और नुकसान बहुत ज्यादा होगा, इसलिये कि उसका परिणाम यह होगा कि सरकार का जो खयाल है कि उसकी आज्ञा की अपील जज के यहां हो तो फिर उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिये यह किया जा रहा है और इतना लम्बा समय उसमें लग जायगा कि इसका मतलब ही खत्म हो जायगा। मैंने संकेत में दो, एक चीजों की तरफ़ ध्यान दिलाया। इसके अलावा और कई इस प्रकार के दोष हैं जिनको माननीय मंत्री जी स्वयं समझ चुके हैं।

मैं अब दो-एक और बातें आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं जो आधारभूत हैं। इस विधेयक में सिर्फ पब्लिक ट्रस्ट्स के बारे में लिखा हुआ है। पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट्स का झगड़ा, मान्यवर, आप स्वयं समझते होंगे, आप एक प्रतिभाशाली वकील रहे हैं कि इसमें कितने झगड़े होते हैं और कितना दरवाजा लिटीगेशन का इसमें खुल जाता है। तो यदि इस सिद्धान्त को मान भी लिया जाय कि पब्लिक ट्रस्ट्स तक ही इसे लागू करना है तो पब्लिक और प्राइवेट ट्रस्ट्स की परिभाषा इससे ज्यादा साफ होनी चाहिये थी। दूसरी सैद्धान्तिक बात यह है कि मैं यह समझता हूं कि यह पब्लिक ट्रस्ट और प्राईवेट ट्रस्ट, दोनों पर लागू होना चाहिये। एक मन्दिर के निमित्त जो दान होता है, वह जो सम्पत्ति होती है वह उसके देवता को समर्पित कर दी जाती है। दान देने वाले ने जब देवता के नाम उस सम्पत्ति का समर्पण कर दिया तो फिर वह देवता की सम्पत्ति हो गयी, उस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो सकता, वह सारे समाज की सम्पत्ति हो जाती है। तो इस विधेयक का विस्तार ऐसा होना चाहिये था कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ट्रस्ट्स को अपने में समावेश कर लेता। मान्यवर, मैंने सेन्टर का वह ऐक्ट पढ़ने की कोशिश की जिसके बारे में सेलेक्ट कमेटी बैठी हुई है। उसमें उन्होंने जो परिभाषा की है मैं समझता हूं वह हमारे इस विधेयक से बहुत अधिक व्यापक है। दूसरे इसमें से परिभाषा पब्लिक ट्रस्ट की भी है उसमें केवल दो तरह के इंस्टीटयूशन्स आ सकते हैं, एक तो मन्दिर और दूसरे मठ। इनके अतिरिक्त धर्मशालाएं हमारे प्रदेश में तीर्थ स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में हैं और उन धर्मशालाओं के साथ बड़ी-बड़ी सम्पत्तियां लगी हुई हैं और हमारा और आपका यह भी अनुभव है कि उन सम्पत्तियों और उनकी आय का अपव्यय हो रहा है और आज जब कि उसके दान कर्त्ताओं की यह इच्छा थी कि जनता के हित के लिये उसकी सारी सम्पत्ति और आय का प्रयोग हो कुछ अधिकारी, जो उसके बन बैठे हैं, अपने निजी काम में उस धन को व्यय करते हैं। जो परिभाषा इस बिल में है उसमें धर्मशालाएं बिल्कुल निकल जाती हैं। मेरा निवेदन यह है कि चाहे माननीय मंत्री जी इसको इस समय पब्लिक ट्रस्ट्स तक ही सीमित करें, लेकिन फिर भी इसके दायरे में धर्मशालाओं का आना आवश्यक है। सेन्टर के बिल में धर्मशालाएं साफ़-साफ़ आ सकती हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी लीगल नालेज और लीगल एक्यूमैन का फायदा इस सदन को दें और किसी तरह से धर्मशालाओं का समावेश इसमें करें चाहे संशोधनों को स्वीकार करके या जैसे भी हो मैंने कुछ संशोधन दिये हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं कुछ देर से दे सका। उसमें इस तरह का संशोधन है। मैं नहीं जानता कि आप और माननीय मंत्री जी उसे स्वीकार करेंगे और वह देरी कन्डोन होगी, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी मेरी इस बात को आधारभूत स्वीकार करते हैं तो मैं समझता हूं कि वह इस बात की इजाजत देंगे कि आप उसको स्वीकार कर सकें।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक बात की ओर और मुझे ध्यान दिलाना है कि एडीशनल कमिश्नर और इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर्स जो मुकर्रर किये गये हैं उनका इसमें कोई जिक्र नहीं है कि वे कौन होंगे और उनकी क्या क्वालीफिकेशन्स होंगी। मैं इसको अनुचित समझता हूं। जो भी हो, हमें इस सरकार के कार्य का तजुर्बा यह बताता है और यह शंका उत्पन्न होती है कि कदाचित् वे ही आदमी होंगे जिनको होना चाहिये या वे होंगे जिनको नहीं होना चाहिये। मैं यह चाहता था कि आप इसमें सफाई कर देते कि कमिश्नर वह होगा जो डिस्ट्रिक्ट जज के केडर में काम कर रहा हो या जिसने उसके केडर में काम किया हो, एडीशनल कमिश्नर वह होगा जिसने जुडीशियल सर्विस में ५, ७ साल काम किया हो और इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर ला ग्रेजुयेट

होगा। अगर मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं कि जिस महान् और पवित्र उद्देश्य से मंत्री जी इस बिल को लाये हैं, उसकी पूर्ति में यह संशोधन सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, मुझे केवल यह निवेदन करना है कि जब इस पर खंडशः विवाद होगा उस समय मैं विस्तार से कह लूंगा। इस समय तो मुझे केवल यह कहना है कि जहां तक इस बिल का उद्देश्य है वह महान् और पवित्र है, लेकिन मंत्री जी इसको इस कसौटी पर देख लें कि उस उद्देश्य की पूर्ति इससे हो रही है या नहीं। यह इंटेरिम बिल है, इसलिये मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर यह परमानेन्ट बिल होता तो मैं मंत्री जी से ज्यादा से ज्यादा आग्रह करता कि इस निकम्मे ड्राफ्टेड बिल को पास न किया जाय, लेकिन यह एक इंटेरिम बिल है अगर इसमें ओमीशन्स रहते हैं तो इतने दुखदायी नहीं होते जितने परमानेंट बिल में होते हैं, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी जितना इसमें सुधार हो सकता हो उतना करने की कृपा करें।

मुझे सामने आते ही श्री बृजबिहारी मिश्र, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को देख कर बदरीनाथ टेम्पिल ऐक्ट की बात याद आ गई। वह इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इसमें जो ट्रस्ट की परिभाषा दी है वह ज्यादा व्यापक है, इससे यदि लाभ उठा लिया जाय तो भी इस बिल का स्कोप बढ़ सकता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे सुझाव पर उचित ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—मान्यवर, इस विधेयक की भावना का मैं भी स्वागत करता हूं, परन्तु मुझे इस बात का दुःख है कि इस विधेयक को इस अवसर पर लाने के कारण या इस प्रकार के विधेयक की जो पिछले पाँच वर्ष दुर्गति हुई उससे मंदिरों से सम्बन्धित सम्पत्ति की भी दुर्गति हो गई। समझ में नहीं आता है कि किसी बिल के लिये तो मन्त्री जी कहते हैं कि इसमें शीघ्रता होनी चाहिये और किसी बिल में वे कछुये की चाल चलते हैं। आज यह भावना चारों तरफ फ़ैली हुई है। इस गलत भावना से लोगों में विचार उत्पन्न हुआ कि १९५५ से ही लोगों ने जो मन्दिर से सम्बन्धित सम्पत्ति थी उसको इधर-उधर हस्तांतरित करना प्रारम्भ किया और बिल के आने पर इसकी गति और तीव्र हो गई। दूसरे जिलों की मैं नहीं कह सकता। अपने जिले की कहता हूं कि जितनी सम्पति मन्दिरों की चढ़ावे की थी वह १६ आने में से १२ आने हस्तांतरित हो गई। चाहे लीज से हो गई, चाहे डिक्लेरेशन सूट से दूसरे की सम्पत्ति डिक्लेयर हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि रुपया पैसा ले कर सम्बन्धित व्यक्तियों ने सारी सम्पत्ति हस्तांतरित कर दी। अगर उसमें ऐसा प्राविजन होता जैसा कि सीलिंग ऐक्ट में था, जैसा कि हमारे जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में था कि १९४६ में जो परती भूमि पड़ी हुई थी अगर उसको किसी ने हस्तांतरित किया तो वह हस्तांतरण इनवैलिड माना जायगा और वह गाँव समाज में वेस्ट मानी जायगी। उसी तरह का कोई प्राविजन नहीं किया कि इन चार-पाँच वर्षों में मन्दिरों की जो भूमि हस्तांतरित हो गयी है वह हस्तांतरण इनवैलिड माना जायगा। १९५५ में यह बिल आया और लैप्स कर गया। सरकार ने सोचा कि इस में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसपर वह सीरियसनेस के साथ विचार करती, इसलिये उस पर विचार नहीं किया गया। सीलिंग ऐक्ट पास किया गया, उससे पहले घोषणा कर दी गयी और २० अगस्त, १९५९ के पहले १२ आने जोतें निकल गयीं। बहैसियत वकील के भी बैठ कर जब देखता हूं, तो अपने कर्तव्य को भले ही करूं लेकिन मन में एक टीस उठती है कि जिस काम के लिये सीलिंग ऐक्ट लाया गया उसका परपज डिफीट हो गया। वही हस्र इस बिल का हुआ। १९५५ में बिल लाये, दो लाख रुपया खर्च कर दिया कमेटी बनाने में, अगर हमारे भाई साहब का कहना सही है, उसके बाद बिल को लैप्स कर दिया। उसके बाद १९६० में बिल लाये। क्या पांच वर्ष तक बैठे रहे? आपने घोषणा कर दी कि ऐसा बिल लाने जा रहे हैं, सारी सम्पत्ति निकल गयी। १९५५ में बिल लाये और १९६० तक पारित नहीं करा पाये। दो लाख रुपया खर्च कर दिया। शर्मा जी कह गये कि रुपये का तरीका नहीं बताया। एक जगह हो तो बताएं। हर जगह जब पहलू में दर्द ही दर्द है तो कहाँ बताया जाय? दो लाख रुपया व्यर्थ कर

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

दिया। इस सम्बन्ध में दो बिल आ रहे हैं। एक यहाँ आ रहा है और एक सेंटर में आ रहा है। जहाँ तक ख्याल है १४ को पेश हो गया होगा या पेश होगा, परन्तु शीघ्र ही आयेगा। सेंट्रल ऐक्ट और प्राविन्शयल ऐक्ट दोनों हमारे सामने आ गये। इस दो लाख रुपये का हश्र क्या है? टेम्पोरेरी कानून बना रहे हैं, दो वर्ष के लिये। उसका परपज क्या होगा? सेन्ट्रल ऐक्ट भी पास होगा और जायदादें भी सब निकल गयीं उनके आशीर्वाद से। यह तो परिणाम हुआ इस बिल का। जहाँ कहीं सरकार की मंशा सेंट्रल ऐक्ट से पूरी होती है वहाँ सरकार सेंट्रल ऐक्ट का सहारा ले लेती है, और जहाँ उससे मतलब पूरा नहीं होता तो उसको भी छोड़ देते हैं। जब सेंट्रल बिल आ रहा है तो थोड़ासा इन्तजार कर लेते। आज जब कि दूसरा ऐक्ट आपके सामने आ रहा है और सम्भव है कि आपके बिल के साथ ही पास हो जाय तो इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? १९५५ से १९६० तक इन्तजार किया और दो लाख रुपया खर्च कर दिया, सब व्यर्थ हो गया। थोड़े दिन और रुक जाते। मुदालियर कमीशन या कौन कमीशन बैठा था इसके बारे में और वह जब हो जाता, उसका निर्णय आ जाता, सेंट्रल कानून आ जाता आपके सामने, उसको आप देख लेते, उससे कॉंसिस्टेंसी रहती तो ज्यादा अच्छा था। उससे आप सबक लेते। बजट के सेशन में मैंने निवेदन किया था, हर जगह यह कहा गया कि काम्प्रीहेंसिव बिल हम ला रहे हैं, हम यह अमेंड कर देंगे। तो थोड़ा सा रुक जाने में क्या हर्ज था? लाखों रुपया अमेंडमेंट लाने में खर्च हो जाता है। जब कभी कोई बात टैक्स वगैरह के सिलसिले में हम कहते हैं तो कहा जाता है कि रुपया कहाँ से आयेगा इसका सुझाव भी दीजिये, लेकिन इस तरह रोज-रोज अमेंडमेंट करने में जो हजारों और लाखों खर्च हो जाता है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। इसी लिये मैंने कहा था कि ड्राफ्टिंग के लिये उचित अधिकारी रखे जायं। आज ऐसे अधिकारी ड्राफ्टिंग के लिये रख दिये जाते हैं जो सर्विसेज से उठाकर लाये जाते हैं और जिन्होंने कभी ड्राफ्टिंग नहीं की। ड्राफ्टिंग हमेशा वकील करता है। यहाँ इस सदन में हमारे बहुत से प्रतिभाशाली माननीय सदस्य बैठे हैं, उनकी सेवाएं इस कार्य के लिये ली जा सकती हैं। माननीय मन्त्री जी स्वयं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वह जानते हैं कि ड्राफ्टिंग वकील करता है और उसमें विरोधी पक्ष का वकील जब कोई गलती संकेत करता है तब जज उस पर अपना निर्णय देता है। कभी अपनी बुद्धि से वह ड्राफ्टिंग नहीं देखता है, लेकिन आपने उनको लाकर ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट में रख दिया। आपको यह डिपार्टमेंट अलग करना चाहिये और ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेनिंग के लिये भेजना चाहिये, क्योंकि उनकी रॉंग ड्राफ्टिंग से लाखों रुपया अमेंडमेंट में बरबाद हो जाता है। आप स्वयं अपना ही नहीं पब्लिक का भी रुपया इस तरह से बरबाद करते हैं। आपकी रॉंग ड्राफ्टिंग से सैकड़ों मुकदमें इस प्रकार के खड़े हो जाते हैं। हाई कोर्ट तक वह चले जाते हैं। वहाँ से जब आदेश हो जाता है तब आपको अपनी गलती मालूम होती है और तब आप दूसरा अमेंडमेंट लाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं। प्रधानों की चुनाव याचिका के लिये आपने एस० डी० ओ० को अधिकार दिया और रूल्स में दे दिया कि वह ए० एस० डी० ओ० को हस्तान्तरित कर सकता है। प्रश्न पैदा हुआ कि नियम क्या अपने पेरेन्ट ऐक्ट को भी लाँघ सकता है। यह सवाल आया और दोनों बातें टक्कर खा गयीं। हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा कि हम लेजिस्लेचर को बुद्धि नहीं दे सकते। तो यह हमारे एक्सपर्ट लोगों की ड्राफ्टिंग की मिसाल है। अभी पंचायत राज ऐक्ट में अमेंडमेंट पेश है, विक्रीकर ऐक्ट में अमेंडमेंट पेश है। इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि कितना पैसा हमारा इस प्रकार अमेंडमेंट लाने में खर्च होता है। अन्य चीजों का जब कभी हम सुझाव देते हैं तो फौरन हमारा हाथ पकड़ लिया जायगा और कहा जायगा कि रुपये का क्या सुझाव दे रहे हो, लेकिन इसमें जो इतना रुपया व्यर्थ खर्च हो जाता है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता।

जहाँ तक इसमें त्रुटियों की बात है माननीय सदस्य ने अभी उन सारी बातों को कह दिया जिनको मैं कहना चाहता था। केवल उन पर बल देने के लिये संक्षेप में मैं उनका जिक्र करूंगा।

जैसा अभी भाई साहब ने कहा जो ला की ए, बी, सी, भी जानते होंगे वह इस बात को जानते होंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो केसेज होते हैं उनमें किसी पर्टीकुलर परपज के लिये ऐसा नहीं होता है कि कमीशन एप्वाइन्ट हो जो शहादत ले। सिविल प्रोसीजर कोड के अन्दर ऐसा होता है कि कमीशन अप्वाइन्ट कर दिया जाता है कि जाकर मौका देख ले या और जो बात हो वह देखे।

दूसरी चीज हमारे भाई साहब ने अपील के लिये कही। एक देहाती किस्सा है कि एक आदमी ने एक आदमी से कहा कि जाओ जाकर हेंगा लाओ। वह कातिक के महीने में गया और बैशाख में हेंगा लेकर लौटा और जल्दी में वह उस खेत में गिर गया जिसमें कि फसल काटी जा रही थी। लोगों ने पूछा कि क्या बात है तो उसने बताया कि जल्दी की वजह से वह उस खेत में गिर पड़ा। कहने का मतलब यह है कि पाँच वर्ष की ड्राफ्टिंग भी गई, बिल भी लैप्स कर गया और दूसरी बार बिल लाये तो शायद जल्दी में ड्राफ्टिंग में यह गलती हो गई। ऐसा लगता है कि कहीं शाम को मिनिस्टर साहब ने आदेश दिया कि बिल आना चाहिये और सुबह को बिल देना था इसलिये जल्दी में ड्राफ्टिंग गलत हो गई। क्या उनके पास जवाब है? क्यों नहीं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा, इतने भारी लेजिस्लेचर के सामने यह बिल जायगा, क्यों नहीं इस बात को सोचा?

दूसरी बात मैं मोटी-मोटी गलतियाँ रख रहा हूं। मैंने अपील वाले पर संशोधन भी दिया था, लेकिन वह शायद भूल से रह गया। सेक्शन २ में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर की जितनी फाइंडिंग होगी उसकी अपील लाई नहीं करेगी, वह फाइनल हो जायगी। यह बड़े चतुर हैं फाइनल कहने में। जैसे कि उन्होंने कल कह दिया कि अब यह फाइनल है। अब उनको ख्याल नहीं रहा कि जब वह ड्राफ्टिंग करने लगे तो कुछ पीछे देखने की तकलीफ भी करें। उन्होंने उसको पीछे नहीं देखा और उसको दूसरी जगह भी एप्लीकेबिल कर दिया। यह हमारे मन्त्री महोदय की वकालत की चतुराई पर नहीं छोड़ा गया नहीं तो इस तरह से गलती न होती। यह इस प्रकार की गलती है कि जिसको हमारे जैसे व्यक्ति भी समझ सकते हैं...

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—त्रिपाठी जी, बहुत से अमेंडमेंट ऐसे हैं जो मान लेने चाहिये वे मान लिये जायेंगे। उन पर आप ज्यादा बहस न करें।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये संशोधन ऐसे हैं जो ड्राफ्टिंग करते समय छूट गये हैं। मैं इनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूं। महज मैंने इनकी तरफ इशारा किया है। मुझे उनकी चतुराई पर विश्वास है और जो यह गलती हो गई है वह ठीक हो जायगी।

दूसरी जो गलती हो गई है कमीशन वाली वह भी ऐसी गलती है कि उसको भी, मैं आशा करता हूं, मान लिया जायगा। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था यह की गई है जिस पर सोचने की जरूरत है और मैं समझता हूं कि विचार किया जायगा। अब एक बात यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गलती तो हो गई और जायदाद निकल गई। अब इन पिछले वर्षों में क्या बचा होगा। अब अगर बचाने की नीयत है तो बचाने की बात सोची जाय। इस विधेयक के अन्दर एक शब्द आया है "आयुक्त" उस आयुक्त शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। जो हमारे भाई ने कहा वह बहुत सही रूप में कहा और बहुत योग्यता के साथ कहा। शायद उतनी योग्यता के साथ मैं भी उसको न रख सकूं। अगर आपकी भावना यह है तो आपको इसमें इस शब्द को डिफाइन करना चाहिये और वह अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक को देना चाहिये ताकि वह कुछ इन्साफ कर सके। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं जो हमारे भाई ने कही हैं, किन्तु इसके अन्दर जो यह शब्द आयुक्त आया है इससे यह आभास होता है कि सारे प्रान्त में कई आयुक्त होंगे....

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—उसको भी स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---अच्छा इस पर मैं कुछ नहीं कहता हूं। अब इसमें मठ की परिभाषा दी हुई है कि जैसे मठ को हिन्दू ला में डिफाइन किया। यह इसमें परिभाषा है। एक बात पर हम बहुत विनम्र निवेदन करेंगे अपने अनुभव के आधार पर जैसा कि हमारे भाई जगदीशशरण जी ने कहा कि आपके इस विधेयक को देखकर देहरादून में एक धर्मशाला पर यह लेबिल लगा दिया कि यह प्राइवेट है। हम जानते हैं कि यह धर्मशाला है। इसमें जनता का हित है। जनता का इन्टरेस्ट है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि आपका यह विधेयक आ रहा है तो किसी से सलाह लेकर उन्होंने धर्मशाला पर यह लेबिल लगा दिया कि यह प्राइवेट है। हमारे जो मठ हैं जब उनके लिये हमने कोई बात सोची तो वे भी सावधान हो गये कि सरकार अब इनके लिये कोई रक्षा की बात करना चाहती है। इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान् के लिये इस परिभाषा के अन्दर धर्मशाला को भी इन्क्लूड कीजिये धर्मशाला भी इसी प्रकार की चीज है जिसको पवित्र भावना से प्रेरित होकर बनाने वाले ने पब्लिक के लिये बनाया है। मैं जानता हूं हमारे मन्त्री जी ने इसको नहीं देखा है नहीं तो इस प्रकार की ड्राफ्टिंग की गलती न होती। जिस धार्मिक संस्थाओं के संरक्षण के लिये, पब्लिक के इन्टरेस्ट के संरक्षण के लिये यह विधेयक बनाया गया है मन्त्री जी उस विधेयक पर पुनः विचार करके इसकी ड्राफ्टिंग को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। इन शब्दों के साथ मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे मन्त्री महोदय ने अपनी उदारता का परिचय दिया है और सचमुच मुझे आशा है कि जो खामियां इसके अन्दर हैं उनको हटा दिया जायगा और उसके लिये जो संशोधन आयेंगे उनको वह स्वीकार करेंगे और जो उपयुक्त संशोधन आयेंगे उनको भी वह स्वीकार करेंगे।

श्री अवेद्यनाथ (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का मूलतः विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सरकार ने इस बिल को उपस्थित करके भारत के धर्म निरपेक्ष संविधान की उन धाराओं का स्पष्ट निरादार किया है, जिनमें धर्म में हस्तक्षेप न करने का स्पष्ट आश्वासन दिया गया है। मान्यवर, आज इस देश में सरकार शक्तिशाली है और अपने आसुरी बल पर, बहुमत के बल पर वह किसी भी विधेयक को पास कराने में समर्थ है, किन्तु बौद्धिक धरातल पर अपने इस कृत्य को यथा सिद्ध करने के लिये उस के पास न तो कोई मौलिक आधार है और न कोई नैतिक ही। मान्यवर, इस देश में मैं मानता हूं कि बहुत से मठाधीश ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य से विचलित हो गये हैं और बहुत से मठ ऐसे भी हैं जो अब नैतिक और सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जनसाधारण को नहीं देते, किन्तु उनके सुधार का यह उपाय नहीं है कि उनको सरकारी नौकरशाही के हवाले कर दिया जाय। आप बहुत दिनों से अनुभव कर रहे हैं कि इस नौकरशाही के द्वारा आपके विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सका है और आपके पास सब मर्जों की एक ही दवा है---नौकरशाही। समस्या चाहे धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो, आप सारी समस्याओं का हल नौकरशाही से करना चाहते हैं, जबकि आप स्वयं देख चुके हैं और अनुभव करते हैं कि इससे सफलता नहीं मिलती है। आपने भ्रष्टाचार दूर करने के लिये एंटीकरप्शन विभाग खोला और उसके ऊपर निरीक्षण करने के लिये अन्य विभाग खोले, किन्तु आपके विभागों से भ्रष्टाचार दूर नहीं होसका और अब आप इन मठ, मन्दिरों को और अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों को नौकरशाही के हवाले कर के उनको समाप्त करना चाहते हैं। उन पर लांछन लगाये जाते हैं, दोष लगाया जाता है कि वे उन पुनीत कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं और राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं।

(इस समय ३ बज कर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशप्रसाद पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि यदि केवल राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद करने की दृष्टि से यह विधेयक लाया जा रहा है तो यह केवल हिन्दुओं के लिये नहीं आना चाहिये। इस देश में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन, आदि अन्य जातियों के लोग हैं, जिनके धार्मिक प्रतिष्ठान भी हैं, मन्दिर हैं, मठ हैं, और उन पर संपत्ति लगी हुई है और इतना ही नहीं, वह संपत्ति दूसरे देशों में भी जा रही है, लेकिन उसके बचाव के लिये सरकार के पास कोई कानून नहीं है।

सरकार कहती है कि हम राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिये यह कानून ला रहे हैं, लेकिन यदि राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा ही इस कानून का अभिप्राय है तो यह सब के लिये आना चाहिये। इसमें हिन्दू शब्द नहीं रहना चाहिये और यह सब के लिये होना चाहिये, लेकिन शायद सरकार इसको इसलिये नहीं मानेगी कि उसे अन्य जातियों को खुश करना है। यदि यह कहा जाय कि सरकार हिन्दू धर्म में विशेष रूप से अनुप्राणित है और उसके विकास के लिये, फैलाव के लिये यह विधेयक ला रही है तो मैं यह कहूंगा कि पिछले १३ वर्ष में क्या एक भी दृष्टांत ऐसा मिलता है कि जिसमें मन्दिरों, मठों आदि के उद्धार के लिये सरकार की तरफ से प्रयत्न किया गया हो? भले ही मस्जिदों के रख रखाव के लिये पैसा खर्च किया गया हो, भले ही बौद्ध विहारों को पुनर्जीवित किया गया हो, लेकिन एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं मिल सकता कि किसी जीर्ण शीर्ण मन्दिर का उद्धार इस सरकार के द्वारा हुआ हो। यदि हिन्दू मन्दिरों का सरकार सम्मान करती तो सबसे पहले सरकार को उन मन्दिरों को जो काशी में विश्वनाथ जी का मन्दिर है, अयोध्या में रामचन्द्र जी का मन्दिर है और मथुरा में भगवान कृष्ण का मन्दिर है और जो पैंतीस करोड़ हिन्दुओं की प्रणाली के प्रतीक हैं उनका उद्धार करना चाहिये, परन्तु उनका उद्धार तभी हो सकता है जबकि सरकार हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये प्रयत्नशील हो। इसमें न तो सम्पत्ति की रक्षा का प्रश्न है और न इसमें हिन्दू धर्म के प्रति विश्वास का प्रश्न है वरन् राजनीति का प्रश्न है। सरकार यह चाहती है कि उन मठाधीशों की गर्दन पर यह तलवार लटकती रहे ताकि समय पर वह अपना उल्लू उनसे सीधा कर सकें। जब वोट मांगने का समय आवे तो उनपर वह दबाव डालने में सफल हो सकें। यह राजनीति का कुचक्र है और इस तरह से उसमें राजनीति को सरकार घुसाना चाहती है। यह सरकार डंडे के बल पर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। जबर्दस्ती अपने कानूनों को जनता के ऊपर लादना चाहती है। यदि सचमुच सरकार राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा की दृष्टि से मठाधीशों पर यह विधेयक ला रही है, तो उसे जिम्मेदारी के साथ उन राजनैतिक मठाधीशों पर भी ऐसा विधेयक लाना चाहिये जो डंडे के बल पर करोड़ों रुपयों की राष्ट्रीय सम्पत्ति जिन यात्रियों से वसूल कर पार्टीबाजी में खर्च करते हैं। जिसका कोई हिसाब नहीं। सरकार को चाहिये कि वह ऐसे आदर्शों की प्रतिष्ठा करे कि हम उनको मानने के लिये बाध्य हो जायें। हमें ईमानदारी से राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होने देना चाहिये। मैं फिर कहूंगा कि सरकार इसलिये ऐसा करने जा रही है कि उन सब मठाधीशों को अपने कब्जे ले आवे और उनसे अपना समयानुसार उल्लू सीधा कर सके। पहले सन् १९५५ में यह बिल आया था और तब से वह कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया है, परन्तु जब यह सुना गया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट एक व्यापक बिल ला रही है तो हमारी सरकार भी इस ओर प्रयत्नशील हो गई। वहां पर श्री रामास्वामी अय्यर की अध्यक्षता में एक धर्म स्वायोग बनाया गया था जिसने देश के कोने कोने में जाकर वहां की परम्पराओं का अध्ययन किया था और एक बहुत व्यापक रिपोर्ट दी है। कि किस तरह से बिल बनाना चाहिये इसकी रूपरेखा दिल्ली पार्लियामेन्ट के सामने रखी गई है और वह इस पर शीघ्र ही विचार करेगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप इन स्थानों के लिये कोई कानून न बनाइये। मैं चाहता हूं कि सम्पत्ति की रक्षा हो, लेकिन सरकारी तानाशाही के द्वारा नहीं, नौकरशाही के द्वारा नहीं, बल्कि जनता की संपत्ति की रक्षा स्वयं जनता के द्वारा होना चाहिये। विधेयक में आयुक्त हिन्दू होना ऐसा संतोष के लिये रख दिया गया है लेकिन प्रधानता दें, क्योंकि हिन्दुओं में भी विभिन्न धर्मावलम्बी व मतमतान्तर हैं, एक मत के मानने वाले नहीं हैं। उनमें भी धार्मिक असहिष्णुता प्रसिद्ध है। इससे और भी बरबादी होगी।

मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप ईमानदारी से यह चाहते हैं कि इन स्थानों की सुरक्षा हो और यह स्थान इसी तरह से रहें जैसे प्राचीन काल में थे और धार्मिक संस्कृति और नैतिकता का प्रचार करते हैं रहें और देश में आध्यात्मिक शिक्षा के केन्द्र बने रहें तो आप थोड़े दिन और वेट करें, प्रतीक्षा करें। यह बिल आता है तो वह सारे देश के जितने भी स्थान है उनको गवर्न कर सकेगा, परन्तु यदि आपने जल्दबाजी की जैसा कि आपने एक विधेयक

[श्री अवेद्यनाथ]

बनाया था कि ३० एकड़ पर सीलिंग कर दी थी और जब वह विधेयक पास हुआ तो हमें एक एकड़ भी जमीन नहीं मिली थी। सब लोगों ने अपने पट्टेदारों के नाम से, रिश्तेदारों के नाम से कर दी थी। उसी प्रकार से मैं स सम्बन्ध में भी भयभीत हूं। जो धार्मिक संपत्ति का दुरुपयोग करना चाहते हैं वे इसको जल्दी से जल्दी ट्रांसफर कर देंगे और उस सम्पत्ति को निकाल देंगे फिर आपके हाथों कुछ नहीं लगेगा। इस तरह से आज वह जो स्थान हैं और मठ तथा मन्दिर हैं वे सब खोखले हो जायेंगे।

जिस तरह से आपको सीलिंग करने के बाद एक बीघा भी खेत नहीं मिला, उसी तरह से किसी भी स्थान पर कोई भी सम्पत्ति आपको इस विधेयक को पास करके मिलने वाली नहीं है। आपका इसके पीछे एक स्वार्थ है और उसी के कारण आप इसमें इतनी जल्दी कर रहे हैं। आपको इस विधेयक को वापस लेना चाहिये और सेंट्रल में जो विधेयक पास होने वाला है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये। यह जो चेरीटेबिल सम्पति है वह तो वैसे भी ट्रांस्फर नहीं हो सकती। फिर दीवानी कानून की धारा १९२ के अनुसार आपको अधिकार है कि आप किसी भी मठधारी की जायदाद वगैरह का निरीक्षण करवा सकते हैं। इस कारण इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे माननीय मन्त्री जी को वापस ले लेना चाहिये।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह विधेयक जो इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है बहुत ही सोच-विचार के बाद यहां लाया गया है। इसके ३ अध्याय हैं और यह एक बहुत ही छोटा-सा विधेयक है जो केवल २ वर्षों के लिये ही आया है।

श्रीमन्, हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने इस विधेयक का जोरदार शब्दों में खंडन किया है और इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार अब धर्म के ऊपर भी हाथ डालने जा रही है। श्रीमन्, धर्म के नाम पर हमारे देश और प्रदेश में अनेकों क्रांतियां हुई हैं, बड़ी-बड़ी लड़ाइयां हुई हैं, बड़े-बड़े मतभेद हुये हैं और उस सबके बाद एक व्यवस्था भी उनकी हुई है। इसमें शक नहीं है कि हमारे देश के लोग धार्मिक हैं और धार्मिक बन्धनों से बन्धे हुये भी हैं। कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, मन्दिर हैं या मठ आदि हैं, जहां पर हम जाकर श्रद्धा के साथ नत मस्तक होते हैं, वहां पर अनेक प्रकार की कुरीतियां पैदा हो गई हैं। धर्म के नाम पर ही बहुत दिनों से लोग हमारे यहां अनेक कुरीतियों को बरदाश्त करते रहे। यह विधेयक जो इस समय प्रस्तुत किया गया है, इस पर सोच-विचार के लिये एक कमेटी भी बनाई गई थी जिसने काफी उस पर सोच–विचार किया है और प्रदेश के कोने कोने में हर धार्मिक स्थान को हर मठ और हर मन्दिर को जाकर देखा है और परिस्थितियों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस सम्बन्ध में एक कानून बनाना परमावश्यक है। उसमें ऐसी बातों को लाना आवश्यक है कि जिससे जो अव्यवस्थाएं हैं वे बन्द हो जायं। हमारे पूर्व वक्ता, स्वामी जी ने वही नारा बुलन्द किया है जो बहुत दिनों से धार्मिक संस्थाओं की तरफ से धार्मिक व्यक्तियों ने दिया है। उन बातों से दरअसल में एक बार तो यह डर लगता ही है और जनता पर एक प्रभाव पड़ता है कि सरकार अब धार्मिक संस्थाओं में भी हाथ डालने जा रही है। हमारे पूर्व वक्ता महोदय तो एक धार्मिक संस्था के प्रतीक हैं, पुजारी हैं। वह भाई जो राजनीति के अखाड़े में माहिर हैं, यहां असेम्बली में बैठे हुये हैं। वह भले ही अपनी पार्टी के लिये प्रचार करें, जनता के उपर प्रभाव डालने का प्रयत्न करें और हमारी सही बातों को गलत साबित करने का प्रयत्न करें, यह उनको पूरा-पूरा अधिकार है, लेकिन मैं बहुत अदब से अपने स्वामी जी से गुजारिश करूंगा कि उनको इस प्रकार से राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहिये जिस के कारण भ्रम पैदा हो, असलियत पर पर्दा पड़े और सच बात छुप करके गलत बात सामने आ जाय-यह मुनासिब नहीं है। विधेयक का उन्होंने आद्योपान्त विरोध किया है और कहा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि सरकार इसको वापस ले ले, लेकिन यह विधेयक इतना आवश्यक है कि डर लगता है इन सब बातों को कहने से, वे सब बातें कही नहीं जा सकती हैं। हमारे भाई जो यहां उपस्थित हैं वह भली प्रकार जानते हैं कि आज उन धार्मिक संस्थाओं में जो लोग बैठे हुए हैं पुजारी के नाम से, महन्त के नाम से, मठाधीश के नाम से और जो कहते हैं कि हम उनके सेवक हैं, स्वामी हैं, उनमें से अधिकांश लोग इस विचार के हैं। वहां के स्वामियों को देखता हूं कि आये हुये धन का किस प्रकार से वह अपव्यय करते हैं, किन कार्यों में ज्यादा खर्च करते हैं, यह वे भली प्रकार जानते हैं। आज हमारे गांव के लोग जो तरह-तरह के दुर्व्यसनों में पड़े हुये हैं, नशीली चीजों के सेवन में पड़ रहे हैं वह हमारे इन्हीं पंडे और पुजारियों द्वारा इन चीजों का सेवन करने की वजह से ही है। वह समझते हैं कि बाबाजी गांजा पीते हैं, अफीम खाते हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, ये धार्मिक अगुवा हैं, यही कह रहे हैं कि यह सुन्दर वस्तुयें हैं, उनके सेवन से भगवान का दर्शन जल्दी हो जाता है, इसलिये सार्वजनिक क्षेत्र पर बुरा असर पड़ता है। यह असलियत है, कटु सत्य है, इस पर कोई पर्दा डाला नहीं जा सकता है।

दो-चार मन्दिर या मठ ऐसे हो सकते हैं जहां के महात्मा और साधु नशीली वस्तुओं का सेवन न करते हों, नहीं तो छिप कर, जाहिरा तौर पर वह उनका सेवन करते हैं। वह कहते हैं कि बगैर नशा किये दर्शन नहीं होते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता है। जबतक वह नशे का सेवन न कर लें, गांजा न पी लें तब तक ध्यानावस्थित नहीं हो सकते हैं। यह बड़े अन्याय की बात है। तो ऐसी अवस्था में सच्ची बात को कहने में डरना कि पब्लिक की हमदर्दी हमारे खिलाफ हो जायगी, मैं समझता हूं कि यह बड़ी खराबी की बात होगी।

यह विधेयक बहुत सोच-विचार कर प्रस्तुत हुआ है और बहुत आवश्यक है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं आना चाहिये। तीन अध्यायों में यह पेश किया गया है और इसमें जितनी आवश्यक बातें हैं वह सारी की सारी रख दी गई हैं। हां, जो धर्म की ठेकेदारी लेकर यहां आये हुये हैं और धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं जनता में कि सरकार तो गजब करने जा रही है, अब तो वह धर्म पर हाथ डालने जा रही है, अब तो मन्दिरों और मठों पर कब्जा करने जा रही है और जैसा कि स्वामी जी ने कहा, एक कानूनी तलवार लटकाने जा रही है कि जब आवश्यकता पड़े तो इलेक्शन में इस्तेमाल करें, तो मैं अदब से आपके द्वारा गुजारिश करूंगा कि वह तो क्षेत्र में हैं, वह हमारे विरोध में हमेशा रहे हैं और रहेंगे। मैं समझता हूं कि जिस दृष्टि से वह समाज के अन्दर पल रहे हैं वह बहुत ज्यादा उसको कायम नहीं रख सकते। हमारे समाज के अन्दर किसान भाई, मजदूर भाई, पढ़, अपढ़ जितने हैं वह आहिस्ता आहिस्ता सब चीजों को समझने लगे हैं। साधु और सन्यासी का क्या अर्थ है मंदिर मठों से क्या फायदा है, धार्मिक संस्थाओं से क्या लाभ है, इसे वह समझने लगे हैं। बहुत दिनों तक हमारे दिल व दिमाग पर पर्दा पड़ा रहा जिसके कारण हमारी जबान बन्द रही है और आज उसी का कारण है कि चारों तरफ उनकी बुराइयां हो रही हैं आज उनके वेश में कितना दुर्व्यवहार, अनाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मैं आपके द्वारा गुजारिश करूंगा कि इस पर किसी तरह का कोई संशोधन नहीं आना चाहिए। यह बिल बहुत ही सुन्दर, आवश्यक और सामयिक है और यह धर्म की रक्षा के लिये बड़ा उपयोगी है, क्योंकि अगर धार्मिक संस्थाएं नशीली वस्तुओं की सेवा करने की एक अड्डा बन जायंगी, दुराचारियों और अनाचारियों का अड्डा बन जायंगी तो दर असल हमारे धर्म पर धक्का पहुंचेगा। इसलिये यह बिल धर्म की रक्षा के लिये बहुत ही आवश्यक है और अक्षरशः इसको वैसे ही मान लेना चाहिये।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं पूरी तौर से जगदीशशरण अग्रवाल जी से सहमत

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

हूं, उन्होंने जो कुछ एतराज पेश किये हैं वह सही हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि जब बिल आयेगा तो वह त्रुटियां उसमें से दूर कर दी जायंगी ।

एक तरफ तो यह कहा जा रहा है सदन में कि सरकार आज तक सोई रही, क्यों कानून नहीं बनाया और जब आज १५ वर्षों के बाद कानून बन रहा है तो उस पर एतराज किया जा रहा है। इसके उत्तर में मैं यह कह सकता हूं कि मेरी समझ में जितने कानून बने हैं या बनते हैं वह समाज की स्थिति के मुताबिक, उसकी जरूरतों के मुताबिक ही बनते हैं। मनु महाराज ने मनुस्मृति उस समय की स्थिति के मुताबिक बनाई और अंग्रेजों के राज्य में इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, और एविडेंस ऐक्ट वगैरह समय की जरूरत के मुताबिक बने। और अब हमारा अनुभव है कि हमारे मन्दिरों की रक्षा करने की जरूरत है, हमारी इस प्रकार की जो संस्थायें हैं उनको सम्हालने की जरूरत है और उनका सदुपयोग करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं हमारी सरकार ने यह बहुत उचित कार्य अपने हाथ में लिया है। देर आयद, दुरुस्त 'आयद' वाली बात है ।

इस बिल में त्रुटियां जरूर हैं। जैसा कि हमारे मित्र जगदीशशरण जी ने बताया, इसमें एक लफ्ज 'कमिश्नर' इस्तेमाल किया गया है। पहले तो केवल डिवीजनल कमिश्नर्स हुआ करते थे, लेकिन अब तो हर डिपार्टमेन्ट में कमिश्नर होने लगे हैं। इसलिये मैं समझता हूं बहुत अच्छा होगा यदि शब्द 'कमिश्नर' के स्थान पर शब्द "डिस्ट्रिक्ट जज" रख दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट जज पर जनता को ज्यादा विश्वास होगा। इसी प्रकार से डेफनीशन में एक शब्द "इन्वेस्ट गेटिंग आफिसर" रख दिया गया है। यह शुबहे वाली बात है। इसके अन्तर्गत पुलिस आफिसर भी आ सकते हैं जिनका क्रिमिनल सम्बन्धी कार्य होता है। ऐसी स्थिति में 'इन्वेस्टीगेटिंग आफिसर' के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग किया जाय ।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। चूंकि यह बिल सर्वसाधारण के लिये तैयार किया जा रहा है, इसलिये इसमें हिन्दी के साधारण शब्दों का ही प्रयोग किया जाय जोकि सर्वसाधारण की समझ में आ सकें। आजकल जो शब्द हमारे विधानों में इस्तेमाल हो रहे हैं उनको मैं जो कि अपने को हिन्दी का अच्छा ज्ञाता समझता हूं, १९०४ से मैं हिन्दी में लेख लिखता रहा हूं, उसके कई शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, फिर भी मैं नहीं समझ पाता। इसलिये मेरी प्रार्थना यह है कि जो कानून सर्वसाधारण के लिये बनाया जा रहा है उसमें ऐसे शब्दों का ही प्रयोग हो जो सबकी समझ में आ सके। एक निवेदन और है, जैसा कि आगे संशोधन भी आ रहा है, कि हिन्दू धर्म की परिभाषा में जैन, बौद्ध, ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, राधास्वामी, यह सब आने चाहिये, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन संस्थाओं के नाम से बहुत सी धार्मिक संस्थायें कानून के बाहर हो जायंगी और कई नई संस्थायें बन जायंगी इसलिये 'हिन्दू' की डिफनीशन इतनी व्यापक जरूर होनी चाहिये कि हिन्दू धर्म में बौद्ध, जैन, ब्रह्म समाज और आर्य समाज भी आ जायं ।

इसके साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि पब्लिक ट्रस्ट में वे ट्रस्ट आ जाने चाहिये जो किसी देवता के नाम पर हैं, किसी संस्था के नाम से हैं, या किसी धर्मशाला के नाम से हैं। कुछ ऐसे भी प्राइवेट ट्रस्ट हैं, जो शिक्षा संस्थाओं में हैं जैसे छात्रवृति आदि देने के लिये हैं, ये दूसरे प्रकार के ट्रस्ट हैं। इसलिये पब्लिक ट्रस्ट की जो परिभाषा हो वह बहुत व्यापक होनी चाहिये ।

इसके अलावा सेक्शन 'ए' का जो 'ई' है उसको भी व्यापक होने की आवश्यकता है, क्योंकि कई तरह की हमारे मन्दिरों और संस्थाओं की ऐसी सम्पति है जो इसमें नहीं आती है, इसलिये अगर उसको न बढ़ाया गया तो लोगों को उस सम्पत्ति को हटाने का मौका मिल जायगा। मैं आशा करता हूं कि जब हमारा पूरा विधेयक बन जायगा तो बद्रीनाथ मन्दिर जैसे अलग-अलग बने हुये ऐक्ट सब इसमें समाविष्ट हो जायेंगे और फिर अलग-अलग कानून रखने की जरूरत न रहेगी ।

इसके अलावा जो कुछ बातें स्वामी जी ने कहीं वह भी ध्यान देने योग्य हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारा यह ऐक्ट जिन बुराइयों को मिटाने के लिये बना है उनको यह बैकडोर से और ज्यादा ले आये। बद्रीनाथ मन्दिर के बारे में मैं जानता हूं क्यों कि वहां से ४६ मील की दूरी पर ही मेरा जन्म स्थान है कि पहले रावल लोग वहां पैसे का बड़ा अपव्यय करते थे। जिसको बचाने के लिये बद्रीनाथ मन्दिर ऐक्ट बना लेकिन अब मैं देखता हूं कि जितना खर्चा रावल लोग किया करते थे उतना ही कमेटी करती है। इस सदन में बहुत से प्रश्न आते हैं कि किस प्रकार से उसके धन का दुरुपयोग किया जाता है, कितने पैसों का गबन होता है, इन बातों को हमें देखने की जरूरत है। इन सब बातों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, मैं समझता हूं कि यह बहुत देर में आया है। मेरा विश्वास है कि जो लोग भ्रष्टाचार और व्यभिचार के खिलाफ हैं, वे इसका समर्थन करेंगे। मुझे आशा है कुछ अच्छे संशोधनों के साथ यह बिल शीघ्र ही पास हो जायगा।

माल मन्त्री के सभासचिव (श्री बृजबिहारी)—अधिष्ठाता महोदय, आज इस विधेयक पर जो भाषण विरोधपक्ष की ओर से हो रहे हैं उनको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, विशेषकर अवैद्यनाथ जी के भाषण को सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। यदि उन्होंने इस विधेयक की पहली पंक्ति को पढ़ा होता तो उन्हें वह शंका न होती जिस पर उनका सारा भाषण आधारित था। उत्तर प्रदेश में हिन्दू सार्वजनिक, धार्मिक संस्थाओं की सम्पतियों के अपव्यय को रोकने और हस्तानान्तरण को विनियमित करने के अभिप्राय से अस्थायी अधिकारों की व्यवस्था करने के लिये, विधेयक लाया गया है इसके आगे जो और लिखा हुआ है जिसके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को भी यदि माननीय सदस्य पढ़ लिये होते तो भी वे इस प्रकार की शंका नहीं करते। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है और क्यों यह विधेयक लाया जा रहा है यह प्रश्न उनकी समझ में आ गया होता।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या इससे कोई इन्कार कर सकता है कि आज हमारे मन्दिर व मठों की व्यवस्था अनियमित है। वहां की स्थिति तो मुझसे अधिक माननीय सदस्य अवैद्यनाथ जी जानते हैं। क्या यह सही नहीं है कि इन मठों व मन्दिरों की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है? यदि हम नियम बनाते हैं और यह नियम इस अभिप्राय से बनते हैं कि व्यवस्था में कुछ सुधार हो, इसमें जो अनियमितता आ गयी है उसे दूर करें तो क्या हिन्दू की हैसियत से किसी माननीय सदस्य को इसमें आपत्ति करनी चाहिये? मुझे तो आश्चर्य हुआ आपत्ति सुन कर। क्या हमारा यह कर्त्तव्य नहीं है कि विधायक की हैसियत से हम देखें कि इन मन्दिरों, मठों की व्यवस्था कैसी है? और देखें कि ऐसी धार्मिक संस्थायें ठीक तरह से चलती हैं या नहीं? सदस्य ने यह भी कहा कि इलेक्शन आदि बहुत सी बातों के लिये इन मठों का दुरुपयोग करना चाहते हैं। हम से उनका मतलब है कांग्रेस पार्टी से, हमारी सरकार से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे विधेयक में जितनी आर्टिकिल्स हैं उनमें एक सदस्य को कौन सा ऐसा वाक्य मिला जिस पर उनको इस प्रकार की शंका हुई। सारे विधेयक को पढ़ जाने के बाद भी हमें एक शब्द भी इसमें ऐसा नहीं मिल सकता है जिससे हम यह अभिप्राय निकालें कि हिन्दू संस्कृति के स्वरूप जो हिन्दू संस्थायें या मन्दिर मठ हैं, उनमें किसी प्रकार से भी हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। अगर उनकी व्यवस्था खराब है तो हमारा और आपका तथा सबका यह कर्त्तव्य होना चाहिये, यह उद्देश्य होना चाहिये कि उस खराबी को दूर करें। माननीय सदस्य ने एक प्रश्न बहुत ही सुन्दर किया था। माननीय सदस्य ने कहा था कि सरकार ने इन मन्दिरों व मठों की व्यवस्था में सुधार के लिये कौन सा कार्य किया है, इसका एक भी उदाहरण कोई मिल सकता है? मुझे इस बात को सुन कर आश्चर्य हुआ।

अधिष्ठाता महोदय, मुझे बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से गत ६ वर्षों से कार्य करने का अवसर मिला है और तीन वर्ष तक मैं एम० एल० ए० की हैसियत से उस

[श्री बृजबिहारी]

कमेटी का सदस्य रह चुका हूं। आपके द्वारा मैं सम्मानित सदस्यों को बतला देना चाहता हूं और विशेष कर अपने माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं जिन्होंने आपत्ति की है। माननीय मुकन्दी लाल जी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ मन्दिर की व्यवस्था कमेटी के आने से पहले क्या थी, किस तरह दुर्व्यवस्था वहां थी यदि इसकी पूर्व कथा पर जाऊं तो बहुत समय लग जायगा। आपके द्वारा मैं सम्मानित सदन को और सम्मानित सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि सन् १९३९ में यह बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी ऐक्ट पास हुआ उस समय उसके कोष में जहां तक मुझे स्मरण है कुल १४५ रुपये थे और आज इस कमेटी के कार्यकाल में करीब १२ लाख रुपये उसके संचित कोष में जमा हैं। १२ लाख ही क्यों इस बीच करीब १२ लाख रुपये से ज्यादा की लागत के मकान व भवनों के निर्माण हुये हैं। मन्दिर की तरफ से बहुत सी धर्मशालायें, औषधालयों का निर्माण हुआ है साथ ही मन्दिर व अन्य भवनों के भी निर्माण हुये हैं। यह कहना कि इसमें सरकार कुछ नहीं करती है, कितना बड़ा असत्य है। लाखों रुपये प्रतिवर्ष सरकार वहां की व्यवस्था के लिये अनुदान के रूप में देती है। सरकार यहां की व्यवस्था में बिलकुल हस्तक्षेप नहीं करती। मैं स्वयं मूर्तिपूजा में विश्वास करता हूं और मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि सरकार ने मन्दिर की व्यवस्था पर नियन्त्रण रखा है। अगर यह न होता तो पता नहीं क्या होता।

मैं बदरीनाथ के बारे में कहना चाहता हूं थोड़ा-सा नियन्त्रण जो कर दिया गया है उसका फल यह हुआ है आप जिधर देखें वहीं उन्नति दिखाई पड़ती है। माननीय सदस्य ने कहा-एक भी मन्दिर की व्यवस्था में हमने सुधार नहीं किया। मुझे आश्चर्य है। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं सोमनाथ मन्दिर की तरफ जो ऐतिहासिक मन्दिर है। सब को मालूम है उसकी क्या दशा हो गई थी। अब उसका पुर्ननिर्माण हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूं, माननीय सदस्य उसे जाकर देख लें। उसमें करीब ३५ लाख रुपया खर्च हुआ है जिसमें सरकार ने काफी सहायता की है। वह मन्दिर उसी शक्ल में, जिस शक्ल में गिराया गया था, बनाया जा रहा है। करीब ७, ८ मन्जिल बनने वाली हैं। १९५४-५५ में जब मैं वहां गया था ३, ४ मन्जिल तक निर्मित हो चुका था। उस मन्दिर की जो व्यवस्था हो रही है उसमें सरकार ने काफी सहयोग दिया है। तब आप कहते हैं सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है।

श्रीमन्, आप बनारस के घाटों की हालत देखिये। १ करोड़ की योजना है। काशी हमारे देश की धार्मिक राजधानी है, देश के कोने-कोने से हिन्दू वहां जाते हैं, सारा हिन्दू समाज वहां आता है, हर भाग से लोग वहां आते हैं। वहां केवल सरकार की तरफ से इतना रुपया खर्च हो रहा है, कई लाख रुपया खर्च हो चुका है और १ करोड़ खर्च करने की योजना है। अभी हमारे एक साथी ने बदरीनाथ मन्दिर की सड़कों की तरफ ध्यान आकर्षित किया। उधर भी करोड़ों रुपया केन्द्रीय सरकार खर्च कर रही है, इसलिये कि वहां के रास्ते का सुधार हो। आप जानते हैं वहां आना जाना कितना कठिन था। लेकिन आज वहां क्या हालत हो गई है? ३,४ मील के फासले पर औषधालय बने हुये हैं, और बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह सारी व्यवस्था सरकार की तरफ ही से तो हो रही है।

चुनाव के दिनों में तो यह प्रचार होता ही है कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है लेकिन सदन में भी इस प्रकार की बातें करना कहां तक उचित है? आप देखें और विचार करें हिन्दू समाज के लिये सरकार ने कितना काम किया है जिसके लिये हिन्दू समाज सदा ऋणी रहेगा। यह विधेयक २ वर्ष के लिये बनाया जा रहा है, ताकि मन्दिरों, मठों की व्यवस्था सुधरे। इसलिये आशा है कि यह विधेयक पारित किया जायगा और इसका हर तरफ से स्वागत होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। मन्त्री जी ने कह दिया है कि जो उचित संशोधन उधर से आयेंगे उनका वह स्वागत करेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—अधिष्ठाता महोदय, बड़ी गम्भीरता से मैंने पूरे विधेयक को पढ़ा । इसके उद्देश्य और कारणों के नीचे श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के दस्तखत हैं जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे । इस विधेयक के जो उद्देश्य और कारण हैं उनका सभी स्वागत करेंगे जो लोग अर्थ व्यवस्था से यहां की भली भांति परिचित हैं । और जो इसको नहीं समझते तथा हिन्दुस्तान की बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बेईमानी के मामले में धर्म का ढोंग रख कर हिन्दुस्तान की जनता को गुमराह करके कुछ दिनों तक जीना चाहते हैं उनकी मंशाओं पर अवश्य इस विधेयक से कुठाराघात होता है । पर सोचना यह है कि जो धर्मादा आयोग श्री अइयर की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया जा रहा है उसकी रपट लोक सभा में पेश नहीं हुई है तो मैं इसके लिये कहूंगा कि जब सन् १९५५ से यह बिल चल रहा है तो वह रपट आ जाने दो । मैं मथुरा जिले का रहने वाला हूं और राम व कृष्ण पर आस्था रखता हूं, लेकिन वृन्दावन तथा मथुरा के मंदिरों में कभी नहीं जाता । इतनी गुंडागर्दी वहां होती है कि उसकी जितनी निन्दा की जाय कम है । लाल पीले कपड़े पहन कर, धर्म के ठेकेदार बन कर जिस तरह से ये मठाधीश लूट मचाते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते हैं उसे कोई भी जनता की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती । अगर यह बिल कुछ समय के लिये और रोक दिया जाय तो अच्छा ही होगा । केन्द्रीय आयोग बनने जा रहा है, उसकी रपट देख कर हम ज्यादा अच्छे सुधार अपने इस बिल में कर सकेंगे । इन मंदिरों की हालत मठाधीशों की हालत मैंने देखी है । जो बेचारे मजदूर होते हैं उनको वे जब चाहते हैं निकाल देते हैं । उनके खाने पीने का, घर का कोई इन्तजाम भी नहीं होता है । पूरी डिक्टेटरशिप उनकी होती है । जब चाहा निकाल दिया । देश के अन्दर जहां पर अर्थ व्यवस्था की बात रोज रोज आती हो और जहां लाखों, करोड़ों व्यक्तियों के सामने भुखमरी का प्रश्न हो वहां कुछ लोग धर्म की आड़ ले कर ढोंग रचें और फिर भी सरकार उसे बर्दाश्त करे तो मैं समझता हूं कि वह सरकार जनता की सरकार नहीं हो सकती ।

मैं दूसरे विचारों का आदमी हूं । इन मंदिरों को जितना कम किया जाय उतना ही अच्छा है । इन मंदिरों के पुजारियों ने, मठाधीशों ने राम कृष्ण और धर्म का नाम ले कर झूठा प्रचार किया और इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा नारा नहीं है कि कांग्रेस सरकार इन मंदिरों को उजाड़ेगी । सामन्तवादी लोग हमको नास्तिक कह कर बदनाम करेंगे, लेकिन आप देखें कि आज मानवता सिसक सिसक कर रोती है । मनुष्य को भोजन नहीं मिलता है । बेकारी और भुखमरी का आज चारों ओर राज्य है, लेकिन धर्म और मंदिरों के नाम पर कुछ लोग ऐश करते हैं, आराम करते हैं । हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री, टाटा और बिरला के वह ठाठ नहीं हो सकते जो एक छोटे से मठाधीश के होते हैं । जरा भी उनके खिलाफ किसी ने कुछ कहा कि नास्तिक उसे करार दिया गया । राजनारायण जी की तो दाढ़ी तक उखाड़ डाली गयी । जहां कहीं सुधार की बात की जाती है हमारे खिलाफ प्रचार किया जाता है ।

इस विधेयक की स्प्रिट से सहमत होते हुए भी मैं यह विचार जरूर व्यक्त करना चाहता हूं कि जब धर्मादा आयोग केन्द्रीय सरकार ने नियुक्त कर दिया है तो उसकी रपट हमारे सामने आ जानी चाहिये और उसके बाद विधेयक आना चाहिये । जितनी भी कार्यवाही इन मंदिरों को ठीक करने के लिये की जाय उतनी थोड़ी है । समाजवादी दृष्टिकोण रखते हुए प्रदेश में बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या को हल करने के लिये ठीक तरह से हमें विश्लेषण करना चाहिये और धर्म के नाम पर ढोंग रचने वालों से प्रदेश की सीधी सादी जनता को बचाना चाहिये और जो लूट मची हुई है और मजदूरों के साथ जुल्म होता है उसको शक्ति के साथ रोकना चाहिये ।

श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव" (जिला मिर्जापुर)—माननीय अधिष्ठाता जी, अगर मेरा अन्दाज गलत न हो तो ऐसा लग रहा है कि इस विधान सभा के इतिहास में यह पहला विधेयक होगा जो सर्वसम्मति से पास होगा, क्योंकि सभी प्रगतिशील विचारधारा के लोग इस बात से

[श्री विश्वनाथ पाण्डेय "प्रणव"]

सहमत हैं । जैसा कि जनता ने निर्णय दे दिया है, राम राज्य परिषद् का तो कोई सदस्य यहां है नहीं । हिन्दू महा सभा के केवल एक अवेद्यनाथजी हैं जो अभी कह रहे थे कि व्यापक बिल सामने आ रहा है, जल्दबाजी मत कीजिये इन्तजार कीजिये और उसको आ जाने दीजिये । मैं नहीं समझता कि जब फोड़ा पूरी तरह से पक चुका हो, मवाद सड़ रहा हो तब भी क्या जरूरत है कि इन्तजार किया जाय ताकि उसमें कीड़े पड़ें ? दूसरा जैसा कि अभी माननीय जगदीश प्रसाद जी ने कहा धर्मशालायें इसमें आती तो हैं, लेकिन उन पर जोर कम दिया जा रहा है । यह भी सही कि धर्मशालायें आज किराया कमाने का जरिया बन गयी हैं और बहुत सी धर्मशालायें तो गंदी सराय की तरह हो गयी हैं । हमें उनको अधिकार में ले कर उनका इन्तजाम करना चाहिये । हम देखते हैं कि आज कितने ही देवस्थान बीच सड़क में हमारा रास्ता रोके खड़े हैं, मोटरें और आदमी बगल से निकल रहे हैं । देखते देखते सड़क पर एक मन्दिर पैदा हो जाता है । यही नहीं आज तीर्थों के अन्दर पवित्रता की कहां तक रक्षा हुई इसको अगर स्पष्ट रूप से देखा जाय तो जहां पण्डे नहीं होंगे वहां तो आसानी से दर्शन हो जायेंगे, लेकिन जहां १० पण्डे भी होंगे वहां दर्शन करना मुश्किल हो जाता है । इसलिये अब हमें अधिक इन्तजार नहीं करना चाहिये । जैसा कि अभी एक भाई कह रहे थे कि जो देर हुई वह गलत हुई । खैर, जो देर हुई सो हुई, अब हमारा यह बिल सर्वसम्मति से जल्दी पास होना चाहिये ।

हमें भाई अवेद्यनाथ जी का उल्लेख करना ही पड़ता है । एक टिटिहरी पानी में बैठी टिक-टिक-टिक कर रही थी । एक मछली पास में आयी । उसने पंख को फड़फड़ाते हुये देखा कि कोई शिकार है । वह पास में आयी तो टिटिहरी उसे ले कर ऊपर उड़ गयी । लेकिन वजन के कारण मछली फिर पानी में आ गिरी । तो फिर वह टिटिहरी पानी में आ कर टिक-टिक करने लगी तो उस मछली ने कहा—

एक बार टिकटिकी लगाय "स्वर्ग नर्क मोंहि दीन्हों दिखाय
अब जो न जाने तोर स्वभाव" उसके आगे टिकटिकी लगाव ।

तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इनके टिकटिकी लगाने वाले जाल में फंसी हुई राष्ट्र की मछलियां अगर किसी तरह से बची हैं तो ये हजार पंख फड़फड़ायें लेकिन अब इनके मुंह में हम जाने वाले नहीं हैं । आज जब कि धर्मादा संम्पत्ति के पानी में विचरने वाली मछलियां देखती हैं कि कोई छानबीन कर रहा है तो वह तड़प रही है लेकिन अगर हम देखते हैं कि पानी गन्दा है तो साफ पानी रखना पड़ेगा । बाबाजी ने कहा कि इस सरकार ने मंदिरों को निर्माण नहीं कराया तमाम और चीजों को कराया । राष्ट्रीय सरकार की चर्चा करते हुए सरकार की चर्चा करते हुए और ३५ करोड़ जनता का हवाला देते हुये उन्होंने (अवेद्यनाथ ने) यह कहा । क्या सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार इस सरकार ने नहीं कराया ? इसके अलावा बदरीनाथ मार्ग जो बन रहा है क्या उससे आने जाने की दिक्कत हल नहीं होती हैं ? क्या इसको धार्मिक संज्ञा नहीं दे सकते हैं । सतरह के कार्य क्या मंदिर बनवाने के कार्य नहीं हैं ? इसी तरह से दूसरे धर्मों के लिये कहा गया है । हिन्दू धर्म के संबंध में २५ तरह की बातें हैं । इसकी बातें हो रही हैं । अगर एक साधू हिलने लगता है तो उसकी दवा हो सकती है किन्तु सारे मठाधीश और साधू हिलने लगें तो उसकी दवा नहीं हो सकती है । एक लोटे भंग से तो परहेज किया जा सकता है, लेकिन अगर कुयें में भंग घोल दी जायगी तो समस्या मुश्किल हो जायगी । इस समय क्रांतिशील, मेधावी और कुशाग्र बुद्धि के लोग यहां पर हैं और मुझे आशा है कि वे इस विधेयक को एक स्वर से सर्व सम्मति से पास करेंगे । इसमें कोई मतभेद नहीं होगा । चर्चा भले ही अलग अलग हो लेकिन पास करने में कोई भेद नहीं होगा और महन्त अवेद्यनाथ जी भी इसके मुखालिफत में नहीं जायेंगे । यह कहते हुये मैं इसका बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसमें हिन्दू शब्द का प्रयोग किया गया है । मैं इसका अर्थ समझ

नहीं पाया । जब यहां से हज करने के लिये मुसलमान लोग अरब जाते हैं तो वहां पर उनको हिन्दू कहा जाता है । इसी तरह से जब विलायत में हमारे भारतवासी जाते हैं तो वे चाहे किसी धर्म के हों, चाहे ईसाई हों, मुसलमान हों या हिन्दू, हों वे हिन्दू कहे जायेंगे । मेरे कहने का मतलब यह कि हिन्दुस्तान के रहने वाले विदेशों में हिन्दू कहे जायेंगे । यदि इस दृष्टिकोण से यह शब्द विधेयक में रखा गया है तो मुझे कोई एतराज नहीं है । लेकिन इसका अर्थ यदि चोटी वाले हिन्दू से है तो मुझे आपत्ति है क्योंकि दो तरह की बात नहीं होनी चाहिये । पानी बरसता है तो ऊसर, जल और थल सब जगह बरसता है । सरकार को अपने नियम, विधेयक बनाते समय एक सा व्यवहार करना चाहिये अन्यथा यही होगा ।

"कान्ता वियोगः स्वजनापमानो, रणस्यशेषा कुनृपस्य सेवा ।
दरिद्रभावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदेहन्ति कायम् ।"

इन चीजों से बिना अग्नि के शरीर जलता है । यह विधेयक हिन्दुओं के शरीर को जलाने वाला है । एक महाशय ने यह कहा कि साधू गांजा पीते हैं तो क्या एम० एल० एज शराब नहीं पीते ? क्या आपके मंत्री इन कार्यों से अछूते हैं यदि ऐब देखे जायं तो अपने भी देखें और उनके भी देखें, यदि सुधार करें तो अपना भी करें और उनका भी करें । आप गीध दृष्टि डालते हैं, आपकी दृष्टि सदैव धन पर ही पड़ती है । महमूद गजनवी ने एक ही मंदिर लूटा था जिसको जनता आज तक नहीं भुला सकी । आप इतने मंदिरों को लूटेंगे तो भावी संतान कभी आपको भुला नहीं सकेगी । महमूद गजनवी ने एक मंदिर तोड़ा था अतः आज तक जनता उसको गालियां देती है । समस्त मंदिरों की सामग्री को हड़प करने वाले को जनता किन शब्दों में याद करेगी यह आप सोच सकते हैं । "धर्मो रक्षति रक्षितः", जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है अन्यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत----धर्म की रक्षा करने के लिये भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं । आप अपने राज्य की गाड़ी के दो पहिये बनायें, एक राजनीतिक और दूसरा धार्मिक । अगर धार्मिक पहिया न लगायेंगे तो गाड़ी गिर जायगी । मेरी यह पावन सलाह है कि आप अपनी राज्य की गाड़ी में धार्मिक पहिया अवश्य लगाएं और इस विधेयक में संशोधन करें ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक यहां समाज कल्याण मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं ।

सबसे पहले मैं एक प्रश्न इस सम्मानित सदन के विरोधी सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । जैसा कि आपका एका है हर प्रस्ताव हर संकल्प के खिलाफ एक राय हो कर आवाज उठाने का, क्या इस संकल्प पर भी आप एक राय हैं ? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, क्या इस संकल्प के विरुद्ध जो बातें कही जा रही हैं क्या वे अपने को उनसे सम्बद्ध करती हैं ?

इस प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहना है कि यह प्रस्ताव राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, एवं आर्थिक दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोणों से महान् है । सर्वप्रथम आप राजनैतिक दृष्टिकोण को लीजिये जैसा कि अभी स्वामी जी ने इस सम्मानित सदन के सामने कहा है । इसका राजनैतिक कारण जो महन्त जी ने पेश किया है उसके संबंध में मैं यहां एक स्लोगन पेश कर देना चाहता हूं ।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनःपीठासीन हुए ।)

यहां बैठने के लिये या पार्लियामेंट में जाने के लिये एक स्लोगन रेज किया गया । अगर किसी मुसलमान को कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, तो कहा जाता था----

यह भी लो पहचान कि बैलों को किसने अपनाया है ।
कांग्रेस का जामा ओढ़े कट्टर लीगी आया है ।।

बैल दिखा कर वोट मांगता गउओं को कटवायेगा ।
हिन्दू हो कर वोट जो देगा घोर नरक में जायेगा ।।

[श्री जे० पी मिश्र]

इसका क्या अर्थ है ? एक धर्म निरपेक्ष राज्य में इन नारों का कोई स्थान नहीं है । अगर कानूनन इस किस्म का जहर इस देश में फैलाने से इन धार्मिक संस्थाओं को रोका जाता है तो कांग्रेस का, इस प्रदेश और देश की सरकार का दृष्टिकोण महान् पवित्र है ।

सामाजिक दृष्टिकोण से जो प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत है, महान् आदर योग्य है । सामाजिक दृष्टिकोण से इस देश में, इस प्रदेश में कलकत्ते का गोविन्द भवन का इतिहास लोग नहीं भूले हैं । अभी मैं समझता हूं कि माननीय महन्त जी कलकत्ते के गोविन्द-भवन का इतिहास नहीं भूले होंगे । सामाजिक दृष्टिकोण से इस बिल के पीछे क्या है ? नशे के मद में, पैसे की शक्ति पर आज एक महन्त, एक मठाधीश बैठता है, इस देश की अबलाओं के सतीत्व का अपहरण करने के लिये । तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह विधेयक महान् उचित विधेयक है ।

आर्थिक दृष्टिकोण भी मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े मठों में बड़ी बड़ी दौलतें लगी हैं । उनका कितना दुरुपयोग आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया है इस बात को सारा प्रदेश जानता है । यह प्रदेश जानता है कि एक ही पक्ष के लोग यह कह सकते हैं कि एम० एल० ए० शराब पीते हैं, दूसरा पक्ष यह नहीं कहेगा । लेकिन धर्म के नाम पर वोट खरीदने वाले लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर सदेश और प्रदेश में वोट खरीदे हैं उनको तकलीफ है, इस प्रस्ताव से, इस ऐक्ट से और वाकई तकलीफ है, क्योंकि जो इतना पैसा, लाखों रुपया आज धर्म के ठेकेदार महन्त लोग दुरुपयोग करते हैं, उसको बेजा खर्च करते हैं उसके ऊपर यह एक नकेल है । यह वह कानून है जिससे अर्थ व्यवस्था नियंत्रित होगी उन मठों की, उन मंदिरों की, उन महन्तों की और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कुछ हजार और लाख, भगवान कृष्ण और राम के नाम की दोहाई देने वाले लोग हैं उनके चालचलन को ठीक करके, उनके पैसे को बेजा तरीके से इस्तेमाल होने से रोकने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

चौथा दृष्टिकोण जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं वह है सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण । इतना पवित्र करोड़ों और लाखों रुपया जो इन मठों में लगा है और जो गांजे की चिलम पर उड़ाया जा रहा है और शराब की चुस्की में उड़ाया जा रहा है, मैं अधिक और कहना नहीं चाहता, यह धर्म के ऊपर कुठाराघात कहा जायगा । लेकिन मेरा यह विचार है और मेरा यह मशविरा है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उन्नति देश की अधिक अच्छी तरह होगी अगर आर्थिक व्यवस्था इन मठों की ठीक हो जाती है । उससे इस देश और प्रदेश को बहुत बड़ा बल मिलेगा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उन्नति करने में, इतना मुझे आपके सामने कहना (व्यवधान) मुझे कहने दीजिये । परेशान न होइये ।

तो मेरा आप से यह निवेदन है और मेरा अपना यह विचार है कि सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इन तीन पार्टियों से मुझे निवेदन करने का अधिकार है कि राजनीतिक पार्टी होने के नाते, आप अपना समर्थन इस प्रस्ताव को देंगे और धर्म के ठेकेदारों का बायकाट शुरू करेंगे, आज से, अभी से, और सी वक्त से ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं हर उस प्रगतिशील कदम का जो सरकार के पक्ष से आयेगा समर्थन करने का आदी हूं । हिन्दू समाज की रक्षा करना, उसमें सुधार करना, जमाने की रफ्तार के अनुसार उसको बनाना यह हम सब का कर्तव्य है । उधर से कुछ पार्टी के लोगों ने जो उसका विरोध किया है उसके पीछे भी एक आशंका है और वह यह है कि आज सरकार के पक्ष की ओर से हिन्दू मठों और मन्दिरों में लगी हुई सम्पत्ति के बारे में तो यह विधेयक लाया जा रहा है, लेकिन इस्लाम और दूसरे मतों के मानने वालों की सम्पत्ति के बारे में जो अपव्यय हो रहा है उसके सम्बन्ध में भी आप ऐसा विधेयक नहीं ला रहे हैं ।

इसलिये जैसा यह अच्छा विधेयक आप ला रहे हैं जल्दी ही आप वैसा भी इस्लाम आदि के धार्मिक स्थानों के विधेयक लायेंगे ताकि उसका समर्थन इधर के लोग करने लगें। मठों की सम्पत्ति पर उचित नियंत्रण का विरोध करने की दृष्टि से खामख्वाह प्रजातन्त्र को दूषित करने की दृष्टि से हमको कोई कार्य नहीं करना चाहिये। इसी दृष्टि को लेकर इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये। माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने जो संशोधन रखे हैं उनका विरोध मैं इसलिये करता हूं कि एक लाख या ५० हजार वाले मठ बहुत कम होंगे। १ हजार या १,२०० वाले बहुत से मठ और मन्दिर हैं। उन मन्दिरों का धन और उनकी सम्पत्ति जनता की श्रद्धा की चीज है और जनता ने एक अच्छे उद्देश्य से उसको दिया है। उस सम्पत्ति का अपव्यय जरूर होता है। सब लोग एक मत से मानते हैं कि जब हमारे समाज में हिन्दू मन्दिरों और हिन्दू धर्म के अन्दर मठों की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो तो उस पर कंट्रोल लगाना चाहिये।

आयुक्त की नियुक्ति और उनके द्वारा देख रेख और उनकी जांच पड़ताल करने का एक अच्छा तरीका है। इसके लिये हिन्दू मन्दिरों, मठों के सुधार के लिए जो कदम रखे गये हैं वह अच्छे हैं। यदि विधेयक का दुरुपयोग होता है तो जिला जज के यहां उसकी अपील की जो इसमें दफा रहती है तो भी यह अच्छी बात है। इसलिये इसमें कोई इधर उधर का हेरफेर नहीं करना चाहिये। एक और संशोधन जो हमारे भाई कल्पनार्थसिंह जी की तरफ से रखा गया है उसमें भी कुछ सच्चाई है?

श्री अध्यक्ष—अभी इसमें कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं है। इस समय तो जनरल बहस हो रही है।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो उद्देश्य इसके पीछे छिपा है और माननीय समाज कल्याण मंत्री जी ने जिस सद् उद्देश्य की दृष्टि से हिन्दू धर्म की संस्कृति के हित के लिये जो यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है इसको सदन को सर्वसम्मति से मानना चाहिये और यह इस तरह से मानना एक बहुत अच्छी चीज होगी। इसमें विरोधी पक्ष की तरफ से जो उचित संशोधन आये हैं उनको भी सरकारी पक्ष माने तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी। मैं इतना और चाहता हूं कि हिन्दू ऐक्ट के अन्तर्गत जो नई परिभाषा की गई है यदि इसमें उसको लागू कर दिया जाय और बौद्ध, जैन जो हिन्दू धर्म के अन्दर आते हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाय तो यह अच्छा ही होगा। इस प्रकार से यह विधेयक बहुत व्यापक हो जायगा और अधिक लोगों का लाभ होगा।

एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि दो वर्ष के लिये इसकी अवधि क्यों रक्खी गई है? इसकी अवधि को और बढ़ाया जाय, क्योंकि मठ और मन्दिर दो वर्ष के अन्दर ढह तो नहीं जायेंगे? उनका समय समाप्त नहीं हो जायगा? आज अच्छा काम करने वाले कल बुरा काम भी कर सकते हैं। इसलिये इसकी अवधि को स्थायी किया जाय तो यह चीज इस विधेयक में एक सुधार की बात ही होगी। इसके पीछे छिपा हुआ जो सद्उद्देश्य है और जो सद्भावना है उसको पार्टी और दलगत भावना से नहीं देखना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा हमारे लायक दोस्त कांग्रेस दल के एक सदस्य जी ने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने तो हम पर आक्षेप करना ही शुरू कर दिया और उस भावना को आपकी तरफ से जिस तरह से रखी गई है, उसको दूषित रूप में रखने की कोशिश की जिससे हमारे भाइयों को भ्रम हो सकता है। अच्छा हो अब आइन्दा उचित संशोधन कर दिये जायं और मान लिये जायं। मैं इसकी सद्भावना से सहमत हूं। आशा है कि सदन इस सद्भावना का स्वागत करेगा।

†**श्री लखीसिंह** (जिला मथुरा)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज यह एक ऐसा विधेयक पेश किया गया है कि जिसका विरोध करना शोभायमान नहीं है। इतनी बात का मुझे

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

जरूर विरोध करना है कि हमारी सरकार को जब से स्वतन्त्रता मिली है पहले लुटेरे और चोरों को एक मौका देती है। पहले एलान कर देती है, पहले चोरों को जगा देती है कि तुम देखो सावधान हो जाओ, हम तुमको पकड़ने के लिये आ रहे हैं इसका मैं जरूर विरोध करूंगा। अगर समाजवादी सरकार होती तो इन लुटेरों को जो धर्म के नाम पर अरबों रुपये की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, बख्शती नहीं। ६४० राजा थे जिन्होंने मथुरा और वृन्दावन में किसान और मजदूरों का पैसा धर्म में नहीं अधर्म के काम में लगाया है। क्या धर्म की यही परिभाषा है? मैं धर्म विरोधी नहीं, अधर्म-विरोधी हूं। इन मन्दिरों में धर्म नहीं, अधर्म होता है। मथुरा खास में एक द्वारिकाधीश का मन्दिर है, उसमें लाखों की सम्पत्ति है। कई लाख का वह मन्दिर ही है। मंत्री महोदय वहां दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहां की संपत्ति को पुजारी और पंडों ने खुड्ड-बुड्ड कर दिया है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के मन्दिरों पर फौरन कब्जा किया जाय।

इधर के एक साथी ने कहा कि मुहम्मद गोरी ने मन्दिरों को यह कर दिया, वह कर दिया, लेकिन इस विधेयक का वह मंशा नहीं है। मन्दिरों को तोड़ा नहीं जा रहा है, मिस्मार नहीं किया जा रहा है। उनमें जो राष्ट्र की सम्पत्ति लगी हुई है उसकी रक्षा करना सरकार का परम धर्म है, लेकिन सरकार दो जबानों से काम लेती है। वह दोनों को खुश करना चाहती है। वह पुजारी और धर्म के ठेकेदारों को नाराज नहीं करना चाहती और यह कभी संभव नहीं है। जो जज न्याय करने वाला है वह कातिल को और जिसका कत्ल हुआ है, उसके पक्ष के लोगों को, दोनों को एक साथ खुश नहीं कर सकता। अगर न्याय करना है तो उसे कातिल को फांसी की सजा देनी ही होगी। इसलिये इस विधेयक को लम्बा न बढ़ाया जाय। कोकलाबन के मन्दिर में जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनकी चरबी अधाधुन्ध बढ़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के बालों में आपको धूल दिखायी पड़ेगी, लेकिन इन धर्म के ठेकेदारों को आप मोटा पायेंगे। कोई जटा रखे है, कोई अच्छा कपड़ा पहनना जानता है, कोई तिलक लगाना ही धर्म समझता है, लेकिन मैं धर्म की परिभाषा बतलाना चाहता हूं। अलीगढ़ में १९५७ में सैकड़ों जाटों को आपने जेलों में डाल दिया, हमारे विरोधी दल के नेता राजनारायण जी जब बनारस के विश्वनाथ मन्दिर में अछूतों को प्रवेश करा रहे थे तो आपने उनको जेल करा दी। क्या यह धर्म है? यह धर्म नहीं है कि भगवान का सब लोग दर्शन न कर पायें। आपने भगवान को जेल में डाल रखा है, उनका भी आपने ठेका ले लिया है। मैं मथुरा वृन्दावन की बात कहता हूं। सरकार में यदि जरा भी दम है, सरकार में यदि जरा भी सांस है तो मथुरा वृन्दावन और काशी के मन्दिरों पर उसको फौरन कब्जा कर लेना चाहिए और उनमें उद्योग-धन्धे चलवाने चाहिए। उनमें कन्या पाठशालाएं कायम करनी चाहिए उन इमारतों पर कब्जा करके बड़े-बड़े स्कूल खुलवाने चाहिए सरकार की ओर उन पंडे और पुजारियों को पकड़ कर जेल में डाल देना चाहिए।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह सरकार भेद-भाव वाली नीति पर चलती है। यह बिल जो सदन के सामने पेश है, यह बिल उसी तरह का है कि जैसे हिन्दू 'कोड' बिल बनाया गया है। यदि न यत साफ होती तो आप धार्मिक संस्थाओं को ले लेते और ले लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से हिन्दुओं के पीछे कोड लगा हुआ है, उसी तरह से भारतीयता और भारतीय संस्कृति की जड़ उखाड़ने के लिए यह बिल सदन के सामने लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक कहावत इस सम्बन्ध में मैं उपस्थित करना चाहता हूं—"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।" जिन माननीय सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है वे अपने हृदय पर हाथ रखें और देखें कि आप अपने चरित्रों को खोल कर सामने लाए हैं तो आप कुछ और ही पायेंगे। यह कहने की बात नहीं है, आप जरा व्यवहारिक जगत में आइये तो आपको पता चलेगा।

हरिजनों को इसमें सम्मिलित किया गया और उनके साथ ऐसा किया गया जो बहुत ही बुरा है। उनकी दाढ़ी नोची गई। यही उनका कर्तव्य था? इसके पहले जब कभी मन्दिर या

मसजिद में हरिजन नहीं जाते थे तो कोई रोक नहीं होती थी। मैं तो यही कहूंगा कि मौजूदा सरकार भस्मासुर की शक्ल में आ गई है कि जहां पर उसने हाथ रखा वहां ही नाश हो गया। सरकार ने हरिजनों के सुधार के लिए जितने भी प्रयोग किए वे कोई अधिक फलदायक नहीं रहे। मैं यह मानता हूं कि हरिजन अज्ञानी हैं, अशिक्षित हैं, वे भूखे हैं और गरीब हैं लेकिन वे विश्वासघाती नहीं हैं और सरकार पर वे अपने अधिकारों के लिए विश्वास करते हैं। समाज ने गलत तरीके से इस वर्ग को अपने में शामिल नहीं किया। आप उसके सुधार की बात करते हैं पर जरा देखिये घूमकर कि सुधार के नाम पर क्या हो रहा है। हरिजनों के सुधार की जितनी चीजें हैं उनको आपने अपने [× × ×] नीचे दबा रखा है।

श्री अध्यक्ष—माननीय शिक्षक जी एक निवेदन है कि इस समय हमारा प्रश्न यह है कि "सम्पत्ति अपव्यय निवारण कानून' तो मैं यह समझता हूं कि हरिजनों को मन्दिरों में जाने की इजाजत दी जाय या न दी जाय और दूसरी बातें हरिजनों से सम्बन्धित जो आप कह रहे हैं वे असंगत हैं आप कृपा करके अपने विषय पर रहें तो अति अच्छा होगा।

श्री नाथूराम शिक्षक—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परन्तु जितने व्यक्ति बोले वे सारी बातें कह गए हैं इसीलिए मैं भी कह गया था।

[× × × ×]

मैं फिर से इस बिल के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि जिस तरह से धर्म निर्पेक्ष राज्य की घोषणा करके जिस तरीके से भौतिक जगत की ओर समाज को मोड़ दिया जा रहा है, उस ओर न ले जाने के लिये, इस बिल को किसी भी तरीके से रोकने की व्यवस्था होनी चाहिये। आज जगत को भौतिकवाद की ओर ले जाने का कारण है कि रोज डकैतियां पड़ती हैं, कत्ल होते हैं, खुराफातें होती हैं।

आप त्याग की बात करते हैं और समाज को दुरुस्त करने के लिये त्याग की आवश्यकता बताते हैं। आप कितना त्याग करके यहां आये हैं? क्या यही आपके त्याग की परिभाषा है कि अपने को हर तरह से सुसज्जित करते जाओ। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके इस तरह कहने से देश का कल्याण होगा? सही रास्ते पर मनुष्य को ले चलने के लिये यही स्थान है जिन्हें मन्दिर या मठ कहते हैं। वहां पर केवल अनैतिक व्यापार नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि वहां से ज्यादा उन जगहों पर अनैतिक व्यापार होता है जो आपकी आंखों के नीचे, आगे, और पीछे हैं। उनकी ओर आपकी आंखें नहीं जा रही हैं। यह बात दूसरी है कि वहां सम्पत्ति अधिक है। तो उस सम्पत्ति से वे कितने गरीबों का काम चलाते हैं। अगर सम्पत्ति को ही नष्ट करना है तो आप पहले व्यक्तिगत सम्पत्ति को लीजिये। सदन में कितने ही ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने अपनी जायदाद को, कानून से बचाने के लिये, अपने परिवार में बांट रखी है और जिनके पास मठाधीशों से भी ज्यादा जायदाद हैं। जमींदारी उन्मूलन के बाद जो स्थिति आपने पैदा की वह कहने की बात नहीं है। सब जानते हैं कितनी गड़बड़ी आ गयी है आपके सुधारों के नाम पर।

अध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक का उसी तरह से विरोध करते हैं जैसे कि एक शान्तमय वातावरण में चलते हुये गलत विचारों को छोड़ देने से एक समाज को विषाक्त बना दिया जाता है। उसी तरह से यह विधेयक समाज के लिये होगा।

हिन्दू सभ्यता से इतनी घृणा मौजूदा सरकार को नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का विधेयक लाना ही है तो वह तमाम धार्मिक संस्थाओं के नाम से लाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह तो मानी हुई बात है कि हठवादिता के नाम पर, बहुमत के आधार पर वह सही चीजों को भी मानने को यहां तैयार नहीं हैं तो फिर अन्त में यही कहना पड़ता है कि

[× × × ×] मा० सदस्य के आग्रह पर माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हटा दिया गया।

[श्री नाथूराम शिक्षक]

अगर आप असलियत से दूर भागेंगे तो समाज इसके पीछे क्रान्ति करेगा और निश्चित ही इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा जो कि मनुष्य की आध्यात्मिक विचारधाराओं पर भी बन्धन लगाने की कोशिश कर रही है।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। इस पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसको सुनने के बाद, अभी जो विरोधी सदस्यों की ओर से मुख्य कर जो अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी विचारधारा सुनने के बाद मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जो कार्य अब तक सरकार ने आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये किये हैं वे उनकी नजर में ऐसा आया कि पीछे ले जाने वाले हैं। उनको समझ में यह नहीं आया कि जाति-बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर कितनी संपत्ति, जायदाद जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो बहुत से लोगों ने मंदिरों के नाम पर लगा रखी है और उस जायदाद से उन मंदिरों का कोई हित का कार्य नहीं होता है। कोई सामाजिक हित नहीं हो रहा है बल्कि महज इसलिये कि वह जायदाद मंदिरों के नाम पर बच जाय और उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता रहे, उससे व्यक्तिगत काम होते रहें। इस तरह से बहुत सी जायदादें जब-जब समाज के कल्याण के कार्यों के लिये मन्दिरों में दी गई और उसी के अनुरूप व्यवस्थायें की गईं। अब समाज में धर्म के नाम पर धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोगों ने अपनी जायदादों को बचाने की कोशिश की और उसका परिणाम आज देखें कि कितने खाते इस तरह के थे जो जमींदारी उन्मूलन के समय उन मंदिरों के नाम पर लग गये और कोशिश की गयी कि वह बचा लिये जांय।

जहां तक हरिजनों का प्रश्न है मैं समझता हूं कि आज की सरकार ने जो सामाजिक उत्थान के लिये और मुल्क में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार देकर आर्थिक, शैक्षिक दृष्टि से समान अवसर देकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिये कार्य किये हैं या किये जा रहे हैं उनको अगर इस दृष्टि से देखा जाय, जिससे अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे और जो झलक उससे मिल रही थी तो पता चलता है कि आज भी मुल्क के अन्दर ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस मुल्क को सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाना चाहते हैं और ले जाकर उसी इतिहास की पुनरावृत्ति करना चाहते हैं जो इतिहास हजार वर्ष पहले और आज के बीच में हो चुका है, जिसमें इस मुल्क के टुकड़े-टुकड़े हुए और धर्म और जाति के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर जितने भी बटवारे हुये, उसका परिणाम हमारे आपके सामने है कि देश इतने दिनों तक विदेशियों का गुलाम रहा। आज आप अपने मुल्क में देखें कि हमारे यहां किसी जमाने में जो चीजें बनती थीं, जिनका यहां पर निर्माण होता था, जो यहां की संस्कृति और सभ्यता थी और जिस उच्च शिखर पर यह मुल्क था आज उन चीजों के लिये हम दूसरे मुल्कों की तरफ देखते हैं। क्यों? इसलिये कि इस मुल्क के अन्दर इस तरह की व्यवस्था चलाई गई कि अमुक जाति के लोग अमुक चीज को नहीं सीख सकते हैं। परिणाम यह हुआ कि सीमित व्यक्तियों में ही सारी विद्या और सारी चीजें रहीं और जब वह व्यक्ति अकर्मण्य हो गये तो सारी विद्या और सारी चीजें इस देश से लोप हो गई। दूसरे मुल्कों ने उन चीजों को सीखकर, हम जहां पहले थे उससे आगे हो गये और अब उन्हीं चीजों को हम उन मुल्कों से सीखना चाहते हैं। अब कम से कम इस मुल्क की बहबूदी के लिये और इसलिये कि उस इतिहास की पुनरावृत्ति न होने पाये, हमें इस बात को सोचना पड़ेगा कि ऐसी चीजें न होने पायें और ऐसे कानून बनाने आवश्यक हैं। अगर ऐसा कार्य सरकार करती है तो उसमें हमको सहायक होना चाहिये, न कि ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे संकुचित भावना का इजहार होता हो। इस प्रकार से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। सरकार को चाहिये कि जितनी जल्दी हो सके इन चीजों को करे ताकि धर्म के नाम पर और धर्म की ठेकेदारी के नाम पर जो कुरीतियां हो रही हैं उनको दूर किया जा सके। तभी इस मुल्क का कल्याण हो सकेगा। सरकार को समाजकल्याण सम्बन्धी कार्यों के लिये हम बार बार बधाई देते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—(श्री चन्द्रजीत का नाम पुकारने के उपरान्त) अगर समर्थन में बोलना हो तो मैं समझता हूं कि जनरल डिबेट को खत्म कर दूं और मंत्रीजी को बुलाऊं, क्योंकि समर्थन काफी हो चुका है। आप समर्थन में बोल रहे हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—मैं दोनों पहलुओं पर बोलूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन भावनाओं और उद्देश्यों को लेकर यह विधेयक लाया गया है मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। इस विधेयक का विरोध करते हुये जो दलीलें दी जा रही हैं उसमें कुछ से मैं सहमत हूं। जैसे कि यह बिल अगर एक काम्प्रिहेंसिव बिल की तरह से आता तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी बात यह कि इस विधेयक के ऊपर जितना समय और धन लगाया जा रहा है, मैं समझता हूं वह भी उचित नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार इस विधेयक के सम्बन्ध में जो कमेटी बनी उसके रोड माइलेज इत्यादि पर दो लाख रुपये का व्यय हुआ और आज भी यह कानून नहीं बन सका है।

इस बिल के विरोध में जो दूसरी दलीलें दी गईं उनसे मैं पूर्णतया असहमत हूं। उदाहरण के लिये यह कहा गया कि अगर मंदिरों और मठों की सम्पत्ति पर कोई आघात किया गया तो हिन्दू धर्म का विनाश हो जायगा। इस विधेयक के उद्देश्य में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपव्यय का तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो कि तत्सम्बन्धी हिन्दू सार्वजनिक, धार्मिक संस्थाओं के उद्देश्यों, परम्पराओं अथवा उनकी आय के अनुरूप न हो। इसके द्वारा मंदिरों और मठों के उद्देश्यों को लागू करना है, धर्म की महत्ता को बढ़ाना है। तो मैं यह कह रहा था कि यह कहा गया कि अगर इस बिल को लागू किया गया तो हिन्दू धर्म और संस्कृति की जड़ पर कुठाराघात हो जायगा, उसका विनाश हो जायगा। कहा गया कि मुहम्मद गजनवी ने आकर लूटा और मंदिरों का अपमान किया। यह उसी अपमान को बचाने के लिये है। भक्षक के रूप में नहीं, बल्कि रक्षक के रूप में विधेयक सामने आता है। वे समझते हैं कि किसी धर्म के विस्तार में, उसके उद्देश्यों के प्रचार में यह सहायक स्वरूप है, और मैं समझता हूं कि उन्हें सबसे पहले इस विधेयक का स्वागत करना चाहिये।

इस विधेयक की धारा ३ के उपखंड (ज) में अन्त में कहा गया है "किन्तु इसमें ऐसे निजी धर्मार्थ मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें जनता का हितबद्ध न हो।" मैं समझता हूं कि यह अपवाद भी नहीं होना चाहिये। मन्दिर, मस्जिद या मठ किसी आदमी का हो, तब भी वह निजी नहीं रह जाता है। वह एक धर्म को सौंप दिया जाता है। अगर वहां भी सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है, मैं समझता हूं कि उसके ऊपर भी यह लागू होना चाहिये क्योंकि उसका भी स्वरूप वस्तुतः सार्वजनिक सम्पत्ति या संस्था का स्वरूप हो जाता है।

इन सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को तो पारित किया ही जाय, लेकिन आगे चलकर एक कम्प्रीहेंसिव बिल आना चाहिये जिसमें वे सब खराबियां दूर होनी चाहिये जो समय के साथ आ गई हैं, बगैर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाये हुये। सही मानों में उसके लिये काम किया जाय।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—श्रीमन्, मेरा कुछ समर्थन है और कुछ विरोध है, इस विधेयक के सम्बन्ध में। समर्थन इस पहलू पर है कि जहां तक इसके उद्देश्य और कारण हैं लेकिन जहां तक इस विधेयक के प्रस्तुत करने के तरीके का और उसके नियमों का सवाल है उसमें दो विचार जरूर हैं।

मैं इस विधेयक की संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन से कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। समिति ने स्पष्ट कहा है कि एक तो उसे उपयुक्त समय नहीं मिला, उसे पूरी जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, वह जिन-जिन जगहों पर जाना चाहती थी वह नहीं कर पाई और उसमें कुछ उदाहरण दिये गये जिन्हें एक-एक करके मैं सदन के सामने रखूंगा। उनमें इस बात का भी हवाला है कि क्या इस बिल की भावनाओं से धार्मिक भावनाओं को ठेस तो नहीं पहुंचती

[श्री कल्पनाथसिंह]

है । दूसरी बात यह है कि इस विधेयक की धाराओं से संविधान के उस क्लाज का उल्लंघन तो नहीं होता जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को धर्म के मामलों में पूरी छूट है । साथ ही संयुक्त प्रवर समिति ने इस पर भी विचार किया है कि क्या गौशालाओं, धर्मशालाओं, अनाथालयों, ये सब चीजें भी इसके अन्दर आनी चाहिये या नहीं । इतना ही नहीं, सबसे बड़ा ताज्जुब तो हमें तब हुआ जब कि इस विधेयक के साधक मंत्री महोदय ने इस विधेयक में, प्रवर समिति में जाने के बाद, संशोधन पेश किये और वह भी १ या २ नहीं, प्रतिवेदन में है कि ११ संशोधन पेश किये गये हैं । यही इस बात का पक्का सबूत है कि जब ११ संशोधन मंत्री महोदय स्वयं उसमें पेश करते हैं तो इससे यह मालूम हो जाता है कि बुद्धि का स्थान कहां पहुंच गया है और किस विवेक से यह बिल प्रस्तुत किया गया है । इसमें एक संशोधन यह भी प्रस्तुत किया गया है कि "सार्वजनिक धार्मिक संस्था के स्थान पर हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था रख दिया जाय ।" श्रीमन्, जरा इसको सोचिये कि इसका उद्देश्य और कारण कितना पवित्र था लेकिन न जाने तत्कालीन मंत्री महोदय की यह कौन सी सूझ बूझ निकली कि इस बिल का नाम उन्होंने 'हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था' रख दिया । अगर केवल 'धार्मिक संस्था' रहता तो जिन लोगों ने इस पर ऐतराज किया है वह भी न होता । बिला वजह एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की गयी है । गोकि उससे वही परपज सर्व हो जाता । इसके अलावा जो जरूरी बातें है उनको आप छोड़े दे रहे हैं ।

श्रीमन्, जो ११ संशोधन किये गये हैं, अगर उन सब पर विचार करूं तो बड़ा वक्त लगेगा । मुझे यह भी ख्याल रहता है कि सदन का समय बड़ा कीमती है । दो लाख रुपया, संयुक्त प्रवर समिति में लगा दिया गया । मेरा एक प्रस्ताव था जो संयुक्त प्रवर समिति में इस बिल के जाने की वजह से न आ सका और वह यह था कि इसको जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय । उसके पीछे एक उद्देश्य था । यह विधेयक दो साल के लिये बनाया जा रहा है । केन्द्रीय सरकार अलग एक, विधेयक पास कर रही है । यह विधेयक सन् १९६० में कौंसिल में पेश हुआ था और १९६२ में दो साल में, इसने १००—२०० गज की दूरी तय की है और उस पर दो लाख रुपये खर्च हो गया । यह भी संपत्ति का अपव्यय है और टेक्सपेयर के ऊपर बर्डेन है । अगर इस प्रान्त की जनता दो साल तक इन्तजार कर सकती है और इसके साथ दो लाख रुपया लगने के बाद भी उसे बेसब्री नहीं हो सकती, तो सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के ऐक्ट के आने तक भी उसे कोई बेसब्री नहीं हो सकती, जो इस ऐक्ट से हजारों गुना अच्छा है । और फिर संयुक्त प्रवर समिति ने इस विधेयक को पूर्ण नहीं माना है । उन्होंने कहा कि गवाहियां ली गयीं, ५ हजार के करीब पेपर्स भेजने के बाद भी जनता में कोई विशेष रुचि इस सवाल के ऊपर नहीं रही । प्रश्न यह था कि जब हम धार्मिक संस्थाओं के बारे में एक विधेयक पारित करने जा रहे हैं और जनता को उसके बारे में कोई विशेष रुचि न हो, जब कि इस प्रदेश में चाहे विभिन्न मतावलम्बी, धर्मावलम्बी लोग हों, और उसके बाद यह भी निश्चित न किया जा सके कि इसके बारे में क्या-क्या राय है । संयुक्त प्रवर समिति अपने प्रतिवेदन में यह भी कहती है कि उसे कई विभिन्न गवाहियां मिली हैं और उन गवाहियों में कुछ मुख्य गवाहियां हैं, और ऐसी गवाहियां हैं जिन पर विचार होना अत्यन्त आवश्यक है, तो ऐसी दशा में इस विधेयक को बहुत सोच समझ कर माननीय मंत्री जी अगर लाये होते तो बहुत अच्छा था ।

द्वितीय प्रतिवेदन के पृष्ठ ३ पर यह लिखा हुआ है—"क्योंकि यह सब संशोधन न केवल महत्वशील है वरन् उनमें से कुछ विवादास्पद भी हैं, समिति के सदस्यों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वे उन पर तुरन्त विचार कर सकें और उन संशोधनों के सम्बन्ध में अपने अपने संशोधनों को तुरन्त समिति के समक्ष उपस्थित कर सकें । माननीय मंत्री जी भी समिति की इस कठिनाई से सहमत हैं । क्योंकि समिति का कार्यकाल आज ही समाप्त होने वाला है इसलिये समिति ने अपनी ३० नवम्बर, १९६० की बैठक में निर्णय किया कि यह आंशिक प्रतिवेदन सदन में उपस्थित करके सदन से प्रार्थना की जाय कि वह समिति को अपना कार्य पूर्ण करने के लिये उसके द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन देने की तिथि ३१ मार्च, १९६१ तक बढ़ा दे ।"

इस सम्बन्ध में हमें एक बात और नहीं मालूम हो सकी है और थोड़ी-सी गलतफहमी हो रही है कि कैबिनेट की मीटिंग इस विधेयक को पेश करते वक्त हुई थी या नहीं क्योंकि संयुक्त प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे, वे आज के वन मंत्री हैं और उनके दस्तखत से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। तो इस पर क्या राय रही और इस समय क्या राय है, क्या विचार विमर्श हुआ ? अगर यही बात है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के बारे में बहुत ठंडे दिल से सोच विचार करके तब फैसला करना चाहिये । यह भी निश्चित है कि कुछ लोगों को इस विधेयक के पारित होने से परेशानी होती है । सवाल यह है अगर इस विधेयक को जैसा है वैसा पारित कर दिया जाय तो यह अ शंकायें साधारणतः उत्पन्न होती हैं जो इसके विषय में हैं, कहीं कुछ अधिक अधिकार दे दिये हैं, कहीं कुछ बातें छोड़ दी हैं । जैसे गौशाला, धर्मशाला आदि के बारे में मैंने जिक्र किया । उस पर भी मैं थोड़ा-सा वक्त लेना चाहूंगा और वह इसलिये कि आज सरकार को यह बात तो दिखाई देती है कि सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है, लेकिन उन्हीं सार्वजकि धार्मिक संस्थाओं के नाम पर गोशालाओं, अनाथालयों के नाम पर और दूसरे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंन्स हैं उनके नाम पर, जिसमें आर्य समाज के भी इंस्टीट्यूशन्स हैं, तह बाजारी वसूल होती है, धर्मादा कटता है जिससे व्यापार होता है और उस व्यापार का फायदा व्यक्ति विशेष उठाते हैं, उस रुपये का इस्तेमाल राजनीतिक चंदों के लिये होता है और ऐसी रकम करोड़ों की संख्या में है । कोई कस्बा, शहर ऐसा नहीं है कि नेता जी अगर चले गये तो धार्मिक खाते की रकम दान के रूप में दे दी जायगी ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—श्रीमन्, गोशाला, धर्मशाला इसमें कहां से आयी ?

श्री अध्यक्ष—उनका कहना यह है कि जो सार्वजनिक धार्मिक संस्थायें हैं उनमें गोशालायें आदि भी सम्मिलित कर लेना था इस पर बोल रहे हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह—तो मैं कह रहा था कि वे गोशालायें जिनके बारे में इस सरकार ने पशुधन के सम्बन्ध में विधेयक पास कर रखा है, हर साल जलूस निकाले जाते हैं, बड़ा ढोंग पीटा जाता है, लेकिन मेहरबानी करके जरा उसको तो देखिये जो वहां से गायें कसाई के हाथ जाती हैं । एक तरफ धर्मादा खाता कटे उसी गोशाला के नाम पर, एक तरफ औरतें बेची जायं अनाथालयों से उसी धर्मादा खाता के नाम पर और दूसरी तरफ इस विधेयक में इसका प्रावीजन न हो । संयुक्त प्रवर समिति में उसका जिक्र किया गया है, गवाहियां आयीं, लोगों ने मत व्यक्त किये हैं उसके बाद भी जब ११ संशोधन किये गये १२ वां संशोधन यह क्यों नहीं किया गया, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इसी प्रकार की मस्जिदों के बारे में बातें हैं । ऐसी भी मस्जिदें हैं जिनमें दिया नहीं जलता, जिसमें रहने वाले आदमी को शाम की रोटी मयस्सर नहीं होती, लेकिन उन्हीं मस्जिदों के नाम पर पैसा इकट्ठा होता है, धर्मादा खाता कटता है और उससे इंस्टीट्यूशन्स चलते हैं, व्यापार होता है ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनका जिक्र करना मैं उचित नहीं समझता । लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग कुछ चन्द मौलाना लोग किया करते हैं जो मठाधीश हो कर बैठे हैं । यही हालत गिरजाघरों की है । आंखें मूंद कर काम नहीं चल सकता । उन्हीं गिरजाघरों में जो पैसा आता है उसका सदुपयोग क्यों नहीं होता ? अस्पताल खोले जायं, धर्मशालायें बनवाई जायं, गौशालायें बनवाई जायं और अन्य जनहित के कार्यों में उस रुपये का उपयोग किया जाय । एक माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे भी मन्दिर हैं जिनमें चिराग बत्ती का इन्तजाम नहीं है तो उन मन्दिरों की आय से उन मन्दिरों की चिराग बत्ती कराने का इन्तजाम क्यों नहीं होता ? जब धार्मिक मामलों में इस आस्था के सरकार जाती है कि वह धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और केवल सम्पत्ति के अपव्यय के मामले में हस्तक्षेप करेगी तो यह बात उचित ही है, लेकिन यह कार्य भी उचित तरीके से किया जाय और यह न हो कि एक आदमी को अगर आदमी बनाने के लिये कहा जाय तो वह आदमी बनने के बजाय राक्षस बन जाय या एक धोखे की टट्टी बन जाय तो यह चीज मंजूर नहीं की जा सकती । यह विधेयक या तो राक्षस बन कर निकलेगा या धोखे की टट्टी बन कर निकलेगा । मंत्री महोदय अपने भाषण में कठिनाइयों का जिक्र अवश्य करेंगे

[श्री कल्पनार्थसिंह]

और जो संशोधन आये हैं, सोच समझ कर रखे गये हैं उन पर वह गौर करने की कृपा करेंगे । इस सदन के एक सम्मानित सदस्य के भाषण के बीच में यह बात उन्होंने कही भी कि ऐसे संशोधन हैं जिन पर विचार किया जा सकता है ।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—१५ मिनट का समय तो मैं अपने अधिकार से बढ़ा सकता हूं । मैं देखूंगा और जरूरत होगी तो बढ़ा दूंगा । माननीय सदस्य कितनी देर और बोलेंगे ?

श्री कल्पनार्थसिंह—थोड़ी देर में मैं खत्म कर दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—तो सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था पर संयुक्त प्रवर समिति के दूसरे आंशिक प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे फैसलों का जिक्र किया गया है जिनके बारे में यह कहा गया है कि इन फैसलों की वजह से यह सोचा जा सकता है आया यह विधेयक संविधान के खिलाफ तो नहीं पड़ेगा अथवा उससे धार्मिक भावनाओं का हनन तो नहीं होता है । मैं उसे पढ़ना तो नहीं चाहता, लेकिन एक बात की ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं, उन सारी बातों का अपने बयान में जिक्र कर दूं ताकि इस बात की तसल्ली हो जाय कि इस बात से न कोई संवैधानिक बाधा उपस्थित होगी और न इस विधेयक से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ही पहुंचेगी । इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस विधेयक पर पुनर्विचार करें और अगर सम्भव हो सके तो उसको वापस लेकर फिर से रिड्राफ्ट कर के फिर इस सदन के सम्मुख इसे प्रस्तुत करें ।

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस विधेयक पर बहस समाप्त की जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह गलत बात है ।

श्री हरीसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री बैजनार्थसिंह वैद्य—अध्यक्ष महोदय, क्या इसका यह अर्थ हुआ कि मेरा प्रस्ताव लिया नहीं गया ?

श्री अध्यक्ष—आपका प्रस्ताव था कि प्रश्न उपस्थित किया जाय । मैंने उसे स्वीकार नहीं किया ।

*श्री हरीसिंह—अध्यक्ष महोदय, अपने समाज कल्याण मन्त्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज १४ वर्ष के काल में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जिसने दो, ढाई करोड़ व्यक्तियों का मान और सम्मान रखा जो अपने को सच्चे हिन्दू कहते हैं, जिनका यह देश है और जिनका यह धर्म है । जिन धार्मिक संस्थाओं के नियन्त्रण के लिये यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है हमारी हिन्दू संस्कृति यह बताती है कि इन संस्थाओं के नाम लोग अपनी जायदादें और जमीनें इसलिये करते थे ताकि उस क्षेत्र की गरीब जनता को उससे सहायता दी जा सके, वहां के लड़कों और लड़कियों को शिक्षा, दीक्षा दी जा सके । हमारे गुरुकुलों में आज भी जिन धनाढ्य लोगों ने अपनी सम्पत्ति दान दी है उसकी आय से शिक्षा दी जाती है । लेकिन शनैः शनैः जो मठाधीश बने वह थे तो सेवा करने के लिये लेकिन मालिक बन बैठे और उस सम्पत्ति का दुरुपयोग किया । अध्यक्ष महोदय, हिन्दू धर्म वह धर्म है जिसमें सारे धर्मों का समावेश है । यह किसी व्यक्ति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विशेष का धर्म नहीं है। यह मैं उन चीजों को बताता हूं जो पुराणों और शास्त्रों में व्याख्यान आये हैं और पूज्य बापू ने तो इसे दर्शाया भी है।

रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब को सम्मति दे भगवान।

हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारा धर्म सच्चा मानव धर्म है जिसमें इन्सान इन्सान के नाते रहेगा। श्रीमन्, जो इस प्रदेश की जनता दो-ढाई करोड़ है जिसने मन्दिर और मठों को बनाने में अपना सहयोग दिया है, जिनके बीबी बच्चों ने ईंटें पायी हैं, नक्शाकारी की है और इनको बनाया है। कलाकार हरिजन भाई ही थे। जो ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इन्द्रप्रस्थ बनाया जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। नल और नील कौन थे जिनका रामायण में जिक्र आता है....

श्री अध्यक्ष—आपने सम्पत्ति के अपव्यय का विषय शुरू किया था वही ठीक है। आप उसी पर आ जायं।

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, मैं उसी पर आता हूं। इन मन्दिरों और मठों को बनाने के बाद जो सम्पति राजाओं और महाराजाओं ने इनके नाम की थी उसके सम्बन्ध में इन पुजारियों ने ऐसी पद्धति बनाई है जिसको कहते हुए इस आदरणीय सदन में मुझे लज्जा आती है। दक्षिण में हमने बड़े-बड़े मन्दिर देखे और वहां जो कुछ हमने देखा उसको यहां पर कहने में मैं असमर्थ हूं। आज उस पर सरकार जब अपना नियन्त्रण करना चाहती है तो ये धर्म के ठेकेदार कहते हैं कि हिन्दू धर्म पर ठेस लगती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको सरकार का आभारी होना चाहिये जिसने ऐसा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया है जो और कोई सरकार अब तक नहीं कर सकी।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें विरोध किस बात का है? क्या इससे हिन्दू धर्म को ठेस पहुंचती है? क्या हिन्दू धर्म के ठेकेदार किसी कुलिया में रहते हैं या उनका कोई दायरा है जिसके बाहर होने पर हिन्दू धर्म को ठेस लग जाती है। हिन्दू धर्म के ठेकेदार वे हैं जिनकी बनाई रामायण की कसम खाई जाती है जिनकी बनाई हुई गीता की कसम खाई जाती है.....

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य हिन्दू धर्म पर भाषण कर रहे हैं या मन्दिरों से सम्बन्धित सम्पत्ति पर।

श्री अध्यक्ष—वे यह बता रहे हैं कि इससे हिन्दू धर्म पर आघात नहीं होता है। हिन्दू धर्म ऐसा नहीं है।

श्री हरी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को यह बतला दूं कि हिन्दू धर्म मन्दिर और मठों पर आधारित नहीं है। यह सारे देशों में फैला हुआ है। इसके नाम पर सम्पत्ति इसी तरह से है जैसे मस्जिद के नाम पर मुसलमान सम्पत्ति देते हैं जिसकी आय से उसका खर्च और स्कूल वगैरा का खर्च चल सके। उसी तरह से मन्दिर और मठ थे और उनमें ऋषि मुनियों के जीवन के ऊपर शिक्षा-दीक्षा दी जाती थी जो मंदिरों के पुजारी थे वे इसके मालिक बन गये। मेरे कहने का मतलब यह है कि हिन्दू धर्म इन मंदिरों और मठों पर निर्धारित नहीं हैं। एक सज्जन ने गौ सदनों का जिक्र किया। यह मैं मानता हूं कि गौ के साथ दुर्व्यवहार होता है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। कमी हमारी और आपकी है। गौ के पुजारी हम हैं। इसके पुजारी हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी हैं, क्योंकि सभी उसका दूध पीते हैं, पालन पोषण करते हैं। उस वक्त मन्दिरों और मठों में यह हो रहा है कि हरिजन

[श्री हरीसिंह]

नहीं जा सकते, मुसलमान नहीं जा सकते। गिरजे में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने मानव-मानव को अलग कर दिया, जो हिन्दू हैं। यहीं तक नहीं, श्रीमन्, मैंने दक्षिण में जा कर देखा और निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन्हीं मन्दिरों और मठों के कारण ही बहुत से हिन्दुओं ने ईसाई धर्म अख्तियार कर लिया। यदि वहां दुर्व्यवहार नहीं होता, वह मनुष्य माने जाते, तो आज दक्षिण की यह दशा नहीं होती, जहां अधिक संख्या में मन्दिर और मठ मौजूद हैं। मैं तो इस लिये सरकार को बार-बार बधाई देता हूं। अगर कोई मुख्य कार्य वर्तमान सरकार ने किया है, वह इस विधेयक का प्रस्तुत करना है। जिस सम्पत्ति से मन्दिरों और मठों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है, उस सम्पत्ति को महाराजाओं ने गरीबों के लाभ के लिये दिया था। वह नहीं हुआ। इसलिये सरकार ने उस पर नियन्त्रण करने के लिये इस विधेयक को प्रस्तुत किया। अगर इस विधेयक में कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करें। इस विधेयक से सभी को दिलचस्पी है, इसलिये इसका हृदय से स्वागत करना चाहिये। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इसको वह पारित करें।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय साढ़े पांच बजे तक कर दिया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—मेरा इसमें विरोध है। विरोध इसलिये कि १५ मिनट समय आपको बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का प्रयोग उस समय करते हैं जबकि किसी विधेयक को पारित करना आवश्यक होता है। जब यह बिल चल रहा है और कल भी बहस होने जा रही है, और १५ मिनट समय बढ़ ही गया है, तो फिर प्रस्ताव करने की जरूरत नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—इसका मैं भी विरोध करता हूं कि सदन का समय साढ़े पांच बजे तक बढ़ाया जाय। अगर यह बिल आज पारित होने वाला होता, यह समझा जाता कि जल्दी से इसको पारित करना है, तो बात दूसरी थी। अगर पारित करने के लिये बढ़ाना चाहते हों तो बतला दें।

श्री बंशीधर पांडेय—मैं चाहता हूं कि जनरल डिस्कशन आज समाप्त किया जाय और मन्त्री जी जवाब दे दें। उसके बाद खंडशः विचार दूसरे दिन आयेगा।

श्री कल्पनार्थसिंह—अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि पांडेय जी ने यह प्रस्ताव किया और यह भी कहा कि मन्त्री जी जवाब दे दें। आप देख रहे हैं इस हाउस में इस विधेयक के ऊपर लोगों के दिलों में कितनी दिलचस्पी है और यही नहीं अभी पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि इतनी अधिक दिलचस्पी है, चाहे पक्ष में हों या विपक्ष में हों, इसके लिये क्लोजर मूव करना और पन्द्रह मिनट का समय बढ़ाये जाने के बाद ऐसा प्रस्ताव करना कि फिर पन्द्रह मिनट का समय बढ़ाया जाय, जब कि आज कोई समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और यह भी आप देखें कि पन्द्रह मिनट के प्रस्ताव के साथ-साथ तुरन्त क्लोजर मूव करने की बात हुई, मैं यह निवेदन करूंगा कि जितना समय बढ़ चुका है उससे ज्यादा न बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि सदन का समय १५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—
पक्ष में—८७,
विपक्ष में—३७।)

(घंटी बजते रहने पर)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—सदन का समय ५। बजे तक बढ़ाया गया था तो वह समाप्त हो गया। अब और सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—जब वोटिंग की कार्यवाही होती हो तो सदन उस समय के बाद तक चल सकता है।

श्री बंशीधर पांडेय—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव**—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक, जो आज प्रस्तुत किया गया है, इसकी एक हिस्ट्री है। जैसा कि सब को मालूम है यह विधेयक विधान परिषद् में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद प्रवर समिति बनी। मैंने जब उसको देखा तो उसमें हर पार्टी के सदस्य शरीक थे। इस बिल की ड्राफ्टिंग गलत नहीं बनाई गई या इसमें कमी नहीं है यह मैं नहीं कहता। जैसा मैंने पहले ही अर्ज किया था कि जहां-जहां कमियां हैं और जो कुछ भी उसमें सुधार किया जा सकता है और जो संशोधन ऐसे हैं कि जिनसे हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो उन संशोधनों को मान लेने में मुझे कोई एतराज न होगा। यह विधेयक जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है मेरा तो बनाया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने इस विधेयक को बड़े गौर से पढ़ा है। मुझे बहुत सी वह बातें जो हमारे साथियों ने कहीं इसमें दिखलाई नहीं देतीं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इसको काला चश्मा लगाकर न देखा जाय और इसमें वह चीजें न दिखलाई जायं जो कि इसके अन्दर है नहीं। विधेयक में केवल यह कहा गया है कि जब तक हम कोई ऐसा विधेयक नहीं लाते कि जो हमारी सारी धार्मिक संस्थाओं का प्रबन्ध करे तब तक के लिये केवल सुरक्षा करनी है और उसी समय के लिये यह विधेयक लाया गया है। अब इस विधेयक को अगर आप देखेंगे तो इसमें यह है कि खंड ७ में कोई हस्तानान्तरण अगर किया जायगा तो वह हस्तानान्तरण जायज नहीं होगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके बाद यह है कि जहां कहीं यह ख्याल हो कि अपव्यय हो रहा है वहां पर उसका सर्वे कराया जायगा और उसके बाद उनसे एकाउन्ट लिया जायगा। उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली जायगी। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। इसी विधेयक में यह भी कह दिया गया है कि भोग, प्रसाद, पूजा आदि जो कुछ भी होती है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह ख्याल करके कि जो हमारे फंडामेन्टल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार संविधान में दिये हुए हैं उनमें हस्तक्षेप न समझा जाय, और ख्वामख्वाह के लिये कोई रिट वगैरह न खड़ी कर दी जाय, प्राइवेट संस्थाओं को अलग कर दिया गया है। तो इस विधेयक के लिये जैसा सारे सदस्यों ने कहा, उसका हल यही था कि यह जल्दी से जल्दी पारित हो जाना चाहिये। जितनी इसको पारित होने में देर होगी उतना ही इस विधेयक का उद्देश्य खत्म हो जाता है। जैसा कहा गया कि चोरों को आगाह कर दिया गया कि तुम चोरी करो, तो मैंने इसी ख्याल से कहा कि इसमें देर एक मिनट भी नहीं लगनी चाहिये। हमको केवल उतना ही वादविवाद इस पर करना चाहिये जितनी कि इस विधेयक में बातें कही गई हैं। ज्यादा वादविवाद की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है।

इस विधेयक का तो केवल इतना ही स्कोप सीमित है कि जब तक हमारा दूसरा कोई विधेयक नहीं आता चाहे वह सेंटर की तरफ से आवे, चाहे हम खुद पेश करें, तब तक के लिये हम कैसे इन सब की रक्षा करें। इसमें यह कर दिया गया है कि जिनकी आमदनी १२ सौ रुपये सालाना से ज्यादा है या १२ सौ रुपये हैं, उन्हीं का हम सर्वे करायेंगे, उन्हीं का निरीक्षण करेंगे और उन्हीं के सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। तो इतना तो सीमित इसका स्कोप है। और ज्यादा स्कोप बढ़ा देने से और ज्यादा काम बढ़ जायगा। इतना काम हम कर लें, इतनी धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति की रक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव]

कर लें, उनका अपव्यय रोक सकें उस समय तक के लिये जब तक कि आपके सामने वह विधेयक नहीं आता है, इस वक्त तो केवल इतना ही विचार आपको करना है। जो संशोधन आये हैं कुछ जरूर उसमें ऐसे हैं जो मानने योग्य हैं। मैं समझता हूं कि ड्राफ्टिंग में कुछ कमियां रह गई हैं जिनको कि दूर कर दिया जायगा, लेकिन यह ध्यान रखा जाय कि यह विधेयक ड्राफ्टेड है उस कमेटी के द्वारा जिसमें कि कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सभी पार्टीज के लोग मौजूद थे। उस कमेटी ने यह ड्राफ्टिंग की है। अगर वकील लोग ज्यादा होते उस कमेटी में और वकालत के हिसाब से ड्राफ्टिंग करते और सब बातों का ख्याल करके ड्राफ्टिंग करते कि हाई कोर्ट में कैसे इन्टरप्रिटेशन किया जायगा, सुप्रीम कोर्ट के क्या फैसले हैं, तो अच्छी ड्राफ्टिंग हो जाती, लेकिन गणतन्त्रात्मक राज्य में एक कमेटी द्वारा यह हुआ है, यह आपको ध्यान रखना है और उसके ऊपर आपको केवल इतना विचार करना है कि प्रापर्टी की, जायदाद की कैसे रक्षा कर ली जाय। इसके बाद जो बड़ा विधेयक आयेगा उसमें सारी बातें आयेंगी और तब उन सब बातों पर सोचा जायगा। इस समय तो मैं यह नहीं समझता कि किसी की भी यह राय हो सकती हो कि अपव्यय न रोका जाय और प्रापर्टी की रक्षा न की जाय। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। इसलिये मैं आप से यह प्रार्थना करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) विधेयक, १९६२ (Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (prevention of Dissipation of Properties) (temporary Powers) Bill, 1962) पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अगर आप राय दें तो साढ़े ५ बज रहे हैं, हम बाकी खंडों पर विचार अब २० तारीख को करें। कल नहीं होगा।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
७ अगस्त, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

प्रश्न संख्या ३ से संबंधित सूची

कार्यालयों का नाम जिनका आडिट किया गया :—

जनरल मैनेजर का कार्यालय तथा क्षेत्रीय स्टोर्स,
क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर,
गोरखपुर डिपो,
खलीलाबाद बस स्टेशन,
सहायक प्रधान प्रबन्धक बस्ती का कार्यालय ।
कार्यशाला बस्ती तथा बस्ती डिपो,
बलरामपुर डिपो तथा कार्यशाला,
गोंडा डिपो,
अकबरपुर बस स्टेशन,
सहायक प्रधान प्रबन्धक आजमगढ़ का कार्यालय,
आजमगढ़ डिपो तथा कार्यशाला ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०१ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर

बस संख्या	कब से कब तक खड़ी रही	किन-किन स्पेयर पार्ट्स के अभाव में खड़ी रही
१	२	३
२७४२	७ अप्रैल, १९६१ से २८ मार्च, १९६२ तक	८,००० मील मेंन्टेनेंस, बाडी की मरम्मत तथा गेयर बाक्स ।
२१३०	२४ जून, १९६१ से ८ अप्रैल, १९६२ तक	बिग० एन्ड० बियरिंग तथा गेयर बाक्स ।
२१२७	१ सितम्बर, १९६१ से २९ जून, १९६२ तक	इंजिन० रियर० आयल सील, तथा गेयर बाक्स ।
२७२८	२२ फरवरी, १९६२ से २९ अप्रैल, १९६२ तक	डाइनेमो की खराबी, इंजिन आयल लीकेज तथा सेल्फ स्टार्टर व टाप कवर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०७ पर)

प्रश्न संख्या १५ संबंधित सूची

नहर का नाम	सैदपुर तहसील	कब तक बन कर तैयार हो जायेगी
१—लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी		१९६३–६४
	जमानियां तहसील	
१—दिवैथा राजवहा एक्सटेंशन	.. .. ..	१९६३–६४
२—नई बाजार माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
३—महली माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
४—गायघाट माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
५—रामपुर फुफुवाव माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
६—रेहुड़ा माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
७—तियरी माइनर नं० २	.. .. ..	१९६३–६४
८—कुसी माइनर नं० २	.. .. ..	१९६३–६४
९—ताड़ीघाट राजवहा	.. .. ..	१९६४–६५
१०—कुसी माइनर एक्सटेन्शन	.. .. ..	१९६३–६४
११—चौरी माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१२—माधोपुर माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१३—सरैला चित्रकौली माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१४—उसिया माइनर एक्सटेन्शन	.. .. ..	१९६३–६४
१५—खजुरी माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१६—ननियांव उमरगंज माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१७—वक्सरा माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१८—उचितपुर माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
१९—रामपुर कन्दवा माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
२०—हरनाथपुर माइनर	.. .. ..	१९६३–६४
२१—मतौरी माइनर ..	.. .. ..	१९६३–६४
२२—ताजपुर माइनर	.. .. ..	१९६४–६५
२३—नौली रजबहा एक्सटेन्शन	.. .. ..	१९६४–६५
२४—वसुका माइनर ..	.. .. ..	१९६४–६५
२५—शायर माइनर ..	.. .. ..	१९६४–६५
२६—वारा माइनर ..	.. .. ..	१९६६–६७

विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१३ पर)

श्रीमान, सिंचाई मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रिय महोदय,

मैं, ग्राम मेंडी तहसील देवरिया, जिला देवरिया के श्री राम गोपाल जी के एक पत्र, प्रतिलिपि इस पत्र के साथ नत्थी कर के भेज रहा हूं । आप वर्तमान समय में इमलिया कोई जिला गोंडा में है । इस पत्र में दो बातों पहली विधरा खैरवा से नगवा खास तक देवरिया तहसील में राप्ती के बायें किनारे पर बने बांध की ओर ध्यान खींच कर कहा गया है कि मेडी के पास बांध के टूटने की संभावना हो चली है और मांझा नारायण के पास भी यही हालत है यह बात पत्र में नहीं है । मेडी ग्राम के ध्वस्त होने एवं अपार धनजन के हानि की संभावना हो गई है और दूसरी रुद्रपुर बाढ़ क्षेत्र में फरवरी, १९५७ में गांव पटाई के लिये जिन जमीनों से मिट्टी ली गई थी उसका मुआवजा नहीं दिया की ओर मेरा ध्यान खींचा गया है ।

अस्तु पत्र सेवा में भेज कर आशावान हूं कि मेडी और माया नारायण के पास तुरन्त बांध रक्षण की कार्यवाही करेंगे जो बाढ़ आने के पूर्व पूरी हो जाय और १९५७ के गांव पटाई हेतु मिट्टी प्राप्त किये खेतों का मुआवजा दिलाने की व्यवस्था करेंगे ।

आपका
चन्द्रबलीसिंह
सदस्य, विधान सभा
ग्राम इमिलिया कोडर
पोस्ट—बेतुहनिया पचपेड़वा,
जिला गोंडा

दिनांक २५-४-१९६२

प्रिय भाई चन्द्र बली, १०-४-६२

सादर बन्दे

यह जानकर कि आप हमारे क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए बड़ी प्रसन्नता हुई इसके लिये हार्दिक बधाई स्वीकार करें । पहली बार कछार क्षेत्र का एक उत्साही युवक कछार क्षेत्र का विधायक निर्वाचित हुआ है । अतः कछार वासियों को क्षेत्र के अभ्युत्थान की बड़ी आशा है । इस संबंध में मैं आपसे दो निवेदन करना चाहता हूं ।

१—आपने स्वयं देखा होगा कि राप्ती तट पर राजकीय बांध मेडी गांव की आबादी के ठीक पश्चिम अब कटने जा रहा है । क्योंकि नदी एक स्थान पर बांध से सिर्फ दो गज दूर रह गई है । यह निश्चत प्रतीत होता है कि इस साल बांध अवश्य टूट जायेगा । यदि समय के पहले वहां एक कच्चा बांध नहीं बना दिया गया तो इतना ही नहीं होगा कि उस पूरे कछार क्षेत्र पर आफत आ जायेगी वरन् संभावना इस बात की है कि मेडी गांव की आबादी भी ध्वस्त हो जायेगी और महान् जन धन की हानि हो जाये । अतः आपसे निवेदन है कि प्रयत्न पूर्वक वहां कैंची बांध बनवाने की चेष्टा करें । यदि इस बहरी सरकार से सफलता की आशा आपको न हो तो कम से कम सार्वजनिक रूप से अति निकट भविष्य में होने वाले भीषण अनर्थ की सूचना सरकार को अवश्य दे दीजिये जिससे सरकार को बाद में बनने का बहाना न मिल सके ।

२—दूसरी बात यह है कि जनवरी फरवरी सन् १९५७ में गांव पटाई के सिलसिले में जिन खेतों से मिट्टी लेते समय किसानों की खड़ी फसल का नुक्सान हुआ था उसका मुआवजा देने का वादा सिंचाई विभाग के इंजीनियर ने किया था । उस वक्त उस फसल के नुक्सान का कागज भी सिंचाई विभाग के द्वारा तैयार किया गया था । उसकी कई बार जांच पड़ताल भी हुई थी किन्तु खेद है कि वह मुआवजा रुद्रपुर कछार क्षेत्र के पचासों गांवों के किसानों को अब तक नहीं

मिला । यद्यपि उसी कार्य के लिये गोरखपुर के सिंचाई विभाग ने मुआवजा रकहट, भैसहा, गरया, कील गांव के किसानों को उसी साल अप्रैल में दिया ।

इसके बारे में कई प्रार्थना-पत्र सिंचाई मंत्री तथा चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग को दिये गये किन्तु अब तक न तो कोई जवाब मिला न यही मालूम हुआ कि आखिर जब गोरखपुर वालों को मुआवजा उसी समय दे दिया गया तो देवरिया के किसानों का क्या अपराध है कि इस तबाही के युग में उन्हें मुआवजा अब तक क्यों नहीं मिला । इस बारे में सहाय जी ने आश्वासन दिया था कि वे विधान सभा में प्रश्न करेंगे । किन्तु शायद नेताओं के असन्तुष्ट हो जाने की आशंका से उन्होंने प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की । आशा है कि आप दोनों बात को उठायेंगे और सफल होंगे इस बारे में अपने अनुभवी मित्रों की सहायता से आप ऐसा प्रयत्न और तरकीब करें कि कैंची बांध भी बन जाय और किसानों को मुआवजा भी मिल जाये । मैं ३०-४-६२ तक तो यहीं रहूंगा उसके बाद मेडी चला जाऊंगा । आशा है कि आप का कृपा पत्र मुझे मिलेगा ।

ह० चन्द्र बली सिंह,
सदस्य, विधान सभा
२५-४-६२

राम गोपाल शुक्ल,

विधान परिषद पुस्तकालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१३ पर)

कर्मचारियों के बकाया धन की विवरण तालिका

कर्मचारियों के पद का नाम	पद संख्या	वेतन	एलाउन्सेज	टी० ए० भत्ता
१	२	३	४	५
जूनियर स्टेशन इन्चार्ज ..	५	५६८.०२	..	..
	२	..	..	११८.३२
सीनियर स्टेशन इन्चार्ज ..	१	१२३.३२	..	..
टी० एस० ..	१	१४१.००	..	..
	२	..	..	४७९.६३
ए० टी० आई० ..	४	११३.९२	..	..
	१	..	..	३६.०३
बुकिंग क्लर्क ..	६२	५२९०.४३	..	..
	६	..	..	२०२.५५
ए० बी० सी० ..	५७	३६१८.२२	..	..
कन्डक्टर ..	२२५	८९७२.६२	..	..
	१२	..	१५४.३७	..
	१	..	..	१४३.९६
ड्राइवर ..	१६२	९५०५.११	..	..
	१०	..	१५९.२८	..
	५	..	..	१७४.६५
मजदूर ..	१९	५३४.८६	..	..
चौकीदार ..	३१	५५०.०७	..	..
पानीपांडे ..	१३	१२२.४०	..	..
स्वीपर ..	१९	८३३.५५	..	..
मेकेनिक ..	७	१०००.२७	..	..
स० मेकेनिक ..	१६	८१४.४३	..	..
फिटर ..	३३	२८९२.९६	..	..
क्लीनर ..	५३	१३२४.७५	..	..
कारपेंटर ..	५	६३.८९	..	..
लोहार ..	३	१८४.८२	..	..
पेंटर ..	१	१२.००	..	..
वेल्डर ..	१	८०.००	..	..
क्लीनर कन्डक्टर ..	५	९६७.५४	..	..
सहायक स्टोर कीपर ..	२	१४१.६०	..	..

अविशोधित प्रदेश सभा

कर्मचारियों के पद का नाम		पद संख्या	वेतन	एलाउन्सेज	टी० ए० भत्ता
१		२	३	४	५
टिनस्मिथ	..	२	२५५.६३	..	..
सहायक इलेक्ट्रीशियन	..	१	२६.५०	..	..
सहायक कोषाध्यक्ष	..	३	१३०.४५	..	..
जूनियर क्लर्क		११	५७६.४७	..	..
		१	..	..	१४.०६
जूनियर फोरमैन	..	२	२१७.१०	..	..
		३	..	..	२९१.६४
योग	..	७८७	३९०६१.९३	३१३.६५	१४६०.८४
				टोटल	४०८३६.४२

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१६ पर)

तहसील इगलास जिला अलीगढ़ में रामगंगा योजना तथा एन० ई० यस० ब्लाक फंड के द्वारा निम्नलिखित माइनरों के निर्माण की योजना है :—

माइनर का नाम		कब तक बन कर तैयार होगी
१—किनवासा माइनर	..	१९६३–६४
२—गोंडा माइनर	..	१९६४–६५
३—जहरौली माइनर	..	१९६५–६६
४—कारस माइनर	..	१९६५–६६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१७ पर)

तालिका

क्रम-संख्या	कृषक का नाम	ग्राम	खाद की मात्रा सी० ए० टी० एन०	खाद की मात्रा एस० ए० टी० फास०	खाद की मात्रा एस० ए० टी० फास
१	श्री शिवगोविन्द सिंह	भनवापुर	६६ सेर	७ सेर	..
२	श्री दाता दीन पांडेय	कटोरेयी पांडे	३३ सेर	३ १/२ सेर	..
३	श्री बेनी माधो तेवारी	चौखरा	३३ सेर	३ १/२ सेर	
४	श्री कृष्ण पाल सिंह	भनवापुर	६६ सेर	७ सेर	..
५	श्री घिरहू प्रसाद	,,	३३ सेर	३ १/२ सेर	..
६	श्री रामाज्ञा शुक्ल	नाधर देवरिया	३३ सेर	३ १/२ सेर	
७	श्री तेज बहादुर सिंह	सिकटा	६६ सेर	७ सेर	..
	लेजूम के साथ				
८	श्री राम पाल सिंह	भनवापुर	..	१४ पौ०	१३ पौ०
९	श्री कृष्ण पाल सिंह	,,	..	१४ पौ०	१३ पौ०
१०	श्री तेज बहादुर सिंह	सिकटा	..	..	१३ पौ०
११	श्री फतेह सिंह	कटोरियाबाबू	..	..	१३ पौ०
१२	श्री राज बहादुर	गोपिया	..	७ पौ०	७ पौ०
१३	श्री कोके	चोखरा	..	..	१३ पौ०
१४	श्री दाता दीन पांडे	गोपिया	..	..	१३ पौ०
१५	श्री जंगबहादुर	बथावालियाराम	..	..	१३ पौ०

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१९ पर)

ानरेरी मैजिस्ट्रेटों के नाम		योग्यतायें
१—श्री नासिर मोहम्मद	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	हाई स्कूल
२—श्री टी० एन० अग्रवाल	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	एम० ए०, एल० एल० बी०
३—श्री बी० आर० भाटिया	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	एम० ए०, एल० एल० बी०
४—सरदार साध सिंह	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	सिनियर कैम्बरीज
५—श्री वी० अग्रवाल	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	एम० ए०
६—श्री लालता प्रसाद	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	हाई स्कूल
७—श्री कृष्ण मुरारी लाल	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	बी० काम
८—श्री अनवर हुसैन आबदी	मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	एस० एल० सी० रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर वर्तमान सचिव, हुसैनाबाद ट्रस्ट लखनऊ ।
९—श्री प्रेम लाल	मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	मैट्रिक
१०—श्री लक्ष्मी चन्द अग्रवाल	मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	मैट्रिक
११—श्री मेहदी हसन खां	मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	बी० ए०
१२—सरदार करमजीत सिंह	मैजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी	हाई स्कूल
१३—श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल	मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	[नान मैट्रिक कक्षा दस तक पढ़े हैं]
१४—श्री महमुद हुसैन रिजवी	मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	इण्टरमीडिएट
१५—श्री माधो लाल हवेलीवाला	मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	हाई स्कूल
१६—श्रीमती जामवन्ती रस्तोगी	मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	बी० ए०
१७—श्री जी० डी० अग्रवाल	मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	बी० ए० एल० एल० बी० डी० पी० ए० ।
१८—श्री बृज जीवनलाल	मैजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी	इण्टरमीडिएट

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२१ पर)

कृषकों की ग्रामवार सूची जिनको आर० एल० ९८९ के ऊपर डूब से निकली हुई जमीन वितरण की गई :

ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या
१—कुंवरपुरा	५
२—कपरैड़ खुर्द	३
३—वनगवाँ कलाँ	१०
४—थाना	१५
५—मऊ	७
६—धुराबारा	२७
७—कपरैड़ कलाँ	१६
८—बुघैड़ी	४६
९—गूगर	४१
१०—भदौना	८७
११—रजावन	५७
१२—बैदोरा	२६
१३—म्याब	९७
१४—राजपुर	३०४
१५—कोटरा	३१२
कुल	१,०५३

कृषकों की ग्रामवार संख्या जिनको आर० एल० ९८९ के नीचे डूब से निकली जमीन वितरण की गई :

ग्राम का नाम	कृषकों की संख्या
१—रजावन	५०
२—कोटरा	७२
३—राजपुर	६७
४—कपरैल कलाँ	१८
५—भदौना	५
६—गूगर	१७
७—कुंवरपुरा	१
८—बुघेड़ी	१
कुल	२३१

विधान सभा प्रश्न

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२२ पर)

तालिका 'क'

(क) मत्स्य विभाग में निहित जलाशय—

(१) लखराव का पोखरा (मेहनगर)

(२) सराय मोहन का पोखरा

(ख) विकास खंड जिनमें १९५९–६० से मत्स्य पालन कार्य विभाग द्वारा १९६१–६२ तक होता रहा है—

(१) रानी की सराय

(२) नवाब गंज

(३) मेहनगर

(४) फूलपुर

(५) जहानागंज

(६) मोहम्मदपुर

(७) पल्हनी

(ग) विकास खंड जिनमें १९६१–६२ से मत्स्य पालन कार्य विभाग द्वारा हो रहा है—

(१) आजमगढ़

(३) रानीपुर

(२) घोसी

(४) छठियाँव

(५) बडराँव

(६) बिलरियागंज

तालिका 'ख'

१९६१–६२ में कुल ९०० रुपये का अनुदान दिया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है :

नाम	अनुदान की धनराशि	किस लिये दिया गया
	रु०	
१—श्री मुनीराम	५०	मछली पकड़ने का सामान बनाने के लिये
२—श्री त्रिवेनी	५०	,, ,, ,,
३—श्री शिव सरन	५०	,, ,, ,,
४—श्री पतेर	५०	,, ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम	अनुदान की धनराशि	किस लिये दिया गया
	रु०	
५—श्री कन्हैया	५०	मछली पकड़ने का सामान बनाने के लिये
६—श्री कुबेर	५०	,, ,, ,,
७—श्री सुखदेव	५०	,, ,, ,,
८—श्री राम प्रसाद	५०	,, ,, ,,
९—श्री बाढ़	५०	,, ,, ,,
१०—श्री सल्टू	५०	,, ,, ,,
११—श्री बच्चा	५०	,, ,, ,,
१२—श्री दधि बल	५०	,, ,, ,,
१३—प्रधान गाँव सभा, लच्छ नपुर रानी की सराय, विकास क्षेत्र, आजमगढ़	१००	जलाशयों के विकास के लिये
१४—प्रधान गाँव सभा, मझगवाँ रानी की सराय विकास क्षेत्र, आजमगढ़	१००	,, ,,
१५—प्रधान गाँव सभा, न्योरही, रानी की सराय विकास क्षेत्र, आजमगढ़	१००	,, ,,
योग ..	९०० रु०	

विधान सभा सचिवालय पुस्तकालय

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७२३ पर)

१—अल्मोड़ा, पिथौरागढ़
२—अल्मोड़ा, ताकुला बागेश्वर
३—ओरई, कालपी
४—शेरगढ़घाट, तिर्वा
५—बान्दा, इलाहाबाद वाया कर्वी व चित्रकूट तथा संबन्धित मार्ग
६—बाराबंकी, फैजाबाद
७—आगरा, इरादतनगर वाया सुइया
८—अलीगढ़, अतरौली
९—मिर्जापुर, गाजीपुर वाया वाराणसी तथा सम्बन्धित मार्ग
१०—इलाहाबाद, कालाकाँकर, ऊचाहार तथा सम्बन्धित मार्ग
११—मुरादाबाद, काठ, धामपुर
१२—बरेली, बदायूं, कासगंज
१३—परसपुर, तरबगंज
१४—भदोई, धनतुलसी
१५—अलीगढ़, खेर, टप्पल तथा सम्बन्धित मार्ग
१६—मथुरा, अलवर
१७—अलीगढ़, अनूपशहर तथा सम्बन्धित मार्ग
१८—मथुरा, कामा, कोसी
१९—जौनपुर, केराकत, मिन्हाँजुपुर
२०—बरेली, शाही, शीशगढ़
२१—उन्नाव, हरदोई } तथा सम्बन्धित मार्ग
सीतापुर—हरदोई }
२२—बाराबंकी, जरवल रोड तथा सम्बन्धित मार्ग
२३—एटा, फर्रुखाबाद तथा सम्बन्धित मार्ग
२४—सुल्तानपुर दोस्तपुर वाया कादीपुर
२५—गोरखपुर गोला, खजनी
२६—वाराणसी, मंगारी
२७—चकघाट, शंकरगढ़ वाया नारी बारी
२८—कैराना, देहली
२९—आगरा, भरतपुर
३०—मथुरा, धौलपुर
३१—सहारनपुर, देहली
३२—मुजफ्फरनगर, कोटद्वारा
३३—मथुरा, सैदाबाद
३४—मथुरा, भरतपुर
३५—आगरा रीजन की कन्टैक्ड कैरजेस सर्विस।

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३१ पर)

तालिका

	कुल संख्या	अनुसूचित जाति का संख्या	पिछड़ वर्ग की संख्या
(क) कामदार	४२	५	१४
(ख) काटन सुपरवाइजर ..	८	..	१
(ग) कृषि इन्सपेक्टर	२६	..	५
(घ) क्लर्क	९	..	..
(ङ) चपरासी	२	..	२
(च) चौकीदार	५	..	५
	९२	५	२७

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८४ का उत्तर पृष्ठ ७३१ पर)

प्रश्न संख्या १८४ के सम्बन्ध में वांछित सूचना

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	एक्सप्रेस बस सेवाओं की संख्या	साधारण बस सेवाओं की संख्या	विशेष विवरण
	राष्ट्रीकृत मार्ग			
१	गोरखपुर, निचलौल ..	१६	२०	
२	सिसवा, निचलौल ..	..	१६	
३	गोरखपुर, देवरिया बरहज ..	३	११	
४	गोरखपुर, देवरिया लार रोड ..	..	६	
५	देवरिया, गोरखपुर	४	१७	
६	बरहज–गौरीबाजार–गोरखपुर ..	३	३	
७	गोरखपुर–हाटा–देवरिया–बरहज ..	..	२	
८	गोरखपुर–कसया–पडरौना ..	४	१८	
९	गोरखपुर–कसया–तमकुही ..	..	६	
१०	गोरखपुर–कप्तानगंज–पडरौना–तमकुही रोड	..	२	
११	देवरिया–पडरौना–लक्ष्मीगंज–छपिया	८	..	
१२	गोरखपुर–आनन्दनगर–सोनौली ..	..	२८	
१३	बर्डघाट–बढ़हलगंज ..	६	२०	
१४	बर्डघाट–बांसगंज–साल्हनपुर ..	२	६	
१५	बर्डघाट–बासगाँव–बढ़हलगंज ..	..	१	
१६	बर्डघाट–बलिया	१	..	
१७	बर्डघाट–आजमगढ़	२	..	
१८	बढ़हलगंज–लकड़मन्डी ..	..	७	
१९	बस्ती–बर्डघाट	४	६	
२०	लकड़मन्डी–बर्डघाट ..	२	२०	
२१	मेहदावल–बर्डघाट	२	..	
२२	गोंडा–बर्डघाट	४	..	

नत्थी 'ढ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७३६ पर)

खीरी तथा पीलीभीत जिलों के उपनिवेशन क्षेत्रों में स्थापित होनेवाले उपनिवेशों में प्रयोग के लिये गृह सम्बन्धी संविदा का मानक प्रपत्र

आज दिनांक.....को यह संविदा उत्तर प्रदेश के गवर्नर (जिनको आगे विक्रेता कहा गया है) प्रथम पक्ष और .....पुत्र.....निवासी.. उपनिवेश जिन्हें.....खीरी। पीलीभीत उपनिवेश क्षेत्र में उपनिवेशी के रूप में भूमि दी गई है (जिनको आगे "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष के बीच निष्पन्न हुआ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने (जिसे आगे "राज्य सरकार" कहा गया है) राज्य सरकार के पुर्नवासन तथा उपनिवेशन योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षित—बेकारों तथा भूमिहीन श्रमजीवियों अथवा मजदूरों तथा अन्य योग्य व्यक्तियों के पुर्नवासन के लिये उपनिवेशन क्षेत्रों में एक कमरे वाले पक्के घर बनवाये हैं।

और राज्य सरकार.....उपनिवेश में स्थित घर संख्या.....को क्रेता के हाथ बेचने तथा.....रुपये की आर्थिक सहायता, जो कि उक्त घर की कीमत में कट जायेगी, देने को सहमत हुई हैं और क्रेता आगे दी गई शर्तों पर उसे लेने को सहमत हुआ है और उस अनुबन्ध के अनुसरण हेतु राज्य सरकार ने क्रेता को उसका कब्जा दिनांक.....को दे दिया है।

अतएव इस लेख्य के दोनों पक्ष एतद्द्वारा निम्नलिखित संविदा करते हैं कि जिसका यह लेख्य साक्ष्य होगा—

१—उक्त सहमति के अनुसरण में तथा उक्त घर की.....रुपये की पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुये, जिसमें कि सरकार द्वारा दी गई ५०० रुपये की आर्थिक सहायता तथा उस पर .....प्रति सैकड़े प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी शामिल है, विक्रेता ने क्रेता के हाथ संलग्न परिशिष्ट में वर्णित तथा संलग्न नक्शों में अंकित..... उपनिवेश में स्थित घर संख्या .....क्रेता को बेचने तथा उसका कब्जा देना स्वीकार कर लिया है, जिससे कि वह.....रुपये दे दिये जाने पर आगे दी हुई शर्तों पर क्रेता में निहित हो और जो.....रुपया क्रेता ने ३० जून या उसके पूर्व प्रति वर्ष देय.....की दर वार्षिक किश्तों में देना स्वीकार कर लिया है और इसमें पहली किश्त.....को दी जावेगी।

२—क्रेता उक्त किश्तों की पूरी रकम विक्रेता को यथा समय देगा (इस सम्बन्ध में समय निष्ठा संविदा का सार होगी) और यदि अनुबन्ध आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन पहले ही, समाप्त न हो गया हो तो उक्त घर अन्तिम किश्त की अदायगी पर ही और इससे पूर्व नहीं पूर्णतया क्रेता की सम्पति हो जायगा।

३—क्रेता एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ निम्नलिखित प्रसंविदा करता है—

(क) वह कलेक्टर की यावत्संतुष्टि उक्त घर की मरम्मत पर किया गया सभी व्यय वहन करेगा तथा उसके सम्बन्ध में देय सभी शुल्क, कर तथा उप कर देगा।

यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि क्रेता द्वारा आवश्यक मरम्मत न किये जाने पर कलेक्टर एक महीने का लिखित नोटिस देकर मरम्मत करा लेगा तथा उस पर किया गया पूरा व्यय क्रेता से वसूल करेगा।

(ख) वह उक्त घर को केवल अपने तथा अपने परिवार के रहने के लिये इस्तेमाल करेगा और जब तक कि सब किश्तें पूर्ण रूप से अदा न हो जाय तब तक राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना उसे अन्य को हस्तांतरित न करेगा न शिकमी किराये पर देगा।

(ग) वह अग्नि या किसी अन्य कारण से उक्त घर को पहुंची क्षति के लिये विक्रेता की क्षति पूर्ति करेगा।

(घ) वह विक्रेता के प्राधिकृत अभिकर्ता को उक्त घर के तथा उसकी दशा के निरीक्षण के प्रयोजन से सभी उचित समयों पर उक्त घर में प्रवेश करने की अनुज्ञा देगा।

(ङ) वह अपने व्यय से उक्त कलक्टर द्वारा निर्धारित बनावट के अनुसार घर में वृद्धि करेगा तथा पशुगृह, स्नानागार, स्टोर आदि तैयार करायेगा।

४—राज्य सरकार एतद्द्वारा क्रेता से संविदा करती है कि यदि विक्रेता पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये गृह-निर्माण-सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करे तो कलक्टर यथा सम्भव नियन्त्रित दर से दस प्रति सैकड़ा अधिक पर निर्माण सामग्री की पूर्ति का प्रबन्ध करेगा।

५—राज्य सरकार उपर्युक्त किश्तों के भुगतान के दौरान में नीचे लिखी में से किसी भी बात के होने पर एक महीने का नोटिस देकर इस अनुबन्ध को समाप्त कर सकती है—

(१) यदि कोई भी दो या अधिक किश्तें, किसी समय बाकी हों।

(२) यदि क्रेता कोई दिवालियापने का काम (act of insolvencey) करे या अपने ऋण दाताओं से कोई समझौता (composition) करे या व्यवस्था (arrangement) तय करें।

(३) यदि क्रेता इस संविदा की किसी शर्त का उल्लंघन करे :

यह प्रतिबन्ध सदैव रहेगा कि अनुबन्ध के इस खंड के अधीन की गई समाप्ति पूर्वोक्त शर्तों में किसी के उल्लंघन पर क्रेता से क्षति पूरक प्राप्त करने के राज्य सरकार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब कभी यह अनुभव इस प्रकार समाप्त किया जावेगा तो कलेक्टर को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह तुरन्त क्रेता को उक्त घर से निकाल कर उसे किसी अन्य के हाथ बेच दे और क्रेता को उसके द्वारा दी गई किश्तों की वापसी का कोई हक न होगा।

६—एतद्द्वारा यह भी अनुबन्ध किया जाता है कि कलेक्टर को प्राधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध के अधीन देय किसी भी धनराशि के शेष को बकाया मालगुजारी की भांति क्रेता से वसूल कर ले तथा गवर्नमेंट ग्रांट्स ऐक्ट, १८९५ के उपबन्ध इस हस्तान्तरण पर लागू होंगे।

७—यहां पहले प्रयुक्त विक्रेता के अन्तर्गत उसके उत्तराधिकार तथा अभिहस्तांकिती तथा शब्द क्रेता के अन्तर्गत उसके दायाधिकारी उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा अनुज्ञप्त अभिस्तांकिती भी आते हैं।

८—यह संविदा उस तिथि से लागू होगा जिस तिथि को गृह पर कब्जा दिया गया या जाय।

उक्त के साक्ष्य स्वरुप विक्रेता की ओर से .....ने तथा क्रेता ने प्रारम्भ में लिखे दिनांक को हस्ताक्षर किये।

इस लेख में अभिदिष्ट परिशिष्ट

एतद्द्वारा हस्तांतरित घर का सीमाओं सहित विवरण:—

द्वारा विक्रेता की ओर से हस्तांकित	क्रेता द्वारा हस्तांकित
साक्षी (१)	साक्षी (१)
साक्षी (२)	साक्षी (२)

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२५ एल० ए०—१९६२—८४५